संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट

ऐक्ट नं० ३६ सन् १९४७ ई०

[गाँव में दीवानी, माल और फ़ौजदारी के मुकदमों का निर्णय तथा सरपञ्च कैसे बनेगा तथा सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि की स्थापना अब कैसे होगी, सफ़ाई, रोशनी, पानी का इन्तज़ाम कैसे होगा—कानूनी नोट सहित]

लेखक एवं प्रकाशक

श्री सुरेन्द्र नारायण एडवोकेट, हाईकोर्ट,

इलाहाबाद

लेखक यू० पी० काश्तकारी (तरमीम) एक्ट ४७ यू० पी०, रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट ४७ यू० पी०, बिक्रीकर एक्ट मय संशोधन, ग्राम सुधार भूमि अधिकृत एक्ट सम्पादक नया कानून सीरीज़।

मिलने का पता :—

कानून महल

१ सी० वाई० चिन्तामणि रोड, इलाहाबाद

तृतीय संस्करण ५०००]   [संशोधित व पूर्ण नोट सहित]

All Rights Reserved.

दो श

जनता ने प्रथम और द्वितीय संस्करण हृदय से स्वागत किया उनकी प्रियता से ही शंशोधित तृतीय संस्करण आपकी सेवा में आया है।

अहा स्वतंत्रता के पुजारी भातर के नवयुक और आधुनिक स्नेह और अनुकम्पा की मूर्ति शवरी कितने ही गाँव सुशोभित कर रही है! उनके त्याग, सरलता, और साहस, राज्य संचालन की दक्षता व प्रगतिशील व उत्थान की योजना सराहनीय है। "चेरी छांड़ि होई न रानी" का युग वीत गया अव नवयुग है अपने ही जीवन में हर स्त्री, पुरुष राज्य शासक या राज्य संचालिका होने के स्वप्न व्यवहारिक रूप में परणित करते पाये जाते हैं। पंचायत राज के एक्ट व अंतरगत नियम के हर एक पहलू को अच्छी प्रकार समझ कर, जन सेवा और लोक प्रियता के आदर्श को सामने रख कर निरंतर जो धैर्य के साथ चलता रहेगा तो राज्य सत्ता उसके पैरों पर लोटेगी। व प्रेसीडेन्ट, गवर्नर मिनिस्टर आदि यथा समय होंगे।

प्रम प्रेस, कटरा प्रयाग।

भूमिका

संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट—ग्रामीण भाइयों के जीवन एक विशेष अङ्ग है। सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक, शारीरिक स्था को एक उन्नतशील श्रेणी का बनाने में सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण चेष्टा है। इससे ग्रामीण वासियों की नसों में नवीन न्त्रता का संचार होगा। स्थानीय ग्राम शासन की बागडोर मीण भाइयों के हाथ में होगी वे सामूहिक रूप से हर एक क्षेत्र अग्रगामी होंगे। अदालती क्षेत्र में दीवानी, फौजदारी तथा माल मुकदमें पञ्च अदालत में आसानी से स्वयं सुलझा सकेंगे। कोर्ट ोस, पेशकार, चपरासी, अरदली की धाँधली से बचेंगे और कामों और जजों को गलत रास्ता सुझानेवाले मुकदमों को उलटा-सीधा कराने वाले जो हथकंडों पर चढ़ा कर न्याय का गला घुटाने की चेष्टा करते हैं सब दूर हो जायेंगे।

समाजिक क्षेत्र में सड़क बनवाना, सफ़ाई, रोशनी, पानी का इन्तज़ाम करना, स्वयम्-सेवक तथा विद्या की शिक्षा देना खेती में उन्नति करना अस्पताल खोलना मृतकों को ठिकाने लगाना पैदा-इश, मृत्यु तथा विवाह का सही रजिस्टर तैयार करना जिससे गाँव के बहुत से मुकदमेबाजी की जड़ खत्म हो जायगी। सारांस यह है कि जीवन के हर एक पहलू में हस्तक्षेप करने का मौका, है और ऊपरी रुकावट के बिना पुनः निर्माण करने का और अपनी उन्नति करने और अग्रसर होने का सुअवसर प्राप्त है। ग्रामीण भाई जागृत हो जाये तो देश के एक भारी अङ्ग का उद्धार अवश्यभावी है।

प्रगतिशील उद्देशों को पूरा करने के लिये हर एक गाँव में, गाँव

सभा, गाँव पञ्चायत, पञ्चायती अदालत की स्थापना की जायेगी ये संस्थाएँ न्याय करेंगी तथा शासन गाँव का बहुत अंश में चलायेगी।

गाँव-सभा—प्रान्तीय सरकार ने गाँव और ग्राम समूह के लिये गाँव-सभा स्थापित होने के नाम गज़ट कर दिये हैं उनका अधिकार क्षेत्र विस्तृत होगा। गाँव-क्षेत्र के सब स्त्री, पुरुष जिनकी आयु २१ वर्ष या उससे अधिक हो गाँव-सभा के जीवन पर्यन्त जब तक उनमें कोई अयोग्यता न आ जावे, सदस्य रहेंगे ऐसे सदस्यों का एक रजिस्टर नियमानुसार रक्खा जायेगा सभा अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनेगी जो तीन वर्ष तक उस पद पर रहेंगे। गाँव सभा को अधिकार होगा कि कर लगाए, भूमि प्राप्त करे, ऋण ले तथा सभा की सम्पति का प्रवन्ध करे, अथवा उसके विषय में झगड़े तय करे।

प्रति वर्ष गाँव सभा की दो बैठकें, एक खरीफ़ और दूसरी रबी की फसल के पश्चात् होगी। सभा की नियमित संख्या (कोरम) सदस्यों की कुल संख्या का पाँचवाँ हिस्सा की होगी। गाँव सभा आगामी वर्ष के आय व्यय (वजट) के ऊपर विचार खरीफ़ की बैठक में करेगी और उसे स्वीकार करेगी। गत वर्ष के हिसाब किताब पर विचार पञ्चायत रबी के बैठक में करेगी। कुल वसूली का धन जमा करने के लिये गाँव सभा के अधिकार में एक गाँव कोष खोला जायेगा उसका धन एक्ट के बताये हुए कार्यों में गाँव पञ्चायत लाएगी।

गाँव-पञ्चायत—गाँव सभा को अपनी कार्य-कारिणी समिति निर्वाचन करने का आदेश है गाँव-पञ्चायत ऐसी ही निर्वाचित कार्य-कारिणी समिति होगी जिसके सदस्यों की संख्या सरकारी आज्ञानुसार ३० से ५२ तक होगी। इस सभा के सभापति तथा उपसभा-

पति गाँव-पंचायत के भी सभापति और उपसभापति होंगे। निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष के लिए पंचायत सदस्य रहेंगे परन्तु सदस्यों की संख्या में से एक तिहाई सदस्य हर साल विश्राम (रिटायर) रोटेशन Rotation से करते रहेंगे।

यह पञ्चायत उन पञ्चों की एक सूची रक्खेंगी, जो पञ्चायती अदालत के कार्यवाही करने योग्य अर्थात् साक्षर होंगे। गांव-पञ्चायत के ऊपर इन सार्वजनिक-उपयोगिता के कार्य करने का विशेष भार हैं सफ़ाई, रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, मार्ग आदि। और पतरौल, पटवारी, मुखिया, कान्सटेबिल, सेक्रेटरी तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, बदली या उनके हटाने के लिये सिफ़ारिस भी कर सकती है उनके दुराचरण पर रिपोर्ट कर सकती हैं जिससे हाकिम को लाज़मी होगा कि तहकीक़ात करे।

पञ्चायती-अदालय

ज़िले को क्षेत्रों (circle) में बांटा जायेगा और हर क्षेत्र में एक पंचायती अदालत होगी और उस क्षेत्र में जितनी गाँव सभायें हों प्रत्येक ५ पंच चुनेंगी। इस प्रकार चुने हुये पंचों का पंच मन्डल होगा पंचमन्डल एक विवरण लिखने योग सरपञ्च चुनेगा। पञ्चों की अवधि निर्वाचन से ३ साल की है।

पंचायती अदालत को छोटे माल, दीवानी तथा फ़ौजदारी विवादों (मुकदमों) को फैसल करने का अधिकार दिया गया है। उनके निर्णय (फैसले) अन्तिम और मान्य होंगे जिसका पुनर्विचार (अपील) नहीं होगी, परन्तु गडबड़ी बचाने के लिये ऐसे निर्णय की नज़रसानी मुन्सिफ़ अथवा सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट के यहाँ ६० दिन के अन्दर हो सकेगी। इन हाकिमों को यह भी अधिकार होगा कि पञ्चायत विचाराधीन मुकदमों के कागजात को पञ्चायती

अदालत द्वारा निर्णय किये जाने के पूर्व अपने यहाँ मँगवा कर सुनवाई का के आदेश दें।

सब कार्यवाई संक्षिप्त रूप में होगी और साक्षियों का बयान न्यायालय के सामने होगा उसका संक्षिप्त विवरण लिखा जायगा। कारावास के दण्ड देने का अधिकार इन न्यायालयों को नहीं है। इन न्यायालय का शुल्क (कोर्टफीस) रसीद देकर नगद वसूल किया ज वेगा।

सीमा—दीवानी के मुकदमें जिनमें मुअहिदा या चल, सम्पत्ति की मालियत १००) एक सौ रुपया तक हो और माल के मुकदमें जो मालगुजारी आराजी कानून नं० ३ स० १९०१ की धारा ३३ सालाना रजिस्टर हक इन्दराज का सही रखना ३४ हक पाना या कब्जा वदलने की रिपोर्ट ३५ ऐसी रिपोर्ट पर कार्यवाई ३९ तब्दीली कब्जा का रिकार्ट ४० झगड़ा सही रजिस्टर का तै करना ४१ हद वन्दी आराजी के झगड़े तै करना उल्लिखित है और फ़ौजदारी के मुकदमें जो भारतीय दंड विधान की धाराएँ १४०, सैनिक की वर्दी या चिन्ह पहिनना १६० झगड़ा करना, १७२ सम्मन तामील से भागना, १७४ हाकिम के हुक्म पर भी हाजिर न होना, १७९ हाकिम के पूछने पर भी जवाव न देना २७७ जन तालाव या झरने के पानी को गन्दा करना, २७९ अंधाधुन्ध सवारी चलाना, २८३ खतरा या रुकावट जन मार्ग या जल मार्ग पर करना, २८५ आग लगने का काम करना जिससे जान को खतरा हो, २८६ वारूद आदि का लापरवाही से काम करना. २८९ जानवरों को लापरवाही से रखना जिससे जान खतरे में हो. २९० जन मार्ग पर खुराफ़ात फैलाने के लिये सजा २९४ गन्दे गाने या कर्म ३२३ चोट लगाना, ३३४ जानकर चोट लगाना उद्विग्न होकर. ३३६ कार्य जिससे जनता के लिये [illegible] हो, ३४१ गैर कानूनी रोक करना. ३५२ हमला, ४२६

चोरी की कोशिश में हमला. ३५७ गैर कानूनी बन्दी करने की कोशिश में हमला. ३५८ उद्विमग्नता में हमला करना; ३७४ गैर कानूनी जबरदस्ती बेगारी. ३७९ चोरी सजा. ४०३ गबन, ४११ जान बूझ कर चोरी का माल रखना (जब कि चोरी या गबन किया हुआ माल रु० पचास से अधिक न हो). ४२६ शरारत, ४२८ जानवर को मारना या अंग काट देना जिसकी १० रु० से अधिक कीमत न हो। ४३० नहर के पानी का रुख बदलना, ४४७ अनाधिकार प्रवेश, ४४८ अनाधिकार ग्रह प्रवेश. ५०४ जान बूझ कर अपमान करना जिससे झगड़ा हो. ५०६ जान की धमकी, ५०९ स्त्री अपमान और ५१० शराबी का अनुचित पब्लिक में व्यवहार, जानवर से खेत चरा देना एक्ट नं० १ सन् १८७१ की धारा २० से २४ तक आदि सब पंचायती अदालत द्वारा निर्णय किये जायेंगे।

पैरवी मुकदमें की वादी, प्रतिवादी तथा अभियुक्त को स्वयम् बिना वकील की सहायता के करना होगा क्योंकि कानून व्यवसायी को न्यायालय के सामने पैरवी करना मना है।

भाषा—पञ्चायती-अदालत की भाषा हिन्दी होगी और वो अपनी मुहर (सील) रखेगी। दीवानी नियम संग्रह के अनुसार जो व्यक्ति दीवानी न्यायालय में जाने के लिये बाध्य नहीं किए जा सकते उनके लिए भी पञ्चायती अदालत में उपस्थित होने पर बाध्य न करने की व्यवस्था है।

भीतरी बातें जानने के लिये एक्ट तथा उसके अवगंत नियमों का पढ़ना आवश्यक है।

सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल, एडवोकेट, हाईकोर्ट

१ सी० वाई० चिन्तामणि रोड, इलाहाबाद।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सन् १६२० ई० का संयुक्त प्रान्त का गाँव-पञ्चायती ऐक्ट, इसलिये पास किया गया था कि देहात के क्षेत्रों में दीवानी और फ़ौजदारी के मुक़दमों का फ़ैसला करने में सहायता मिले और गाँव की सफ़ाई एवं वहाँ के दूसरे सार्वजनिक कामों को उन्नत किया जा सके। अब सभी स्वीकार करते हैं कि उक्त ऐक्ट के अधीन उन्नति अल्प हुई। उक्त ऐक्ट में कुछ मौलिक दोष थे वे नये पञ्चायतों में दूर किये हैं। उनमें से सब से मुख्य यह है कि इसके अधीन जो पञ्चायतें बनाई गई थीं वह सर्वजनिक मत का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं और उनका कार्यक्षेत्र बहुत संकुचित था सरकार ने अब इससे अधिक विस्तृत कानून दिया है जिसमें यह दोष नहीं है और जिसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण वासियों की उचित आकांक्षाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

इस ऐक्ट में अधिक विस्तृत सार्वजनिक आधार पर अधिकांश सभी गाँवों में पञ्चायतें स्थापित करने की व्यवस्था है। इसके द्वारा उनको अधिकार दिया गया है कि वे कुछ कर लगा सकें, अपने कोषों (फण्डों) का प्रबन्ध कर सकें, उप-नियम (बाइलाज़) बना सकें, अपने बजट तैयार कर सकें और स्कूल व शफाखाने स्थापित कर सकें और उन्हें चला सकें। इसका उद्देश्य यह भी है कि गाँव में स्वयंसेवकों की एक संस्था रक्षा और देख-भाल के लिये संगठित की जाय और पंचायती अदालतें स्थापित की जायँ जो गाँव-पञ्चायतों से भिन्न हों और माल और फ़ौजदारी के मुकदमों का फ़ैसला

करने के अधिकार प्राप्त हो। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि गाँव के सामूहिक जीवन को फिर से जागृति किया जाय और लोगों में आत्मविश्वास और सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना पैदा की जाय जिससे कि वे सरकार पर बहुत अधिक निर्भर रहे बिना अपनी दशा स्वयं सुधार सकें और ग्रामीण जीवन में स्वतन्त्रता की नई लहर आवें उनका जीवन उल्लास और साहस से भर जावे और अपनी उन्नति शिखर पर पहुँचा कर अपनी बुद्धि और कार्यदक्षता का परिचय दे सकें।

सम्मति

हर्ष के साथ मैं सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल एडवोकेट हाईकोर्ट की प्रगति शील बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूँ जिस कौशल से उन्होंने पञ्चायत राज को आम जानता के सामने सुलभ बना दिया है।

टैगौर टाउन प्रयाग

गोपाल बिहारी
एडवोकेट हाई कोर्ट

—: ० :—

विषय-सूची

अध्याय १

अध्याय २

अध्याय ३

अध्याय ४

अध्याय ५

अध्याय ६

अध्याय ७

अध्याय ८

अध्याय ९

संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट

सन् १९४७ ई०

संयुक्त प्रान्तीय धारा सभा के निम्नलिखित ऐक्ट को गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट सन् १९३५ ई० की धारा ७६ के अधीन जैसा कि उसका संशोधन इण्डिया (प्राविज़नल कान्स्टिटीट्यूशन) आर्डर सन् १९४७ ई० द्वारा हुआ है। ७ दिसम्बर, सन् १९४७ ई० को श्रीमान् गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली।

सयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नम्बर २६ सन् १०४७ ई०

[जैसा कि उसे संयुक्त प्रान्तीय धारा सभाओं ने पास किया]

संयुक्त प्रान्त के देहाती क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन (लोकल सेल्फ गवर्नमेंट) स्थापित करने और उसे उन्नत करने के लिए।

एक ऐक्ट

प्राक्कथन

चूँकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्त के देहाती क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित किया जाय और उसकी उन्नति की जाय, एवं गाँवों के शासन और उनकी उन्नति की ओर अधिक अच्छी व्यवस्था की जाय।

नोट—प्राक्कथन से जब कभी किसी बात के समझने में संदेह हो तो सहायता मिलती है। किसी क़ानून के प्राक्कथन से या धाराओं के शीर्षकों (headings) से आशयों को समझने में सहायता मिलती है।

इसलिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है -

अध्याय १

प्रारम्भिक बातें

संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारम्भ

१—(१ यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट सन् १९४७ ई० कहलायेगा।

नोट—पञ्चायतों का इतिहास इस प्रकार है—प्राचीन काल से भारत वर्ष में पञ्चायत और पञ्चों की परम परा चली आई है जो विशेपकर छोटे आपस के झगड़े सामूहिक रूप से न्यायोचित धारण करके व्यक्तिगत को बाध्य करती है। पर इसके न्याय को मानने का बन्धन सामाजिक है। सरकार ने सरकारी पञ्चायतें स्थापित करने के लिये जिसका न्याय उच्चारण सरकारी तौर पर लागू हो और छोटे झगड़े गाँव वालों के सरलता से फैसल हों इसके अनुसन्धान के लिये १९०९ में सेन्ट्रल कमीशन बैठाया जिसके प्रस्ताव पर छान बीन कर उस क़ानून का बिल बनाया था जिस पर सन् १९१५ में भारत सरकार ने सहानुभूत प्रकट की थी। पुनः एक विशेष कमेटी के विचाराधीन दिया गया जिसने विशेष अनुसन्धान, जाँच पड़ताल सब प्रान्तों के राय व लोकमत लेने के बाद एक वृहद रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर बिल बना और १९२० में संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट नं० ४ बना जिनके आधार पर पुरानी पंचायतें चल रही हैं और वे वर्तमान ऐक्ट के अन्दर पंचायतें बनने पर तोड़ दी जायेंगी पुरानी पंचायतें में कुछ चुने हुये गांवों के परमित न्याय व शासन व्यवस्था कर दी थी पर अब नये ऐक्ट ने उनको पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया है वस्तुतः वे ग्राम शासक व अधिकारी हो गये हैं।

(२) यह ऐक्ट सारे संयुक्त प्रान्त पर लागू होगा, सिवाय देहरादून ज़िला के जौनसार बावर परगना के और मिर्ज़ापुर ज़िला के उस हिस्से के, जो कैमूर की पहाड़ियों के दक्षिण में है और सिवाय उस क्षेत्र के जो संयुक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटियों के ऐक्ट, १९१६ ई० के आदेशों के आधीन म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया या कैन्टोनमेंट ऐक्ट सन् १९२४ के आदेशों के आधीन कैन्टोमेन्ट या संयुक्त प्रान्तीय टाउन एरिया ऐक्ट, सन् १११४ ई० के आधीन टाउन एरिया घोषित किया जा चुका है या उसमें सम्मिलित है या जो इसके बाद इस प्रकार घोषित किया या सम्मिलित किया जाय।

(३) यह ऐक्ट तुरन्त लागू होगा।

नोट—७ दिसम्बर, सन् ४७ को गवर्नर-जनरल की स्वीकृत हुई और २७ दिसम्बर ४७ को गजट में छपा उसी समय से यह ऐक्ट चालू हो या है।

परिभाषायें

२—इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इसके विषय या संदर्भ के विपरीत न हो—

(क) "पञ्चायती अदालत" से तात्पर्य किसी ऐसी पञ्चायती अदालत से जो धारा ४२ के अधीन स्थापित की गई हो और इसमें उसकी कोई बैंच भी सम्मिलित हो।

नोट—अब तक संयुक्त प्रान्त में अदालत दीवानी, अदालत माल और अदालत फौजदारी प्रचलित थी वे भी रहेंगी पर इस ऐक्ट द्वारा एक नई उपरोक्त अदालत स्थापित की गई है जिसको थोड़े-थोड़े अधिकार दिये गये हैं।

(ख) "प्रौढ़" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जिसने अपनी आयु का २१ वाँ वर्ष पूरा कर लिया हो।

नोट—भारत में बालिग साधारणतः १८ वर्ष की आयु पूरी होने पर होता है। (बालिग ऐक्ट सं० १८७१ ई० के अनुसार) किन्तु जिसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध कोर्ट आफ़ वार्डस के अधीन है तो जिसकी सम्पत्ति का संरक्षक उक्त ऐक्ट के अनुसार नियुक्त किया गया है २१ वर्ष के पूरे होने पर बालिग होता था—पंचायतों मे २१ वर्ष के सब स्त्री पुरुष को मताधिकार है।

(ग) "मुकदमे" से तात्पर्य ऐसी फौजदारी की कार्रवाई से है जो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में की जाय जिसकी सुनवाई पञ्चायती अदालत कर सकती हैं।

(घ) "क्षेत्र" से तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसमें कोई पञ्चायती अदालत धारा ४२ के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

(ङ) किसी गाँव—सभा के सम्बन्ध में "कलेक्टर" या "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" या "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट" से तात्पर्य, स्थिति के अनुसार, उस जिले या परगने, जिसमें ऐसी गाँव-सभा बनाई गई हो, के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिवीजनल मजिस्ट्रेट से है।

(च) किसी गाँव पंचायत के सम्बन्ध में "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" से तात्पर्य किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से है जो संयुक्त प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, सन १९२२ ई० के अधीन उस जिले में स्थापित किया गया हो जिसमें ऐसी गाँव—पंचायत बनाई गई हो।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० १० सन् १९२२ ई०

(छ) "गाँव-सभा" से तात्पर्य किसी ऐसी गाँव-सभा से है जो धारा ३ के अधीन स्थापित की गई हो।

नोट—"गाँव-सभा" ऐसे गाँवों में स्थापित की जायगी जिसकी आबादी साधारणतया कम से कम एक हजार हो। अगर कम आबादी हो तो ग्राम समूह में स्थापित हो।

(ज) "गाँव-पंचायत से तात्पर्य गाँव-सभा की उस कार्यकारिणी कमेटी से है जो धारा १२ के अधीन स्थापित की गई हो ।

(झ) "संयुक्त निर्वाचन पद्धति" से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसके आधीन सब जातियों के निर्वाचक नियत प्राणाली के अनुसार संयुक्त रूप से न कि अलग-अलग जातियों के निर्वाचकों की हैसियत से वोट दें ।

(ञ) "अल्प संख्यक जाति" से तात्पर्य किसी मुस्लिम या गैर-मुस्लिम जाति से है. यदि अन्तिम सरकारी जनगणना के अनुसार ऐसी जाति की कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या की ४५ प्रतिशत से अधिक न हो जो उक्त गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो ।

(ट) किसी गाँव पंचायत के सम्बन्ध में "मुन्सिफ" से तात्पर्य उस मुन्सिफ से है, जिसे उस क्षेत्र में, जहाँ ऐसी गाँव पंचायत बनाई गई हो, स्थानीय मुकदमें सुनने का अधिकार प्राप्त हो ।

(ठ) "आवादी" से तात्पर्य किसी गाँव या क्षेत्र की उस जनसंख्या से है जो इस सम्बन्ध में नियत ढंग से निश्चित की गई हो ।

(ड) "कार्रवाई से तात्पर्य ऐसी कार्रवाई से है, जिसकी व्याख्या धारा ७० के अधीन कर दी गई है ।

नोट—जो कार्यवाही अब तक ऐक्ट मालगुजारी नं० ३ सन् १९०१ के आधीन आराजी के कब्जे के उत्तराधिकार व हस्तान्तरित व सालाना रजिस्टर में आराजी हदबन्दी के विषय में सही तहसीलदार करता था वह जाँच पंचायत द्वारा की जावेगी ।

(ढ) 'जन-सेवक" से तात्पर्य किसी ऐसे राज-कर्मचारी से है जिसकी व्याख्या भारतीय दण्ड-विधान सन १८६० ई० की धारा २१ में की गई है ।

(ण) "जन-मार्ग से तात्पर्य किसी ऐसी सड़क, गली, पुल, कूचा, चौक, सहन, तंग गली या रास्ते से है, जिस पर सर्वसाधारण को चलने का अधिकार हो और जिसमें दोनों ओर की नालियाँ या मोरियाँ और उस से मिली हुई किसी सम्पति की नियत सीमा तक की कोई भूमि सम्मिलित है भले ही किसी बरामदे या दूसरी ऊपर की इमारत का छज्जा ऐसीं भूमि के ऊपर हो।

(त) "नियत" से तात्पर्य इस ऐक्ट के अनुसार या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियत किये हुये से है।

(थ) "नियत अधिकारी" (अथारटी) से तात्पर्य उस अफसर से है, जिसको प्रान्तीय सरकार ने सूचना द्वारा ऐसा अफसर नियत कर दिया हो।

सयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० ३ सन् १९०१ ई०

(द) किसी गाँव के सम्बन्ध में "मालिक" में कोई ऐसा मातहतदार या मालिक अदना सम्मिलित है, जिसकी व्यख्या संयुक्त प्रान्त को मालगुजारी के ऐक्ट सन् १९०१ ई० की धारा ४ के वाक्य-खण्ड (१५) और १६ में की गई है और इसमें उक्त ऐक्ट धारा ७६ और ७७ के आशय के अनुसार कोई मालिक आला और मालिक अदना सम्मिलित है, लेकिन इसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो अपने गाँव में अपने हिस्से का लागान या मुनाफा, किसी हस्तान्तरण (मुन्तकिली) के कारण, उस समय पाने का अधिकारी न हो और ऐसी दशा में मालिक से-तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उस समय ऐसा लगान या मुनाफा पाने का अधिकारी हो।

(ध) "नालिश" से तापर्त्य किसी ऐसी नालिश दीवानी से है, जिसकी सुनवाई पञ्चायती अदालत कर सकती है।

(न) "गाँव" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो उस ज़िले के जिसमें वह स्थित हो, माल के कागजात में गाँव की तरह दर्ज हो।

नोट—इस ऐक्ट में गाँव उसी क्षेत्र को संबोधित करता है जो माल के कागज़ात में बतौर गाँव के दर्ज हो और उन स्थानीय आबादी के क्षेत्रों को नहीं लागू होता जिसमें सिर्फ कुछ झोपड़े हों।

(प) "आसामी" और "शिकमी" के वही अर्थ होंगे जो इनके अर्थ ऐक्ट कब्जा आराजी, संयुक्त प्रान्त सन् १९३९ ई० में दिए हुये हैं।

सयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० १७ सन् १९३९ ई०

(फ) "सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि" से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो विना किसी साझीदार के किसी एक व्यक्ति के इस्तेमाल में न हो बल्कि जिसे किसी गाँव में रहने वाले सम्मिलित रूप से काम में लाते हों।

अध्याय २

गाँव सभाओं का स्थापित किया जाना और उनका विधान

३— (१) प्रान्तीय सरकार, सरकारी गजट में सूचना देकर हर एक गाँव या गाँवों के हर समूह के लिये गाँव-सभा स्थापित करेगी।

(२) प्रान्तीय सरकार उपधारा [१] में उल्लिखित सूचना द्वारा गाँव सभा का नाम और उसका अधिकार-क्षेत्र घोषित कर देगी और वह किसी समय भी सरकारी गजट में सूचना देकर अपने प्रस्ताव से या गाँव-सभा के या किसी गाँव के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर, गाँव-सभा के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है या उससे किसी क्षेत्र को निकाल सकती है।

३) जब उपधारा [२] के अधीन सूचना देकर कोई क्षेत्र गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय, तो उक्त सूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र पर ऐसी सब सूचनायें, ऐसे सब नियम, रेगुलेशन, उपनियम और आदेश लागू होंगे जो इस ऐक्ट या किसी ऐसे दूसरे एक्ट के अधीन बनाये गये हों, या दिये गये हों जो उस क्षेत्र में लागू हों जो उपयुक्त गाँव सभा के अधिकार क्षेत्र में हों।

गाँव सभा की स्थापना

४—हर गाँव-सभा, उस नाम से जो धारा ३ के अधीन सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित किया जाय, एक संयुक्त संस्था होगी जो बराबर अस्थापित होती रहेगी और इसकी एक ही मुहर होगी, और उसको किसी ऐसे प्रतिबन्ध या ऐसी दशा की पाबन्दी के साथ जो इस ऐक्ट या ऐसे किसी दूसरे ऐक्ट द्वारा या उसके अधीन लगाई गई हो, चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति को मोल लेकर प्राप्त करने, दान स्वरूप या अन्य प्रकार से स्वीकार करने, उस पर कब्ज़ा रखने, उसका प्रबन्ध करने और उसको हस्तान्तरण (मुन्तकिल) करने और (उसके सम्बन्ध में) मुआहिदा करने का अधिकार होगा, और वह उसके नाम से मुकद्दमा चला सकेगी, या उस पर उसी नाम से मुकद्दमा चलाया जा सकेगा।

गाँव सभा की मेम्बरी

५ - किसी गाँव-सभा में वे सब प्रौढ़ सम्मिलित होंगे जो उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हों जिसके लिये सभा स्थापित की गई हो, लेकिन ऐसा कोई प्रौढ़ किसी गाँव-सभा का न तो मेम्बर बन सकेगा और न उसका मेम्बर रह सकेगा यदि :—

(क) उसका दिमाग खराब हो, या

(ख) उसको कोढ़ हो या

(ग) वह दीवालिएपन से बरी नहीं किया गया हो. या

(घ) वह श्रीमान—सम्राट या स्थानीय किसी अधिकारी लोकल अथारिटी का ऐसा कर्मचारी हो जो किसी गांव-सभा के क्षेत्र या उसके किसी भाग में कर्मचारी हो या कोई ऐसा आननेरी मजिस्ट्रेट. आनरेरी मुन्सिफ या आनरेरी आसिस्टेन्ट कलेक्टर हो. जिसके अधिकार क्षेत्र में किसी गाॅव-सभा का कोई क्षेत्र वा उसका कोई भाग हो. या

सन् १८९८ ई० का ऐक्ट नं० ५

(ङ) उसे चुनाव—सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दण्ड मिल चुका हो; या

(च) उसको नैतिक अधःपतन से सम्बन्धित किसी अपराध में अपराधी ठहराया जा चुका हो। उसे दण्डविधिसंग्रह, सन् १८९८ ई०.की धारा ११० के अधीन नेकचलनी के लिए जमानत जमा करने की आज्ञा दी गई हो।

पर शर्त्त यह है कि वाक्य-खण्ड (ग) या (ङ) या वाक्य खण्ड (च) के अधीन अयोग्यता का प्रतिबन्ध प्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी की आज्ञा से हटाया जा सकता है।

नोट—गाॅव-सभा को विस्तृत किया गया है जिसके मेम्बर असूमन सब स्त्री. पुरुष जो २१ वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके होंगे बशर्ते वह गाँव के बाशिन्दे हों और उनका दिल, दिमाग़, सेहत सही सलामत हो। यह गांव को एक उन्नत पारिवारिक जीवन में लाने की चेष्टा है।

मेम्बर रहने की अवधि

६—कोई मेम्बर गाँव-सभा का उस समय तक मेम्बर रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाय या जब तक कि वह धारा ५ के अधीन किसी प्रकार अयोग्य न बन जाय या जब तक कि वह क्षेत्र जिसमें

वह रहता हो धारा ७ के अधीन उक्त गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र से पृथक न कर दिया जाय या जब तक कि वह उक्त गाँव में स्थायी रूप से रहना न छोड़ दे।

पर शर्त यह है कि कोई व्यक्ति, जिसका उल्लेख धारा ५ में किया गया और जो उसमें दी हुई किसी अयोग्यता के कारण या गाँव में स्थायी रूप से रहना छोड़ देने के कारण मेम्बर न रह गया हो, अयोग्यता के प्रतिबन्ध के हटा दिए जाने पर या फिर से गाँव में स्थायी रूप से रहना शुरू करने पर, जैसी भी स्थिति हो, और इस सम्बन्ध में गाँव-सभापति के पास मेम्बर बनाये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजने पर ऐसी जाँच के बाद जो नियत की जाय फिर से उस सभा का मेम्बर बनाया जायगा।

नियुक्त या नामजदगी से सम्बन्धित किसी अयोग्यता या त्रुटि से कोई कार्य या कार्यवाही रद्द नहीं होगी

७—किसी मेम्बर के बनाये जाने में किसी प्रकार की अयोग्यता, त्रुटि या कोई बात रह जाने के कारण किसी गाँवसभा का कोई कार्य या कार्यवाही रद्द नहीं होगी, यदि उन मेम्बरों की कम से कम दो-तिहाई संख्या उक्त गाँव-सभा की नियमानुकूल मेम्बर हों, जिनकी उपस्थिति में वह कार्य हुआ हो या कार्यवाही की गई हो।

गाँव सभा की जन संख्या घट बढ़ जाने या उसके क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी आदि में सम्मिलत करने का असर

८—यदि किसी गाँव-सभा का सारा क्षेत्र किसी म्युनिसिपैलिटी, कैन्टोनमेन्ट (छावनी), नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में सम्मिलित कर दिया जाय, तो गाँव-सभा टूट जायगी और उसके देन-पालन का भुगतान नियत ढङ्ग से किया जायगा। यदि ऐसे ऐसे क्षेत्र का केवल एक हिस्सा ही इस प्रकार सम्मिलित किया जाय, तो उसके अधिकार क्षेत्र से उतना हिस्सा कम कर दिया जायगा।

मेम्बरों का रजिस्टर

९—गाँव-सभा के स्थापित किये जाने पर नियत अधिकारी नियत ढङ्ग पर एक रजिस्टर ऐसे सब प्रौढ़ व्यक्तियों का तयार करायेगा जो ऐसी गाँव सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हों और ऐसे रजिस्टर में दूसरी बातों के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज होगा जो गाँव-सभा के स्थापित किए जाने की तारीख को धारा ५ के आदेशों के अधीन उसके मेम्बर बनने का अधिकारी हो। यह रजिस्टर नियतढङ्ग के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार दुहराया जायगा।

गाँव-सभा स्थापित करने और किसी गाँव पञ्चायत की कार्य विधि में कठिनाई का दूर किया जाना

१०—यदि किसी गाँव-सभा के स्थापित करने में किसी गाँव पञ्चायत की कार्य विधि में इस ऐक्ट के किसी आदेश या उसके अधीन बनाये हुए किसी नियम के आशय के सम्बन्ध या किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो ऐसे आशय से सम्बन्ध रखती हो या उससे पैदा होती हो या जिसके बारे में इस ऐक्ट में आदेश न हो, कोई झगड़ा या कठिनाई पैदा हो जाय तो उसे प्रान्तीय सरकार के पास भेज दिया जायगा और उसका निर्णय अंतिम और पूर्ण होगा।

अध्याय ३

गाँव सभा के कर्त्तव्य और कार्य

११—(१) हर गांव-सभा प्रति वर्ष दो सार्वजनिक बैठकें करेगी—एक खरीफ की फ़सल के तुरन्त बाद (जिसको बाद में खरीफ़ की बैठक कहा गया है) और दूसरी रबी की फ़सल के तुरन्त बाद (जिसको बाद में रबी की बैठक कहा गया है)।

पर शर्त यह है कि सभापति स्वयं या कम से कम ⅕ मेम्बरों की लिखित मांग पर ऐसी लिखित मांग के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर किसी भी समय एक असाधारण सावजनिक बैठक बुला सकता है गांव-सभा की सब बैठकों के बारे में, नियत ढङ्ग से, यह सूचना प्रकाशित कर दी जायगी कि वे कब और कहाँ होंगीं।

(२) गांव-सभा की किसी बैठक के लिये गांव-सभा के कुल मेम्बरों की संख्या के ⅕ का कोरम होगा। पर शर्त यह है कि ऐसी बैठक के लिए जो कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित हो गई थी, किसी कोरम की आवश्यकता न होगी।

(३) गांव-सभा अपने मेम्बरों में से एक सभापति और एक उप-सभापति चुनेगी, जो क्रमानुसार प्रधान या सदर और उप-प्रधान या नायब सदर कहलायेंगे और उनके पद की अवधि ३ वर्ष होगी।

गांव-पञ्चायत की स्थापना और उसका सङ्गठन

१०— (१) हर गांव सभा स्थापित होने के बाद, शीघ्र से शीघ्र अपने मेम्बरों में से एक कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव करेगी जो "गांव-पञ्चायत" कही जायगी।

नोट—"गाँव-पञ्चायत" में २१ वर्षो प्रौढ़ स्त्री, पुरुष सब हो सकते हैं जिसको गाँव-सभा चुनाव में चुन ले। वह एक तरह से साहसी, गांव के अग्रगामी और प्रगतशील मनुष्यों की कमेटी होगी।

(२) गाँव-सभा के सभापति और उप-सभापति के अतिरिक्त जो गांव पञ्चायत के क्रम से सभापति और उप-सभापति, होंगे, गांव-पञ्चायत के मेम्बरों की ३० और ५१ के बीच ऐसी संख्या होगी जो प्रान्तीय सरकार नियत करे।

(३) सभापति या उप-सभापति या ऐसे मेम्बर के अतिरिक्त जो किसी आकस्मिक खाली जगह को भरने के लिए चुना गया हो, गांव

पञ्चायत के हर मेम्बर के पद की अवधि ३ वर्ष होगी और एक-तिहाई मेम्बर हर वर्ष रिटायर होंगे।

पर शर्त यह है कि जब कोई गाँव-पञ्चायत पहिली बार बनाई जाय, तो नियत किया हुआ अधिकारी उस समय चुने गये कुछ मेम्बरों के पदों की अवधि घटा देगा, जिससे इस बात की व्यवस्था की जा सके कि जहाँ तक सम्भव हो लगभग एक-तिहाई मेम्बर हर वर्ष रिटायर हो जांय।

(४) नियत किया हुआ अधिकारी गाँव-सभा के क्षेत्र को चुनाव के प्रयोजन के लिये उतने निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँट सकता है जितने चुनाव के लिये आवश्यक हों।

पर शर्त यह है कि जहाँ कोई अल्पसंख्यक जाति हो वहाँ हर निर्वाचन-क्षेत्र को इस प्रकार बनाया जायगा कि कम से कम एक अल्पसंख्यक जाति का मेम्बर चुना जा सके।

(५) किसी गाँव-सभा या उसके किसी निर्वाचन-क्षेत्र की गाँव पंचायत के मेम्बरों का चुनाव संयुक्त-निर्वाचन पद्धति के अनुसार किया जायगा।

(६) अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक जातियों को जो जगहें दी जायगी उनकी संख्या गांव-सभा के क्षेत्र में क्रम से उनकी जन-संख्या के अनुपात से होंगी।

नोट :—गाँव क्षेत्र के अन्दर रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम जिस अनुपात (ratio) में आबाद हों उसी अनुपात में उनको गाँव-पंचायत में जगहें दी जायेंगी (Proportional Representation)

(७) जब कि किसी गांव-सभा के क्षेत्र में परिगणित जाति के लोग हों, तो पहले चुनाव के लिये उन्हें इतनी जगहें दी जायगी जो ऐसे गांव-सभा के क्षेत्र में उनकी जन-संख्या के अनुपात से हों बाद

के चुनाव के लिये उनके प्रतिनिधित्व की संख्या ऐसी संख्या होगी, जो प्रान्त की धारा सभा नियत करे।

गाँव सभा का बजट

१३—गांव-सभा हर खरीफ़ की बैठक में अगले वर्ष के बजट पर विचार करेगी और उसको स्वीकार करेगी और रबी की बैठक में विगत वर्ष के हिसाब-किताब पर विचार करेगी। दोनों बैठकों में, गांव-सभा सभापति द्वारा पेश की गई कार्य-वाहियों की द्विवर्षीय रिपोर्ट पर विचार करेगी।

गांव-सभा के सभापति या उप-सभापति का हटाया जाना और इस प्रकार खाली होने वाली जगहों की पूर्ति

१४—गांव-सभा किसी साधारण बैठक में सभापति या उप-सभापति को उपस्थित मेम्बरों को दो-तिहाई वोटों के बहुमत से हटा सकती है। ऐसी दशा में और ऐसी दूसरी दशा में; जब कोई जगह खाली हो, तो गांव-सभा नियत किए हुए ढंग पर तुरन्त दूसरा सभापति या उप-सभापति चुनेगी।

अध्याय ४

गांव पञ्चायत के अधिकार, कर्त्तव्य, काम और शासन प्रबन्ध

१५—प्रत्येक गांव-पंचायत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने अधिकार-क्षेत्र में, जहाँ तक उसका कोष (फंड) इजाजत दे, नीचे दी हुई बातों के लिये समुचित व्यवस्था करे :—

(क) जन-मार्ग बनवाना और उनकी मरम्मत कराना, उन्हें अच्छी दशा में रखना. उनकी सफ़ाई तथा उनमें रोशनी का प्रबन्ध करना;

(ख) चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता;

(ग) सफ़ाई के लिये और संक्रामक रोगों को दूर करने और उनको फैलने से रोकने के लिये चिकित्सा-सम्बन्धी और रोक-थाम के उपायों को काम में लाना;

(घ) ऐसी इमारतों या दूसरी सम्पत्ति को जो गाँव-सभा की हों या जो प्रबन्ध करने के लिये उसको हस्तान्तरित की गई हों अच्छी दशा में रखना उनकी रक्षा करना और उनकी देख-रेख करना;

(ङ) जन्म, मृत्यु और विवाहों के ब्यौरे रजिस्टर में चढ़ा कर रखना और धारा ९ में बताये हुये रजिस्टर को बनाये रखना;

नोट—पंचायत का कार्य बहुत विस्तृत है। जो म्युनिस्पेलिटी करती है उसके अलावा रजिस्टर रखना जिससे ठीक ठीक, जन्म, मृत्यु, और विवाह का पता चल सके और शिक्षा, रोशनी, सफ़ाई, कुआँ, खेती-बड़ी व्यापार, आग बुझाना, पशु-गणना जन-गणना सब है।

(च) जन-मार्ग, सार्वजनिक स्थानों एवं, उस सम्पत्ति पर से जिनकी गाँव-सभा मालिक हो 'मदाखलत बेजा' को दूर करना,

(छ) मनुष्यों और पशुओं की लाशों और किसी दूसरे दुर्गन्ध वाले पदार्थ का ठीक प्रबन्ध करने के लिये स्थानों की व्यवस्था करना;

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० १६ सन् १९३८ ई०

(ज) संयुक्त प्रान्त के मेलों के ऐक्ट, सन् १९३८ ई० के आदेशों के विपरीत गये बिना ऐसे मेलों, बाजारों और हाटों को नियन्त्रित करना जो उसके क्षेत्र में लगते हैं और जिनमें वे मेले, बाजार और हाट सम्मिलित नहीं हैं, जिनका प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार करती है;

(झ) बालकों और बालिकाओं के लिये प्रारम्भिक शिक्षा के (प्राइमरी) स्कूल खोलना और कायम रखना;

(ञ) उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के सामान्य लाभ के लिये सार्वजनिक चरागाहों और भूमि को छोड़ना या क़ायम करना और उनका प्रबन्ध तथा देख-रेख करना;

(ट) पीने, कपड़ा धोने और नहाने के लिये पानी सप्लाई करने (पहुँचाने) के वास्ते सार्वजनिक कुओं, तालावों और पोखरों को बनवाना, सुधारना और उनको अच्छी दशा में बनाये रखना और पीने का पानी प्राप्त करने के साधनों को नियन्त्रित करना;

(ठ) नई इमारत के बनवाने और वर्तमान इमारत के बढ़ाये जाने या उसमें परिवर्तन के लिये नियम बनाना;

(ड) खेती-बड़ी व्यापार और उद्योग-धन्धों की उन्नति में सहायता करना;

(ढ) आग लग जाने पर आग बुझाने और लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में सहायता करना;

(ण) दीवानी और फ़ौजदारी की अदालती कार्यवाई का प्रबन्ध और इस एक्ट के आदेशों और उसके अधीन बनाये हुये नियमों के अनुसार पञ्चायती अदालत के पञ्चों की सूची में रक्खे जाने के लिये पञ्चों का निर्वाचन करना;

(त) पशु-गणना जन-गणना और ऐसे दूसरे आंकड़ों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण लेख रखना जो नियत किये जायें।

(थ) सूतिका और शिशु का हित साधन करना;

(द) खाद इकट्ठा करने के लिये स्थान नियत करना;

(ध) ऐसे दूसरे दायित्वों को पूरा करना, जो किसी दूसरे क़ानून द्वारा किसी गाँव-सभा पर लगाये गये हों;

(न) कुमायूँ डिवीज़न की पहाड़ी पट्टियों में दर्जा २ और ऐसे

हिन्द जङ्गल, बेनाप पानी की नालियों और पानी पीने के स्थानों (पनघटों) को अच्छी दशा में बनाये रखना और उनकी निगरानी करना।

ऐच्छिक कार्य

१६ - कोई गाँव पंचायत अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर नीचे दी हुई बातों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर सकती है:—

(क) जन-मार्ग के दोनों ओर तथा दूसरे सार्वजनिक स्थानों में पेड़ों को लगाना और उन्हें अच्छी दशा में रखना;

(ख) मवेशियों की नस्ल सुधारना, उनकी चिकित्सा और उनके रोगों की रोक-थाम करना;

(ग) गन्दे गड्ढों को भरवाना और भूमि को समतल करना;

(घ) नियत किये हुये नियमों के अधीन गाँव की रक्षा और चौकी-पहरे के लिये गाँव-पंचायत और पंचायती अदालत को उनके काम पूरा करने में सहायता करने के लिये और उनके द्वारा जारी किये हुये सम्मनों और नोटिसों की तामील करने के लिये, गाँग-स्वयं-सेवक दल का संगठन करना;

(ङ) सरकारी क़र्जे (ऋण) प्राप्त करने और उन्हें आपस में बाँटने और उनके चुकाये जाने के सम्बन्ध में और पुराने कर्जों को भुगतान करने और साधारणतः क़ानून के अनुसार कर्ज लेने और देने की प्रणाली को अच्छे ढङ्ग पर चलाने के सम्बन्ध में किसानों की सहायता करना और उनको परामर्श देना,

(च) सहयोग सम्बन्धी कामों की उन्नति और उन्नत बीजों और औजारों के गोदाम स्थापित करना;

(छ) दुर्भिक्ष या दूसरी विपत्तियों के समय सहायता करना;

(ज) गाँव-सभा के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र के सम्बन्ध

में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ऐसे कामों के करने के लिये अनुरोध करना जो गाँव-सभा के अधिकारों से बाहर हों;

(झ) आबादी के क्षेत्र को बढ़ाना;

(ञ) एक पुस्तकालय या वाचनालय का स्थापित करना और उसे क़ायम रखना;

(ट) मनोविनोद और खेलों के लिए अखाड़े या क्लब या दूसरे स्थान का स्थापित करना और क़ायम रखना;

(ठ) खाद और बहारन (कूड़ा-कर्कट) जमा करने हटाने और उसका प्रबन्ध करने के लिए नियम बनाना;

(ड) आबादी के २२० गज के अन्दर चमड़े को साफ़ करने, कमाने और रङ्गने की मनाही करना या उसके सम्बन्ध में नियम बनाना।

(ढ) विभिन्न जातियों में सद्भाव और सामाजिक एकता बढ़ाने के लिये संस्थायें स्थापित करना;

(ण) सार्वजनिक रेडियो सेट और ग्रामोफोनों का प्रबन्ध करना;

(त) सार्वजनिक उपयोगिता का कोई ऐसा दूसरा काम करना, जिससे गाँव के लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति हो या जिससे उनकी सुविधायें बढ़े;

(थ) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पहले से अनुमति लेकर गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसा दूसरा काम करना जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कामों के अन्तर्गत आता हो; और

(द) कोई ऐसा काम करना, जिसके सम्बन्ध में किये गए खर्च को प्रान्तीय सरकार या प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति से कोई नियत अधिकारी यह घोषणा कर दें कि वह गाँव सभा के कोष (फ़न्ड) पर एक उपयुक्त भार है।

नोट—जिला (डिस्ट्रिक्ट) बोर्ड से मिलते जुलते बहुत से अधिकार इस धारा १६ में सार्वजनिक भलाई व उन्नति के लिये गांव पंचायतों को मिल गये हैं।

सन् १८७३ ई० का ऐक्ट नं० ८

१७—गांव पंचायत का नियन्त्रण ऐसे सब जन-मार्गों पर और ऐसे सब जल-मार्गों पर रहेगा, जिनमें नहरें सम्मिलित नहीं हैं; जैसी कि उनकी व्याख्या उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई के ऐक्ट, सन् १८७३ ई० की धारा ३ की उपधारा (१) में की गई है, जो उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर हों और जो न तो किसी के जन-मार्ग या जल-मार्ग हों और न प्रान्तीय सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या किसी ऐसे दूसरे अधिकारी के, जिसको प्रान्तीय सरकार ने नियत किया हो; नियन्त्रण में हों, और वह ऐसे सब काम करेगी जो उनकी अच्छी दशा में बनाये रखने और उनकी मरम्मत करने के लिये आवश्यक हों और वह—

(क) नये पुल या पुलिया बनवायेगी,

(ख) किसी जन-मार्ग, पुलिया या पुल को या तो बदल देगी या छोड़ देगी या बन्द कर देगी,

(ग) किसी जन-मार्ग, पुलिया या पुल को आस-पास के खेतों को कम से कम नुकसान पहुँचाते हुए चौड़ा करेगी; विस्तृत करेगी, बढ़ाएगी या उनमें किसी और तरह से सुधार करेगी,

(घ) पानी के रास्तों (जल-मार्गों) को और गहरा करेगी या उनमें किसी और तरह से सुधार करेगी.

सन् १८७३ ई० का ऐक्ट नं० ८

(ङ) नियत किये हुए अधिकारी की स्वीकृति से और जहाँ उत्तरी भारत की नहर और सिंचाई के (नार्दन इण्डिया केनाल एण्ड्रेनेज) ऐक्ट, सन् १८७३ ई० के अधीन कोई नहर हो, ऐसे

अफसर की भी स्वीकृति लेकर, जिसे प्रान्तीय सरकार करे, सिंचाई की छोटी योजनायें चालू करेगी;

(च) ऐसी झाड़ी या पेड़ की शाख को काटेगी जो जन-मार्ग पर झुक आई हों;

(छ) सार्वजनिक उपयोग में आने वाले किसी स्रोत (चश्मे) को केवल पानी पीने या खाना बनाने इत्यादि के काम के लिये सुरक्षित रखने की घोषणा करेगी, और उसे नहाने, कपड़े धोने और जानवरों को नहलाने या ऐसे दूसरे काम के लिये उपयोग में लाने की मनाही कर देगी, जिससे ऐसे सुरक्षित रक्खे हुये स्रोत के गन्दा होने की आशंका हो।

पर शर्त यह है कि किसी ऐसे अधिकारी की पहले आज्ञा लिये बिना जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में नियत किया हो, वाक्य-खण्ड (छ) के अधीन कोई ऐसा काम न किया जायगा जो किसी ऐसी नहर के बारे में हों जिस पर उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई के (नार्दर्न इण्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज) ऐक्ट नं० ८ सन् १८७३ ई० लागू हो।

सफ़ाई सम्बन्धी सुधार

१८—सफ़ाई-सम्बन्धी सुधार के लिये किसी गाँव-पंचायत को अधिकार होगा कि वह एक नोटिस द्वारा किसी भूमि या इमारत के मालिक या उस भूमि या इमारत पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उसे यथोचित समय देकर निम्नलिखित बातों को करने के लिये आदेश दे :—

(क) किसी पाखाने, पेशाबखाने, नाबदान, नाली, चहबच्चा या दूसरी गंदगी का बर्तन, मोरी का गन्दा पानी कूड़ा—करकट या मैला जमा करने की जगह, जो ऐसी भूमि या इमारत से सम्बन्धित हो, बन्द करना, हटाना, उसमें परिवर्तन करना उसकी मरम्मत

करना, उसकी सफ़ाई करना, कीटाणुनाशक दवाइयों द्वारा उसे शुद्ध करना या अच्छी दशा में रखना, या किसी एक ऐसे पाखाने. पेशाव-खाने या नाबदान को जो किसी सड़क या नाली पर खुलता हो, हटाना या उसके किसी दरवाजे या कठद्वार को बदलना या उसके लिये नाली बनाना, या ऐसे पाखाने, पेशावखाने या नावदान को एक उपयुक्त छत और दीवार या आढ़ द्वारा राहगीरों या पड़ोस में रहने वालों की दृष्टि से छिपाये रखना;

(ख) किसी निजी कुएँ, तालाव; हौज़ जूहड़ (पोखर) गड्ढा, या खुदी हुई गहरी जगह को जो उस भूमि या इमारत में हो जो गाँव-पञ्चायत की राय में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो या पड़ोस में रहने वालों के लिये नागवार हो, साफ़ करना, उसकी मरम्मत करना. उसे ढँक देना, भरना, गहरा करना या उनमें से पानी निकलवाना;

(ग) वहाँ से वनस्पति, पेड़ों के नीचे उगने वाली छोटी झाड़ियाँ, नागफनी या स्क्रब जंगल को साफ़ करा देना;

(घ) वहाँ से धूल, गोबर, ग़लीज़, खाद या किसी बदबूदार चीज को हटाना और भूमि या इमारत की सफ़ाई करना।

पर शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जिसे वाक्य-खण्ड (ख) के अधीन नोटिस दिया गया हो, नोटिस मिलने के ३० दिन के भीतर ऐसे नोटिस के विरुद्ध "डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ' के पास अपील कर सकता है जो उस नोटिस को बदल सकता है. रद्द कर सकता है या बहाल कर सकता है।

स्कूल और अस्पतालों को चलाना और उनमें सुधार करना

१९—(१) किसी गाँव-पञ्चायत को उचित होगा—

(क) कि वह उन नियमों के अनुसार जो पाठ्य-पुस्तकों की सूची, ट्रेण्ड अध्यापकों की नियुक्ति और योग्यता और स्कूल की

देख-रेख के बारे में बनाये जायँ, किसी वर्तमान प्राइमरी स्कूल का और उसकी इमारतों और फ़र्नीचर का खर्च उठाये और उस स्कूल को ठीक ढंग से चलाने की ज़िम्मेदारी ले और उसका अधिकार होगा कि वह इसी तरह का कोई नया स्कूल स्थापित करे और उसका ख़र्च उठावे या किसी मौजूदा स्कूल की हालत सुधारें।

(ख) कि वह उन नियमों की पाबन्दी के साथ, जो अस्पताल या शफ़ाखाना खोलने, उन्हें क़ायम रखने और उसकी देख भाल के बारे में बनाये जायँ किसी वर्तमान आयुर्वेदिक या यूनानी अस्पताल या शफ़ाखाने का और इसकी इमारत और सामान का खर्च उठाये और उसको अधिकार होगा कि वह चिकित्सा के ऊपर बताये गये तरीकों में से एक या एक से अधिक तरीकों के लिये कोई नया अस्पताल या शफ़ाखाना खोले और ठीक ढंग से चलाये।

(२) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्रान्तीय सरकार ऐसे स्कूलों अस्पतालों और शफाखानों के लिये उतनी आर्थिक सहायता देगी जितनी कि नियत की जाय।

कुछ गांव-सभाओं के समूह में प्राइमरी स्कूल और अस्ताल या शफ़ाख़ाना खोलना

२०—जब पड़ोसी की कुछ गाँव सभाओं के क्षेत्र में कोई प्राइमरी स्कूल या आयुर्वेदिक या यूनानी अस्पताल या शफ़ाख़ाना न हो, यदि नियत अधिकारी ऐसी आज्ञा दे, तो वहाँ की गाँव-पञ्चायत मिल कर कोई ऐसा स्कूल, अस्पताल या शफ़ाख़ाना खोल लेंगे और उसका खर्च उठायेंगे और उसे ढङ्ग के अनुसार उसका प्रबन्ध किया जायगा और उन्हें आर्थिक सहायता दी जायगी जो इस स [illegible]

नियत किया गया हो प्रांतीय सरकार और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसे स्कूल, अस्पताल या शफ़ाख़ाना के लिये ऐसी आर्थिक सहायता देगी जो उनके लिये नियत की जाय।

सरकारी कर्मचारियों को सहायता

२१—किसी गांव-पञ्चायत को मान्य होगा कि वह, यदि प्रान्तीय सरकार कोई ऐसी आज्ञा दे और जहाँ तक सम्भव हो, अपनी सीमा के अन्दर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके काम में सहायत दे।

गाँव पञ्चायतों की ओर से प्रार्थना पत्र और सिफ़ारिशें

२२—किसी गाँव-पञ्चायत को अधिकार होगा कि वह उपयुक्त अधिकारी के पास—

(क) अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वालों की भलाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दे; और

(ख) ऐसी गाँव-पञ्चायत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर काम करने वाले सिंचाई-विभाग में पतरौल, पटवारी या मुखिया की नियुक्ति, बदली या बरख़ास्तगी के लिये सिफ़ारिश करे।

कुछ अफ़सरों के दुराचरण के बारे में जांच करने और रिपोर्ट देने का अधिकार

२३—किसी गाँव-पञ्चायत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति से अमीन, मज़कूरी, टीका लगाने वाला, सिपाही (कान्स्टेबुल) पटवारी, सिंचाई-विभाग के पतरौल या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के विरुद्ध सरकारी कर्त्तव्यों के पालन करने में, दुराचरण के बारे में शिकायत मिलने पर, ऐसी पञ्चायत को, यदि प्रकट रूप से प्रमाण हो, अधिकार होगा कि वह उस शिकायत को अपनी रिपोर्ट के साथ उपयुक्त अधिकारी के पास भेज दें। उस

अधिकारी के लिये मान्य होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने पर, जो करना आवश्यक हो, उपयुक्त कार्यवाही करे और उसके नतीजे की सूचना गाँव-पञ्चायत को भेज दे।

नोट—सरकारी कर्मचारियों में जो (misconduct) घूस-खोरी, रुपया ऐंठने की कोशिश और तङ्ग करते और उसके न मिलने पर काम में लापरवाही करते इत्यादि बातों की गाँव पञ्चायत रिपोर्ट उपयुक्त अफ़सर को कर सकती है।

मालिकों के लिये टैक्स और दूसरे महसूल करने के बारे में मुआहिदा करने का अधिकार

२४—किसी गाँव-पञ्चायत को अधिकार होगा कि वह नियत तरीक़े पर और किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर हो—

(क) प्रान्तीय सरकार की ओर से तहसील-वसूल के ख़र्च के रूप में ऐसी रक़म दिये जाने पर, जो नियत की जाय, ऐसे कोई टैक्स या महसूल को, जो श्रीमान् सम्राट को वाजिबुल अदा हो वसूल करने के लिये प्रान्तीय सरकार से मुआहिदा करे, या

(ख) किसी मालिक या सभी मालिकों की ओर से तहसील वसूल के ख़र्च के रूप में ऐसी रक़म दिये जाने पर, जो नियत की जाय, उसको या उनकी ओर से लगान वसूल करने के लिये सभी मालिकों या उनमें से किसी एक मालिक से मुआहिदा करे।

कर्मचारी

२५—(१) किसी गाँव-पञ्चायत के लिये मान्य होगा कि यह नियत नियमों के अनुसार एक सेक्रेटरी नियुक्त करे और नियत अधिकारी के पास उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो वह पूरे समय

के लिये या कुछ समय के लिये रखना चाहती हो. वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, जो उनको दिये जायेंगे और उनमें से हर एक कामों के बारे में अपने प्रस्ताव भेजें। नियत अधिकारी को अधिकार होगा कि वह नियत तरीके पर प्रस्तावों को स्वीकार करे, उनमें संशोधन करे या उन्हें अस्वीकार करे। गाँव-पञ्चायत को अधिकार होगा कि तब वह नियत अधिकारी द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करे।

(२) नियत अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की पाबन्दी के साथ, गाँव-पञ्चायत उपरोक्त योजना के कोई परिवर्तन कर सकती है।

(३) उपधार (१) में भले हो कोई बात हो, गाँव-पंचायत आकस्मिक आवश्यकता के समय नियत अधिकारी की स्वीकृति लिये बिना भी किसी कर्मचारी को ऐसी अवधि के लिये नियुक्त कर सकती है जो तीन महीने से अधिक न हो।

(४) गांव-पंचायत के किसी कर्मचारी कोनियुक्त करने, अलग करने या बर्खास्त करने के अधिकार को पंचायत प्रयोग में लायेगी, लेकिन दंड देने, अनुशासन सम्बन्धी कारवाई करने या तरक्की देने के अधिकार पंचायत के किसी ऐसे अधिकारी को दिये जा सकते हैं, जो निर्मात किया जाय पर शर्त यह है कि ऐसे अफ़सर के हुक्म के विरुद्ध अपील नियत तरीक़े के अनुसार गाँव--पंचायत के सामने हो सकेगी।

व्यक्तिगत मेम्बरों का अधिकार

२६—किसी गांव-पञ्चायत के मेम्बर को अधिकार होगा कि वह नियत तरीक़े के अनुसार, गांव—पञ्चायत की शासन प्रबन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में कोई प्रस्ताव पेश करे और सभापति या उपसभापति से उनके बारे में सवाल करे।

गांव—पञ्चायत के धन या सम्पत्ति की हानि, उसके अपव्यय या वेजा इस्तेमाल के लिये सज़ा

२७—(१) इस ऐक्ट के अधीन बनाई गई गांव-पञ्चायती या संयुक्त-कमेटी या किसी ऐसी दूसरी कमेटी का प्रत्येक मेम्बर गांव-पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, उसके अपव्यम या वेजा इस्तेमाल के लिये उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, या वेजा इस्तेमाल उसकी लापरवाही या दुराचरण का प्रत्यक्ष फल हो, जब कि वह गाँव-पञ्चायत की संयुक्त कमेटी का मेम्बर था और गाँव-पञ्चायत, नियत अधिकारी की पहिले से स्वीकृति लेकर, उसके विरुद्ध मुआवजे के लिये नालिश दायर करे।

(२) यदि नियत अधिकारी उपधारा (१) के अधीन नालिश दायर करने की स्वीकृति दे दे या स्वीकृति देने से मना कर दे, तो सम्बन्धित मेम्बर या गाँव-पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति की तारीख़ से ३० दिन के भीतर प्रान्तीय सरकार या ऐसे अधिकारी को जिसके यहाँ अपील की जा सकती हो उपरोक्त स्वीकृति या अस्वीकृति के विरुद्ध अपील कर सकती है।

(३) प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार होगा कि उपधारा (१) में बताई गई किसी नालिश को स्वयं दायर करे।

मेम्बर और कर्मचारी जन- सेवक समझे जायेंगे

२८—किसी पंचायती अदालत या गाँव-पंचायत या संयुक्त-कमेटी या इस ऐक्ट के अधीन बनाई गई किसी दूसरी कमेटी का प्रत्येक मेम्बर या कर्मचारी भारतीय दण्ड-संग्रह की धारा २१ के अन्तर्गत जन-सेवक (Public Servant) समझा जायगा।

सन् १८६० ई० का ऐक्ट नं० ४५ कमेटी

२९—नियत शर्तों की पाबन्दी के साथ कोई गाँव-पंचायत अपने नियत कर्त्तव्य या किसी प्रकार के कर्त्तव्यों को पूरा करने में सहायता

करने के लिये, एक कमेटी बना सकती है और ऐसी कमेटी को अपने ऐसे अधिकार दे सकती है जो ऐसी सहायता देने के लिये आवश्यक हों।

संयुक्त कमेटी

३०—(१) ऐसे नियमों की पाबन्दी के साथ जो नियत किये जायें, दो या उससे अधिक गांव-सभाएं कोई ऐसे कार बार करने के लिये जिसमें उनका संयुक्त रूप से हित हो, एक लिखित दस्तावेज के द्वारा अपने प्रति-निधियों की एक संयुक्त कमेटी नियुक्त करने के लिये आपस में सम्मिलित हो सकती है और वे—

(क) ऐसी कमेटी को, ऐसी शर्तों के साथ जो वे ठीक समझें, अधिकार दे सकती है कि वह किसी संयुक्त इमारती काम के निर्माण और उसे बनाये रखने के सम्बन्ध में और ऐसे अधिकार नियत करने के लिये जो ऐसी योजना के सम्बन्ध में कोई ऐसी सभा प्रयोग में ला सकती है, एक ऐसी योजना तैयार करे जो ऐसी हर गांव सभा को मान्य होगा।

(ख) ऐसी कमेटी के जारी रहने, उसके मेम्बरों के पद पर रहने की अवधि और उसकी कारवाइयां करने के ढंग और पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है

(२) इस धारा के अधीन काम करने वाली गांव-सभाओं के बीच यदि कोई मतभेद पैदा हो जाय, तो यह मतभेद नियत अधिकारी के हवाले किया जायगा और इस पर उसका निर्णय अन्तिम समझा जाया।

अधिकारों का सौंपना

३१—गाँव-सभा के कुल कर्त्तव्यों, अधिकारों और दूसरे कामों को सिवाय उनके, जिनका उल्लेख अध्याय ३ और धारा ३० और

११४ में किया गया है गाँव-पंचायत स्वयं प्रयोग में लायेगी, इस्तेमाल करेगी या पालन करेगी और दूसरी प्रकार न प्रयोग में लायेगी न इस्तेमाल करेगी, न पालन करेगी।

गाँव-कोष (फंड)

३२—(१) हर गाँव-सभा के अधिकार में एक गाँव-कोष (फंड) होगा जिसे गाँव-पंचायत धारा १३ के अधीन पास किये गये बजट में दी हुई रक़मों की पाबन्दी के साथ, इस ऐक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में होने वाले ख़र्चों को उठाने के लिये इस्तेमाल करेगी।

(२) गाँव-कोष (फंड) में निम्नलिखित रक़में जमा होंगी :—

(क) इस ऐक्ट के अधीन लगाये गये किसी टैक्स से वसूल की हुई रकमें ;

(ख) ऐसी कुल रकमें जो प्रान्तीय सरकार ने गाँव-सभा के सुपुर्द कर दी हों;

(ग) बकाया यदि कोई हो, जो ऐसी गाँव-पञ्चायत के खाते में जमा हो जो "गाँव-पञ्चायत ऐक्ट" के अधीन पहले से बनी हो;

(घ) ऐसी सब रक़में जो किसी अदालत के हुक्म से गाँव-कोष (फंड) में जमा की जायें;

(ङ) ऐसी कुल रकमें जो धारा १०४ के अधीन प्राप्त हों;

(च) गाँव-पञ्चायत के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ कूड़ा-करकट, घूर, गोबर या पांस तथा मरे हुये जानवरों की लाशें इत्यादि के बेचने से जो आमदनी हो;

(छ) नजूल की भूमि के लगान का या उससे होने वाला दूसरी आमदनियों का वह भाग जिसके बारे में प्रान्तीय सरकार ने गाँव-कोष (फंड) में जमा करने के आदेश किये हों;

(ज) ऐसी रक़में जो गाँव-कोष (फंड)के लिये कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरा स्थानीय अधिकारी (लोकल अथारिटी) दे।

(झ) वे सब रकमें जो ऋण या दान के रूप में प्राप्त हों;

(ञ) ऐसी दूसरी रकम जो प्रान्तीय सरकार के किसी साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा गाँव-कोष (फंड) के लिये दे दी जायें;

(त) वे सब रक़में जो धारा २४ के अधीन या किसी दूसरे क़ानून के अधीन गाँव-पञ्चायत का किसी व्यक्ति या कारपोरेशन या प्रान्तीय सरकार से मिली हों।

(३) इस धारा के किसी आदेश से किसी गाँव-सभा के किसी ऐसे दायित्व पर प्रभाव न पड़ेगा जो किसी ऐसे ट्रस्ट के करण उस पर आया हो जो क़ानून द्वारा उसके सुपुर्द किया गया हो या जिसे उसने स्वयं स्वीकार किया हो।

गाँव-पञ्चायत जो वसूली प्रान्तीय सरकार अथवा मालिकों की ओर से करे उसको गाँव-कोष जमा करेगा।

अध्याय ५

भूमि, गांव-कोष (फण्ड) और सम्पत्ति प्राप्त करना

१३—जब किसी गाँव-सभा को या ऐसी बहुत सी गाँव-सभाओं को जो धारा २० या ३० के आदेशों के अधीन सम्मिलित हो गई हों, इस ऐक्ट के किसी उद्देश्य के लिये, किसी भूमि की आवश्यकता हो तो वह सभा या वे सभायें पहिले उस भूमि को आपसी बातचीत के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करेगी या करेंगी और यदि सम्बन्धित दोनों पक्ष आपस में कोई समझौता न कर सकें तो ऐसी गाँव-सभा या गाँव सभायें कलक्टर को नियत फार्म में उस भूमि को प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त दे सकती है या दे सकती हैं और कलक्टर

ऐसी भूमि को ऐसी गाँव-सभा या गाँवसभाओं के लिये प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में शब्द 'भूमि' में ऐसे लाभ जो भूमि से प्राप्त हों और ऐसी चीजें सम्मिलित हैं जो 'भूमि' से लगी हुई हों या किसी ऐसी चीज़ से स्थायी रूप से बन्धी हुई हों जो भूमि से लगी हुई हों।

सम्पत्ति, जिस पर गांव-सभा का अधिकार होगा

३४—(१) ऐसी विशेष शर्तों की पाबन्दी करते हुये जिन्हें प्रान्तीय सरकार नियत करे, गांव-सभा के अधिकार क्षेत्र के अन्दर स्थित सारी सरकारी सम्पत्ति गाँव-सभा की सम्पत्ति होगी या उसके अधिकार में होगी और यह सम्पत्ति, ऐसी दूसरी सारी सम्पत्तियों के सहित जो गाँव-सभा के अधिकार में आ जाय, उसके देखरेख में या प्रबन्ध में या उसके नियन्त्रण में रहेगी।

(२) सारे बज़ारों और मेलों या उनके ऐसे भाग का, जो सरकारी भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और नियन्त्रण गाँव-पंचायत करेगी और गाँव-सभा गाँव कोष (फंड) के नाम में इन बाज़ारों और मेलों के सम्बन्ध में नियत या लगाये हुये कुल महसूल वसूल करेगी।

दावों का निपटाया जाना

३५—जब धारा ३४ में बताई हुई कसी सम्पत्ति की मिल्कियत (स्वामित्व) के बारे में गाँव-सभा और किसी व्यक्ति के बीच झगड़ा हो, तो गाँव-पंचायत उक्त व्यक्ति को अपना बयान देने के लिये उचित अवसर देगी और उसके बाद यह निर्णय करेगी कि उस सम्पत्ति को गांव-सभा की मिल्कियत (स्वामित्व) समझी जाय या नहीं।

ऋण लेने का अधिकार

३६—नियत अधिकारी की आज्ञा लेकर और ऐसी सब शर्तों की पाबन्दी करते हुये जो नियत की गई हों, गाँव-सभा इस ऐक्ट के किसी भी उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रान्तीय सरकार से ऋण ले सकती है।

टैक्स जो लगाये जा सकते हैं

३७ नियत नियमों और ऐसे आदेशों की पाबन्दी के साथ जो प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में बनाये हों, कोई गाँव सभा निम्नलिखित टैक्स लगा सकती है :—

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं १७, सन् १९३९ ई०

(क) एक टैक्स ऐक्ट क़ब्ज़ा आराज़ी संयुक्त प्रान्त, एक्ट नं० १७ सन् १६३६ ई० के आदेशों के अधीन अदा किये जाने वाले लगान पर, जो ऐसे लगान के एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा, और उक्त टैक्स उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा, जो उस पर अलग-अलग या सम्मिलत रूप से काश्तकाराना (कृषि-सम्बन्धी) क़बज़ा रखता हो या रखते हों या जिसको या जिनको उससे सायर की आमदनी मिलती हों।

पर शर्त यह है कि यदि कोई सीर या किसी दूसरी आराज़ी (भूमि) का शिकमी असामी किसी आराज़ी पर काश्त करता हो तो इस धारा के अधीन जो टैक्स की रक़म लगाई जायगी वह ऐसे शिकमी असामी और सीर के मालिक या असल असामी से, जैसी भी स्थिति हो, ३।४ और १।४ के अनुपात से क्रमशः वसूल की जायगी।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं १७, सन् १९३९ ई०

(ख) एक टैक्स उस लगान पर जो कोई मालिक या

मातहतदार ऐसी आराज़ी के सम्बन्ध में वसूल करता हो जिसकी व्याख्या ऐक्ट क़ब्ज़ो संयुक्त प्रान्त, सन् १९३९ ई० की धारा ३ में की गई है, और जो ऐसे लगान के ६ पाई प्रति रुपया से अधिक न होगा। उपरोक्त टैक्स उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से क़ाबिल अदा होगा जो ऐक्ट मालगुज़ारी आराज़ी संयुक्त प्रांत, एक्ट न० ३ सन् १९०१ ई० की धारा ३२ के आदेशों के अनुसार ऐसी आराज़ी के अलग-अलग या संयुक्त रूप से मालिक या मातहतदार की हैसियत से क़ब्ज़ा रखने वाले दर्ज हों।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० ३, सन् १९०१ ई०

(ग) एक टैक्स ऐसी आराज़ी सीर या खुदकाश्त को मान ली हुई जमाबन्दी की मालियत पर जिसका हिसाब ऐक्ट मालगुज़ारी आराज़ी संयुक्त प्रान्त सन् १९०१ ई० की धारा ६३ (घ) के शर्तिया वाक्य-खंड के अनुसार लगाया जायगा। उपरोक्त टैक्स हर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से क़ाबिल अदा होगा जो ऐक्ट मालगुज़ारी आराज़ी संयुक्त प्रांत, सन् १९०१ ई० की धारा ३२ के आदेशों के अनुसार ऐसी सीर के अलग-अलग या संयुक्त रूप से मालिक या मातहतदार की हैसियत से क़ब्ज़ा रखने वाले दर्ज हों, और यह टैक्स एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा।

(घ) एक टैक्स व्यापार, कारबार और पेशों पर जो ऐसी दर से अधिक न होगा जो नियत की जाय।

(ङ) एक टैक्स उन इमारतों पर जो ऐसे व्यक्तियों की मिल्कियत (स्वामित्व) में हों जो ऊपर दिये हुये कोई टैक्स अदा न करते हों, और जो ऐसी दर से अधिक न होगा जो नियत की जाय।

(२) उपधारा (१) के वाक्य खण्डों (क), (ख) या (ग) के अधीन कोई टैक्स अकेला न लगाया जायगा, और यदि कोई टैक्स ऊपर दिये हुए तीनों वाक्यखण्डों में से किसी के अधीन लगाया जायगा तो दूसरे दोनों वाक्यखण्डों के अधीन भी टैक्स लगा दिये जायेंगे और तीनों वाक्यखण्डों के अधीन लगाये हुये टैक्सों की दरों में वही पारस्परिक अनुपात होगा जो अधिक से अधिक नियत की गई दरों में हो।

स्पष्टीकरण यदि कोई गाँव-सभा उपधारा (१) के वाक्य-खण्ड (क) और (ग) के अधीन आध आना प्रति रुपया के हिसाब से एक टैक्स लगाती है तो उक्त उपधारा के वाक्य-खण्ड (ख) के अधीन एक टैक्स उस लगान पर भी जो आराजी के मालिकों को क़ाबिल अदा होगा १।४ आने प्रति रुपया के हिसाब से लगाया जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन टैक्स ऐसे तरीक़े पर लगाये, तशख़ीस और वसूल किये जायेंगे और ऐसे समय पर अदा या वसूल होंगे जो नियत किये जायें।

मतालबों की वसूली कोष (फन्ड) की रक्षा और हिसाब

३८—नियत किये हुए नियमों की पाबन्दी के साथ गाँव-पञ्चायत, पञ्चायत के टैक्सों और मतालबों की वसूली, कोष (फंड) की रक्षा और हिसाब-किताब रखने का प्रबन्ध करेगी।

३९—(१) पञ्चायती अदालत के खर्च उस क्षेत्र के हर यूनिट के गाँवकोष (फंड) से बराबर अनुपात से वसूल किये जायंगे।

(२) ऐसी सारी रक़में जो किसी मुकद्दमे, नालिश या क़ानूनी कार्रवाई के सिलसिले में कोर्ट फ़ीस के तौर पर वसूल की गई हों या जो जुर्माने के तौर पर उन मुकद्दमों में वसूल की गई हों

जिनकी पञ्चायती अदालत ने सुनवाई की हो और जिनका उसने फैसला किया हो, प्रान्तीय सरकार बराबर अनुपात से उन गाँव-सभाओं को दे देगी जो उस पञ्चायती अदालत के अधिकार-क्षेत्र में हों।

हिसाब की जाँच

४०—नियत नियमों के अनुसार हर गाँव सभा के हिसाबों की हर वर्ष जांच की जायगी।

४१—(१) [क] प्रत्येक गाँव-पञ्चायत प्रति वर्ष आगामी वर्ष के लिए जो हर पहली अप्रैल से प्रारम्भ होगा अपने आय-व्यय का आनुमानित बजट तैयार करके गाँव-सभा की 'खरीफ़' फसल की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

[ख] प्रत्येक गाँव-पञ्चायत अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे गाँव-सभा की 'रबी' की बैठक में प्रस्तुत करेगी जिस में वास्तविक और आनुमानित आय-व्यय का हिसाब उस वर्ष के लिये दिया होगा जो बैठक से पहिले गत मार्च की ३१ तारीख को समाप्त हुआ।

(२) गाँव-सभा नियत ढङ्ग के अनुसार उस बजट को जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाय स्वीकार कर सकती है या उस पर फिर से विचार करने के लिये उसे ऐसे आदेशों के साथ जिनका देना वह उचित समझे, गाँव-पञ्चायत के पास वापस भेज सकती है और इसी प्रकार का रिपोर्ट या किसी दूसरे मामले के बारे में सिफ़ारिशी प्रस्ताव भी स्वीकार कर सकती है।

(३) यदि बजट फिर से विचार करने के लिये गाँव-पञ्चायत के पास भेज दिया जाय, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो सभापति गाँव-सभा की एक असाधारण बैठक करेगा जो उक्त वार्षिक बैठक की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर होगी और

गाँव-पञ्चायत उक्त बैठक में उस बजट को ऐसे संशोधनों के साथ जो सभा के आदेशों के अनुसार आवश्यक हों फिर से प्रस्तुत करेगी और तब गाँव-सभा नियत ढंग के अनुसार बजट को स्वीकृत करेगी।

इस सम्बन्ध में बनाये हुये नियमों के अधीन बजट नियत अधिकारी की स्वीकृति के बाद कार्यान्वित होगा और कोई गाँव पञ्चायत नियत अधिकारी की स्वीकृति से बजट में परि-वर्तन या संशोधन किये बिना बजट की किसी मद में उस रक़म से अधिक खर्च कर सकती है जो उसी मद में स्वीकृत की गई हो।

अध्याय ६

पञ्चायती अदालत

४२ – प्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी जिले को ऐसे क्षेत्रों में बांटेगा जिनमें गाँव सभाओं की अधिकार-सीमा के अधीन उतने स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित हों जितने उसके राय में आवश्यक हों और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के लिये एक पञ्चायती अदालत स्थापित करेगी या करेगा।

पर शर्त यह है कि हर इलाक़े में गाँव-सभाओं के क्षेत्र जहाँ तक सम्भव हो, एक दूसरे से मिले हुये हों।

पञ्चायती-अदालत का विधान

४३ – किसी क्षेत्र की प्रत्येक गाँव-सभा उक्त क्षेत्र की पञ्चा-यती अदालत में पञ्चों की हैसियत से काम करने के लिये नियत योग्यता रखने वाले पांच ऐसे प्रौढ़ चुनेगी जो स्थायी रूप से उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले हों। किसी क्षेत्र के

सारे गाँव-सभाओं के इस प्रकार चुने हुये पञ्चों का पञ्चमन्डल होगा।

सरपञ्च का चुनाव

४४—धारा ४३ के अधीन चुने हुए सब पञ्च पञ्चायती अदालत के सरपञ्च का काम करने के लिये अपने में से एक ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो कार्यवाहियां लिखने की योग्यता रखता हो।

पर शर्त यह है कि ऐसे चुनाव से पैदा होने वाला कोई झगड़ा (निर्णय के लिये) उस नियत अधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और जिस पर किसी कानूनी अदालत में आपत्ति न की जा सकेगी।

पञ्चायती अदालतों की अवधि

४५—प्रत्येक पञ्च अपने चुनाव की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा।

पदग्रहण की शपथ

४६—धारा ४३ के अधीन चुने हुये प्रत्येक पञ्च को चुने जाने के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो, नियत ढङ्ग के अनुसार पद-ग्रहण की शपथ लेनी पड़ेगी।

इस्तीफ़े

४७—कोई पंच अपने ओहदे का इस्तीफ़ा नियत अधिकारी को दे सकता है।

अलग किया जाना

४८—(१) नियत अधिकारी नियत ढङ्ग के अनुसार नियत किये हुये कारणों के आधार पर किसी पंच को किसी भी समय अलग कर सकता है।

(२) किसी पञ्च को जिसे उपधारा (१) के अधीन अलग किया गया हो, ३ साल तक दुबारा पंच चुने जाने का अधिकार न होगा।

४९—(१) सरपंच प्रत्येक मुक़द्दमे, नालिश या कार्रवाई के लिये पञ्च-मंडल (पैनल) में से पांच पंचों का एक बेंच नियुक्त करेगा, पर शर्त यह है कि बेंच में कम से कम एक पंच ऐसा व्यक्ति होगा जो शहादतों और कार्रवाइयों को लिखने की योग्यता रखता हो।

(२) प्रत्येक ऐसी बेंच में एक पंच ऐसा होगा जो गाँव-सभा के उस इलाक़े का रहने वाला हो जिसमें वह व्यक्ति रहता हो जो किसी नालिश या कानूनी क़ारवाई में मुद्दई हो या किसी मुक़द्दमे में मुस्तग़ीस हो और इसी तरह एक पंच ऐसा होगा जो गाँव-सभा के उस क्षेत्र में रहता हो जिसमें मुद्दाअलह या अभियुक्त रहता हो और तीन पंच ऐसे होंगे जो गाँव-सभा के उन क्षेत्रों के रहने वाले हों जिनमें दोनों फ़रीकों में से कोई न रहता हो, पर शर्त यह है कि पुलिस के मुक़द्मों में एक पंच ऐसा होगा जो गाँव-सभा के उस क्षेत्र में रहता हो जहाँ अपराध किया गया हो और एक पंच गांव-सभा के उस क्षेत्र का रहने वाला होगा जिसमें अभियुक्त रहता हो और तीन पंच उन क्षेत्रों के रहने वाले होंगे जो ऊपर बताये गये क्षेत्रों के अलावा दूसरी जगह रहते हों।

(३) कोई पंच या सरपंच किसी ऐसी नालिश, मुक़द्मे या कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, जिसमें वह या उसका निकट सम्बन्धी या मालिक या नौकर या रोजगार में उसका साझी एक पक्ष में हो या जिसमें उनके से किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो।

(४) इस धारा की शर्तों के होते हुए प्रान्तीय सरकार किसी झगड़े का निर्णय करने के लिये जो विभिन्न पक्षों या भिन्न-

भिन्न क्षेत्रों की गाँव-सभाओं के बीच में पैदा हो या किसी अन्य प्रयोजन के लिये नियमों के अनुसार खास बेंचों का विधान नियत कर सकती है।

इत्तिफ़ाक़िया खाली होने वाली जगहों का भरा जाना

५०—यदि किसी पंच की जगह उसकी मृत्यु हो जाने, उसके अलग किये जाने या इस्तीफा दे देने के कारण खाली हो तो वह जगह धारा ४६ में दिये हुये ढङ्ग के अनुसार भरी जायगी और यदि जगह खाली करने वाला पंच सरपंच हो तो धारा ४७ के अनुसार एक सरपञ्च चुना जायगा।

अधिकार-सीमा का क्षेत्र

५१—(१) दण्ड-विधि संग्रह एक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० में किसी बात के होते हुए भी इस ऐक्ट के अधीन दायर किया हुआ प्रत्येक मुक़द्मा उस क्षेत्र की पञ्चायती अदालत के सामने दायर किया जायगा जिसमें अपराध किया गया हो।

नोट—देखिये धारा ४३ और ४४ जिसके अनुसार पञ्च और सरपञ्च चुने जायेंगे।

सन् १९०८ ई० का ऐक्ट नं० ५

(२) दीवानी नियम संग्रह सन् १९०८ ई० में भले ही कोई बात हो. इस ऐक्ट के अधीन दायार किया हुआ प्रत्येक मुक़द्मा उस क्षेत्र की पञ्चायती अदालत के सामने दायर किया जायगा जिसमें मुद्दाअलेह या यदि एक से अधिक मुद्दाअलेह हों तो उनमें से कोई एक मुद्दाअलेह साधारणतया रहता हो या मुक़द्मा दायर करने के समय वहां कार-बार करता हो, भले ही उसके कार्य का कारण कहीं पैदा हुआ हो।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३ सन् १९०१ ई०

(३) ऐक्ट मालगुज़ारी संयुक्त प्रांत एक्ट नं० ३ सन् १९०१ ई०

में भले ही कोई बात हो तहसीलदार धारा ७० के अधीन प्रत्येक कार्रवाई को उस स्थानीय क्षेत्र की पञ्चायती अदालत के सुपुर्द करेगा जिसमें सम्बन्धित आराजी स्थित हो और पञ्चायती अदालत ऐसी कार्रवाइयों का नियत ढङ्ग से फ़ैसला करेगी।

पर शर्त यह है कि जहां एक से अधिक पञ्चायती अदालतों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित आराजी से सम्बन्ध हो वह उस पञ्चायती अदालत की अधिकार—सीमा में होगी जिसमें दर्ज किया हुआ असामी या मालिक साधारणतया रहता हो, या यदि वह उनमें से किसी में न रहता हो तो तहसीलदार उन कार्रवाइयों को उस क्षेत्र की पञ्चायती अदालत को सुपुर्द करेगा जिसमें आराजी का अधिक भाग स्थित हो।

५२—(१) नीचे दी हुई धाराओं के अधीन यदि अपराध किसी पञ्चायती अदालत की अधिकार-सीमा में किये जायँ, तो उनकी और साथ-साथ ऐसे अपराधों के करने के लिये जो प्रोत्साहन दिये जायें या उनके करने के लिये जो प्रयत्न किये जायें तो उनकी सुनवाई का अधिकार ऐसी पञ्चायती अदालत को होगा।

सन् १८६० ई० का ऐक्ट नं० ४५

(क) भारतीय दंड विधान, सन् १८६० ई० की धारायें १४०, १६०, १७२, १७४, १७९, २६९ २७९, २८३, २८५, २८६, २८९, २९०, २९४, ३२३, ३३४, ३३६, ३४१, ३५२, ३५६, ३५७, ३५८, ३७४, ३७९, ४०३, ४११, (जब कि चोरी या गबन किये हुये माल का, जहाँ तक कि धारा ३७९, ४०३ और ४११ का सम्बन्ध है, मूल्य ५० रुपया से अधिक न हो) ४२६, ४२८ ४३०, ४४७, ४४८, ५०४, ५०६, ५०९ और ५१०।

नोट—भूमिका में इन धाराओं के अर्थ देखिये,

नोट —सार्वजनिक मार्ग पर लड़ाई, सम्मन तामील न करना या

उल्लंघन करना, अश्लील क्रिया तथा गीत, मार-पीट, हमला, किसी को बन्द करने के लिये हमला, जबरदस्ती बेगार ५० रुपये से कम मूल्य की चोरी, भूमि व मकान में अनाधिकार प्रवेश वा अधिकार कर लेना, धमकी, स्त्री की लज्जा अपहरण की चेष्टा आदि पंचायत तै करेगी।

सन् १८७१ ई० का ऐक्ट नं० १,

(ख) जानवरों के अनाधिकार प्रवेश ऐक्ट, सन् १८७१ ई० की धारा २० से २४ तक,

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० १, सन् १९२६ ई०

(ग) संयुक्त प्रान्त की डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की प्रारम्भिक शिक्षा के ऐक्ट, नं० १ सन् १९२६ ई० की धारा १० की उपधारा (१);

(घ) इस ऐक्ट या इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन कोई अपराध,

सन् १८६० ई० का ऐक्ट नं० ३

(ङ) आम मजमे में किमारबाजी (सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने) के ऐक्ट, सन् १८६७ ई० की धारा ३, ४ और ७ के अधीन कोई अपराध;

(च) प्रान्तीय सरकार द्वारा घोषित किये गये किसी दूसरे क़ानून के अधीन कोई दूसरा अपराध जिसकी सुनवाई का अधिकार किसी पञ्चायती अदालत को हो।

सन् १८६९ का ऐक्ट नं० ४५

(२) कोई मुकदमा जिसका सम्बन्ध भारतीय दंड-विधान, सन् १८६० ई० की धारा १४३, १४५, १५१, या १५३ के अधीन किसी अपराध से हो और जो किसी अदालत में विचाराधीन हो, सुनवाई के लिये पंचायती अदालत को भेजा जा सकता है, यदि ऐसी अदालत की राय में अपराध गंभीर न हो।

शान्ति बनाये रखने के लिये ज़मानत

५३—(१) जब किसी पंचायती अदालत के सरपंच के पास यह विश्वाश करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति की ओर से शान्ति भङ्ग किये जाने या सार्वजनिक शान्ति में बाधा डालने की आशंका हो तो वह ऐसे व्यक्ति से जवाव तलब कर सकता है कि वह कारण बताये कि क्यों न उससे ऐसी अवधि तक के वास्ते शान्ति रखने के लिये जो १५ दिन से अधिक का न हो, ऐसा मुचलका-ले लिये जाय जो १०० रुपये से अधिक का न हो, और जो जामिनों सहित या जामिनों के बिना हो सकता है।

(२) सरपंच को मान्य होगा कि ऐसी नोटिस जारी करने के बाद तीन दिन के भीतर एक बेंच क़ायम करे कि वह मामले की कार्रवाई करे. पर शर्त यह है कि बेंच का कम से कम एक पंच उस गाँव-सभा का हो जिसमें ऐसा व्यक्ति रहता हो।

बेंच को अधिकार है कि वह उस आज्ञा को बहाल रखे या ऐसे व्यक्ति या ऐसे गवाहों का बयान सुनने के बाद जिन्हें वह पेश करना चाहे नोटिस को मंसूख कर दे।

दंड

५४—(१) कोई पंचायती अदालत कारावास का दण्ड नहीं दे सकती।

(२) कोई पंचायती अदालत जुर्माना कर सकती है जो १०० रुपये से अधिक न होगा, लेकिन वह जुर्माना न अदा किये जाने की दशा में कारावास का दण्ड नही दे सकती।

नालिशों की सुनवाई इत्यादि

५५ कोई अदालत किसी ऐसे दावे या नालिश की सुनवाई न करेगी जो इस ऐक्ट के अधीन पंचायती अदालत

के सुनने के क़ाबिल हो जब तक कि धारा ८५ के अधीन सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मुन्सिफ ने कोई आज्ञा न दी हो।

नोट—धारा ८५ में पंचायती अदालतों के सम्बन्ध में हाकिम परगना व मुन्सिफों के अधिकार दिये गये हैं।

कुछ सूरतों में फ़ौजदारी की कार्यवाइयों को पञ्चायती अदालत में भेजना

५३— यदि फौजदारी के किसी मुकदमे के बीच में जो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो किसी समय भी यह मालूम हो कि इस मुकदमे की सुनवाई किसी पंचायती अदालत को करना चाहिये तो वह उस मुकदमे को तुरन्त ही उस पंचायती अदालत के पास भेज देगा जो मुकदमे की सुनवाई आरम्भ से करेगी।

इस्तग़ासों को सरसरी तौर पर खारिज करना

५७—पंचायती अदालत किसी भी इस्तगासे को खारिज कर सकती है यदि मुस्तगीस का बयान और ऐसी गवाही जिसे वह पेश करे, लेने के बाद उसको इस बात का विश्वास हो जाय कि यह इस्तगासा परेशान करने के लिये दायर किया गया है या निरर्थक और झूठा है।

इस्तग़ासे को वापस करना

५८—यदि पञ्चायती अदालत को किसी समय भी यह मालूम हो :—

(क) कि उसको उस मुकदमें की सुनवाई का अधिकार नहीं है जो उसके सामने पेश है या;

(ख) कि वह अपराध ऐसा है जिसके सम्बन्ध में वह उचित दण्ड नहीं दे सकती, या

(ग) कि वह मुकद्मा इस तरह का है या इतना पेचीदा है के उसकी सुनवाई किसी बाजाब्ता अदालत को करनी चाहिये तो वह उस मुस्तगीस को वह इस्तगासा वापस कर देगी और इस बात का आदेश करेगी कि वह उसको ऐसे सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे जिसे ऐसे मुकदमे की सुनवाई का अधिकार हो।

नोट—दण्ड-विधि-संग्रह के धारा २५३ में भी ऐसी व्यवस्था दी है।

कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध मुकद्मों की सुनवाई पञ्चायत नहीं कर सकती

५९ - कोई पञ्चायती अदालत किसी ऐसे अपराध की सुनवाई नहीं करेगी जिससे कि मुलजिम (अभियुक्त) को;

(क) पहिले कभी किसी अपराध के लिये तीन वर्ष या उससे अधिक का दोनो में किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(ख) पहिले कभी किसी पञ्चायती अदालत से चोरी के अपराध में जुर्माना का दण्ड दिया हो, या

सन् १९११ ई० का ऐक्ट न ३

(ग) मुलजिम जरायम पेशा जातियो के ऐक्ट; सन १९११ ई० की धारा ४ के अधीन जरायम पेशा जाति का रजिस्टर्ड मेम्बर हो, या

सन् १८९८ ई० का ऐक्ट नं० ५

(घ) दण्ड-विधि-संग्रह) जाब्ता फौजदारी सन १८९८ ई० की धारा १०९ या ११० के अधीन अच्छा चाल चलन रखने के लिये उसका मुचलका हो चुका हो, या

(ङ) जुआ खेलने के अपराध में सजा मिली हो।

मुस्तग़ीसों को मुआवज़ा

६०—जुर्माने का दण्ड देने की दशा में पंचायती अदालत यह आज्ञा दे सकती है कि जुर्माने से वसूल की हुई रकम का कोई भाग या पूरी रकम;

(क) उन खर्चों को पूरा करने के लिये काम में लाई जाये जो मुस्तगीस ने उचित रूप से मुक़द्मे में खर्च किया हो, और

(ख) किसी ऐसी माली नुकसान या क्षति की पूर्ति (मुआविज़े) में दी जाय जो अपराध किये जाने के कारण हुई हो।

मुलज़िम (अभियुक्त) को मुआविज़ा

६१—यदि तहकीकात के बाद किसी पञ्चायती अदालत को इस बात का विश्वास हो जाय कि उसके सामने केवल परेशान करने के लिये निरर्थक और झूठा मुकद्मा पेश किया गया था तो वह उस मुस्तग़ीस को यह आज्ञा दे सकती है कि वह मुलजिम (अभियुक्त) को ऐसा मुआविज़ा अदा करे जो पांच रुपये से अधिक न हों, जैसा कि वह उचित समझे।

मुजरिमों (अपराधियों) को आजमाइश पर रिहा करना संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ६ सन् १९३८ ई०

६२—पंचायती अदालत संयुक्त प्रान्त के 'फर्स्ट' आफ़िन्डर्स प्रोवेशन ऐक्ट सन १९३८ ई० की धारा ४ के अधीन अधिकारों को काम में ला सकती है।

नोट—यानी प्रथम बार मामूली अपराधी को कड़ा दण्ड न देकर सिर्फ नेकचलनी का मुचलका लेकर उपरोक्त एक्ट के अनुसार पंचायती अदालत अभियुक्त को छोड़ सकती है।

मैजिस्ट्रेटों के भेजे हुये मुकदमों की तहक़ीक़ात

सन् १८९८ ई० का ऐक्ट नं० ५

६३—जाब्ता फ़ौजदारी (दण्ड-विधि-संग्रह) सन् १८९८ ई० की धारा २०२ के अधीन कोई मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि पंचायती अदालत किसी ऐसे मुकद्मे में जिसमें कि अपराध उस पंचायती अदालत के अधिकार क्षेत्र में हुआ हो तहकीकात करे और पञ्चायती अदालत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस मुकद्मे की तहकीकात करे और अपनी रिपोर्ट उक्त मैजिस्ट्रेट के पास भेज दे।

नोट—पंचायती न्यायालय बड़े अपराधिय की नहीं सुनेगी—ऐसे मामले मस्ट्रिट के यहाँ भेजे जायँगे।

अधिकार-सीमा

६४—यदि किसी नालिश की मालियत १०० रु० से अधिक न हो तो पञ्चायती अदालत नीचे दी हुई किसी भी नालिश की सुनवाई कर सकती है ;

(क) उस मुआहिदा के अतरिक्त जो अचल सम्पत्ति (गैर-मनकूला जायदाद) के बारे में हो उस रकम की हर एक नालिश जो किसी मुआहिदा के आधार पर वाजिबुल अदा हो;

(ख) किसी चल सम्पत्ति (मनकूला जायदाद) या उसके कीमत की वापसी के लिये नालिश;

(ग) किसी चल सम्पत्ति के नाजायज तौर पर ले लेने या उसको नुकसान पहुँचाने के मुआवजे के लिये नालिश; और

(१) उस क्षति के लिए नालिश जो जानवरों के अनाधिकार प्रवेश के कारण हुई हो।

(२) प्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी सरकारी गजट में सूचना देकर यह आदेश दे सकती है या दे सकता है कि किसी

भी पञ्चायती अदालत को ऐसी कुल नालिशों की सुनवाई का अधिकार होगा जिनकी व्याख्या सूचना में कर दी गई हो और जो ५०० रु० से अधिक मालियत की न हो।

फ़रीक़ों (पक्षों) की रज़ामन्दी से अधिकार सीमा का विस्तार

६५ किसी नालिश के फरीक एक लिखित राजीनामा द्वारा धारा ८२ में दी हुई व्याख्या की हुई किसी भी नालिश का विचार किये बिना कि उसकी मालियत क्या है, निर्णय के लिये पञ्चायती अदालत के सामने पेश कर सकते हैं और निर्धारित नियमों की पाबन्दी के साथ पञ्चायती अदालत को इस ऐक्ट के अधीन उक्त नालिश में कार्यवाही करने और उसका फैसला करने का अधिकार होगा।

नालिशें जो पञ्चायती अदालत के अधिकार सीमा से बाहर होंगी

६६—पञ्चायती अदालत को नीचे दी हुई किसी भी नालिश की सुनवाई करने का अधिकार न होगा :—

(१) कोई नालिश शरीकदारी के हिसाब के बकाया के सम्बन्ध में जब तक कि उस बकाया को फरीकों या उनके एजेन्टों ने खारिज न कर दिया हो;

(२) किसी गैर-वसीयती जायदाद में किसी हिस्से या हिस्से के किसी भाग के लिये नालिश या किसी वसीयतनामे के अधीन किसी हिबा बिल वसीयत या उसके किसी भाग के बारे में नालिश ;

(३) कोई नालिश जो श्रीमान सम्राट या किसी जन-सेवक के बरुद्ध या उनकी ओर से उन कामों के बारे में की जाय जो उन्होंने सरकारी कर्त्तव्यों को करने में किये हों;

(४) कोई नालिश जो कोई नाबालिग (अल्पवयस्क), या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग खराब हो, दायर करे या उसकी ओर से दायर की जाय;

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० २० सन् १९३९

(५) कोई नालिश जिसकी सुनवाई संयुक्त प्रांत के ऐक्ट कब्जा आराज़ी, सन् १९३९ ई० के अधीन कोई अदालत माल कर सके।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ६, सन् १९२० ई०

(६) कोई नालिश जिसकी सुनवाई संयुक्त प्रान्त के गाँव-पञ्चायत ऐक्ट, सन् १९२० ई० के अधीन स्थापित किसी पंचायत को; संयुक्त प्रान्त के किसानों और मजदूरों को कर्ज से छुड़ाने के ऐक्ट, नं० १३ सन् १९३९ ई० की धारा २८ के अधीन करने का अधिकार नहीं है।

नालिशों में पूरा मुतालबा शामिल होना चाहिये

६७ (१) ऐसी हर एक नालिश में जो पंचायती अदालत के सामने दायर की जाय वह पूरा मुतालबा शामिल होगा जिसका विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में मुद्दई को अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह इस उद्देश्य से कि उस नालिश की सुनवाई पंचायती अदालत कर सके, अपने मुतालबे का कोई भी भाग छोड़ सकता है।

(२) यदि कोई मुद्दई उसके किसी भाग के बारे में दावा न करे या उसको छोड़ दे तो उसको उन दावा न किये हुए या छोड़े हुए भागों के बारे में दावा दायर करने का अधिकार न होगा।

मियादें

६८—हर ऐसी नालिश जो परिशिष्ट में इस सम्बन्ध में दी

मियाद की नियत अवधि के बाद पञ्चायती अदालत के सामने दायर की जाय. खारिज कर दी जायगी. भले ही मियाद के सम्बन्ध में मुद्दाअलेह ने कोई भी आपत्ति न की हो।

पञ्चायती अदालत के निर्णय का प्रभाव

६९—इस्तहक़ाक़, क़ानूनी हैसियत, मुआहिदा या दायित्व के प्रश्न पर पंचायती अदालत का निर्णय फ़रीकों पर, उस नालिश के अतिरिक्त जिसमें ऐसे मामले का निर्णय किया गया हो, बाध्य न होगा।

नोट—Title, leagal character, contract या obligation के सवाल स्वतन्त्र रूप से आम, अदालत में मुकदमे दायर किये जा सकेंगे।

ऐक्ट मालगुज़ारी नं० ३, सन् १९०१ के अधीन कार्यवाहियाँ

७०—ऐसे सब विवादास्पद मुकद्मों की जो ऐक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्त प्रान्त सन् १९०१ ई० की धारा ३३, ३४, ३५, ३६, ४० और ४१ के अधीन कार्यवाहियों से पैदा हों, तहसीलदार उस पंचायती अदालत का यदि कोई हों, भेज देगा जिसे सुनवाई करने का अधिकार हो।

पर शर्त यह है कि कुल विवादास्पद जायदाद पंचायती अदालत के अधिकार-क्षेत्र में हों।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नम्बर ३, सन् १९०१ ईसवी

और शर्त यह भी है कि ऐक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्त प्रांत; सन १९०१ ई० की धारा ३४ और ३५ के अधीन ऐसी कार्यवाइयाँ, जो किसी ऐसी आराज़ी के सम्बन्ध में हों जिसकी मालगुजारी ?०० रु० से अधिक हो, किसी पंचायती अदालत को न भेजी जायगी।

और यह भी शर्त है कि तहसील कागज़ात या नामों के दाखिल-खारिज की कोई दरख्वास्त पंचायती अदालत न लेगी।

नज़रसानी

७१—उन सारी कार्यवाहियों में, जिसका उल्लेख धारा ५० में किया जा चुका है, सब-डिविजनल आफिसर को, अपने प्रस्ताव पर या उस दशा में जब उनके पास फैसले के लिये भेजा जाय, नज़रसानी करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी पंचायती अदालत की किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील न हो सकेगी, भले ही इसके विपरीत ऐक्ट मालगुजारी आराज़ी संयुक्त प्रान्त, ऐक्ट नं० ३ सन १९०१ ई० में कोई आदेश हो।

७२—ऐक्ट मालगुजारी आराज़ी सन १९०१ ई० के अधीन कार्यवाहियों में पंचायती अदालत नियत कार्य-विधि के अनुसार कार्य करेगी।

निबटाये हुये झगड़े और ऐसी नालिशें जिनका फैसला न हुआ हो (निर्णीत और विचाराधीन नालिशें)

७३—(१) कोई पंचायती अदालत किसी ऐसे मामले के बारे में किसी नालिश की कार्रवाई या तनकीह की सुनवाई न करेगी जो किसी अधिकृत अदालत के विचाराधीन हो या जिसकी सुनवाई या जिसका निर्णय कोई अधिकृत अदालत किसी ऐसी पहली नालिश में कर चुकी हो जिसके फरीक वही लोग हों या ऐसे फरीक हों जो उन्हीं फरीक या उनमें से किसी फरीक के तावेदार हों।

(२) जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के बारे में अदालत में मुकदमा चल रहा हो या जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के बारे में मुकदमे की सुनवाई हो चुकी हो तो कोई पंचायती अदालत ऐसे अपराध की या उन्हीं तथ्यों

के आधार पर ऐसे अपराध की सुनवाई न करेगी, जिसके बारे में अभियुक्त पर दोष लगाया जा सकता था या उसको दण्ड दिया जा सकता था।

नोट—धारा ११ जाब्ता दीवानी Res Judioata के आधार पर यह है।

अदालतों का बराबर अधिकार

७४—जब किसी मुकदमे, नालिश या कार्रवाई की सुनवाई एक से अधिक पंचायती अदालतों में की जा सकती हो तो मुद्दई या दरख्वास्त देने वाले या मुस्तगीस, जैसी भी दशा हो, नालिश या मुकद्दमा या कार्रवाई ऐसी किसी भी एक पञ्चायती अदालत में दायर कर सकता है। सुनवाई के अधिकार के सम्बन्ध में किसी झगड़े का फैसला ऐसा सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ या सब डिविजनल आफिसर, जैसी भी स्थिति हो, जिसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो करेगा।

नालिशों और मुक़द्दमों का दायर किया जाना

७५—ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस ऐक्ट के अधीन कोई नालिश या मुकद्दमा या कार्रवाई किसी पंचायती अदालत में दायर करना चाहता हो, वह अदालती पंचायत के सरपंच से या जब वह क्षेत्र में न हो तो किसी ऐसे पञ्च से जिसको उसने इस काम के लिये नियुक्त किया हो, जबानी या लिख कर दरख्वास्त करेगा और उसी के साथ वह नियत फीस अदा करेगा। पञ्चायती अदालतों पर कोर्ट फीस ऐक्ट, सन १८७० ई० लागू न होगा, उस दशा के अतिरिक्त जो नियत की गई हो, हर एक नालिश में मुद्दई उसकी मालियत लिख देगा।

दरख्वास्त का सारांश जो रजिस्टर में लिख लिया जायगा

७६—(१) जब कोई नालिश या कोई मुकद्दमा या कोई कार-

वाई फ़ौजदारी दायर की जाय तो वह सरपञ्च या पञ्च जो दरख्वास्त ले, विना देर किये नियत विवरण को रजिस्टर में लिख लेगा और रजिस्टर में दरख्वास्त देने वाले के हस्ताक्षर करा लिये जायेंगे या उसके अँगूठा का निशान लगवा लिया जायगा।

(२) इसके बाद सरपञ्च या उसकी अनुपस्थिति में पञ्च, जिसका उल्लेख धारा ७५ में किया गया है धारा ४९ के अधीन पञ्चायती अदालत की एक बेन्च स्थापित करेगा और उस दरख्वास्त की आवश्यक कार्रवाई के लिए उस बेंच के सिपुर्द कर देगा और उस बेंच के सामने उस दरख्वास्त की सुनवाई के लिए पहली पेशी की तारीख भी नियत कर देगा और दरख्वास्त देने वाले को और ऊपर बताई पञ्चायती अदालत की बेंच के मेम्बरों को उस तारीख की सूचना दे देगा।

कारवाई का तरीका

७७—हर नालिश, मुक़द्दमा या कारवाई जो धारा ७५ के आदेशों के अनुसार दायर की गई हो नियत तारीख को पञ्चायती अदालत की बेंच के सामने पेश की जायगी और बेंच, जब तक कि सरपञ्च उस बेंच का मेम्बर न हो, अपने मेम्बरों में से एक को उस बेंच के चेयरमैन के स्थान के लिए चुन लेगा जो कार्रवाइयों का संचालन करेगा।

सम्बन्धित फ़रीक के उपस्थित न होने की दशा में नालिशों और मुक़द्दमों का ख़ारिज किया जाना

७८—(१) यदि मुद्दई या मुस्तग़ीस या दरख्वास्त देने वाला मुक़द्दमे की सुनवाई के समय और स्थान की सूचना पाने पर भी उपस्थित न हो तो पञ्चायती अदालत उस नालिश, मुक़द्दमे या कार-वाई को ख़ारीज कर सकती है या ऐसी आज्ञा जारी कर सकती है जो वह उचित समझे।

(२) पञ्चायती अदालत किसी नालिश, मुक़द्दमे या कार्रवाई को मुद्दाअलेह, मुलजिम (अभियुक्त) या फ़रीक मुखालिफ की अनुपस्थिति में सुन सकती है और उसका निर्णय कर सकती है यदि मुद्दाअलेह, मुलज़िम (अभियुक्त) या मुखालिफ फ़रीक पर सम्मन की तामील कर दी गई या यदि उसको मुकद्दमें की सुनवाई के लिए नियत समय और स्थान की सूचना दे दी गई हो।

पञ्चायती अदालत अपने फ़ैसले (निर्णय) की नज़र-सानी न करेगी या उसको न बदलेगी

७९—(१) उस दशा के अतिरिक्त जिसके सम्बन्ध में उप-धारा (२) में आदेश हैं या जब लिखने वाले की कोई गलती सुधारनी हो, पंचायती अदालत को किसी ऐसी डिग्री या आज्ञा को जो उसने दी हो मंसूख करने या उस पर नज़रसानी करने या उसको बदलने का अधिकार न होगा।

(२) आज्ञा या डिग्री होने या अगर व्यक्तिगत तौर पर सम्मन की तामील न हुई हो तो, उसके मालूम होने की तारीख से एक महीने के अन्दर दरख्वास्त देने पर पंचायती अदालत पर्याप्त कारणों के आधार पर जो लिख दिये जायेंगे किसी भी नालिश, मुक़द्दमे या कार्रवाई को फिर से कायम कर सकती है, जो कि उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दी गई हो या जिसमें एक तरफा डिग्री या आज्ञा दे दी गई हो।

कानून का पेशा करने वाला कोई व्यक्ति पैरवी न करेगा

८०—पंचायती अदालत के सामने किसी नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई में किसी फरीक की ओर से किसी कानून पेशा व्यक्ति को पैरवी करने की इजाज़त न होगी।

अदालत में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होना

८१—धारा ८० के आदेशों की पाबन्दी के साथ, किसी

नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई का कोई फरीक, पंचायती अदालत के सामने स्वयं या ऐसे नौकर (जो दलाल-मुकद्दमा न होगा), हिस्सेदार, सम्बन्धी या मित्र द्वारा जिसको उसने इसके लिए अधिकार दिया हो और जिसके बारे में पंचायती अदालत यह मान ले कि वह उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उपस्थित हो सकता है।

ऐसे मामलों के बारे में, जिसमें राज़ीनामा इत्यादि हो गया हो विशेष अधिकार——सीमा

८२—इस ऐक्ट में या किसी और क़ानून में जो उस समय जारी हो, भले ही कोई बात हो, पञ्चायती अदालत को सामर्थ्य होगा कि वह किसी ऐसे दीवानी या माल के झगड़े का जो उसके स्थानीय अधिकार-क्षेत्र की सीमा के अन्दर हो और जो किसी ऐसे समझौते या राज़ीनामे या हलफ़नामे के अनुसार जिन पर फ़रीक राज़ी हों, किसी अदालत के विचाराधीन न हो, निर्णय कर दे और उसी तरह किसी मुक़द्दमे का फैसला कर दे अगर उसमें राज़ीनामा हो सकता हो।

सच्चाई का पता चलाने का अधिकार और तरीक़ा

८३—पञ्चायती अदालत किसी नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई में ऐसी शहादत सुनेगी जो फरीक पेश करें और वह ऐसी और शहादत तलब कर सकती है जो उसकी राय में विवादास्पद विषयों का फैसला करने के लिए आवश्यक हो। पञ्चायती अदालत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हर नालिश मुकद्दमे या कार्रवाई के, जो उसके सामने पेश हों, तथ्यों को हर ऐसे उचित साधन से जो उसके अधिकार में हो, मालूम करे और उसके बाद ऐसी डिग्री या आज्ञा, ख़र्चा सहित या बिना ख़र्चा के दे, जो उसको उचित और क़ानूनी जान पड़े। वह उस गाँव में जिससे कि झगड़े का संबंध हो, स्थानीय जाँच—पड़ताल [illegible]

है। वह इस ऐक्ट के अधीन या उसके द्वारा नियत कार्य-विधि के अनुसार काम करेगी। दीवानी—नियम संग्रह (मजमुआ दीवानी, ५ सन् १९०८ ई० का दण्ड—विधि—संग्रह (मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी) ५ सन् १८९८ ई०, भारतीय-गवाही ऐक्ट सन् १८७२ई० और भारतीय काल-अवधि ऐक्ट (ऐक्ट मियाद समाअत हिन्द); सन् १९०८ ई० पञ्चायती अदालत की किसी भी नालिश, मुक़दमे या कार्रवाई पर लागू न होंगे उस दशा के अतिरिक्त जहाँ उसका उपयोग निश्चित कर दिया गया हो या जब इस ऐक्ट में इनके बारे में कोई आदेश दिए गए हों।

बहुमत का निर्णय मान्य होगा

८४—यदि सब पञ्चों की राय एक न हो तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

पञ्चायती अदालतों के सम्बन्ध में हाकिम परगना (सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट) और मुन्सिफ़ों के अधिकार

८५—(१) यदि किसी मुक़दमे, नालिश या कार्रवाई में अन्याय हुआ हो या अन्याय होने की आशङ्का हो तो हाकिम परगना किसी मुक़दमे में और मुन्सिफ़ किसी नालिश और सब-डिवीजनल अफ़सर संयुक्त प्रांत के ऐक्ट मालगुज़ारी आराज़ी, संयुक्त प्रान्त सन् १९०१ ई० के अधीन किसी कारवाई के बारे में, किसी फ़रीक़ की दरख्वास्त पर या स्वयं अपने ही प्रस्ताव पर मुक़दमे, नालिश या कार्रवाई जैसी भी स्थिति हो, विचाराधीन होने के बीच किसी समय और डिग्री या आज्ञा की तारीख से ६० दिन के अन्दर मुक़द्दमा, नालिश या कारवाई के काग़जात को, जैसी भी दशा हो, पञ्चायती अदालत से माँग सकता है और उन कारणों के आधार पर जिन्हें वह लिखेगा :—

[क] किसी मुक़द्दमा, नालिश या कार्रवाई के बारे में पञ्चायती अदालत के अधिकार-सीमा को रद्द कर सकता है; या

[ख] पञ्चायती अदालत की दी हुई किसी डिग्री या आज्ञा को किसी भी अवस्था में रद्द कर सकता है; या

(२) जब हाकिम परगना ने उप-धारा (१) के अधीन किसी मुक़द्दमे में, या तहक़ीक़ात या इस्तग़ासे पर हुक्म दिया हो तो उसी जुर्म के बारे में इस्तग़ासे दायर किये जाने पर या किसी अन्य तरीके से मुक़द्दमे की सुनवाई उस मैजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू हो सकती है जिसे ऐसे मुक़द्दमे का फैसला करने का अधिकार प्राप्त हो।

(३) जब किसी मुन्सिफ़ ने उप-धारा (१) के अधीन किसी नालिश के बारे में आज्ञा दे दी हो तो मुद्दई मुन्सिफ़ की अदालत में उसी दावे के आधार पर और उसी दादरसी (सहायता) के लिए नालिश कर सकता है और पञ्चायती अदालत में नालिश करने और किसी आज्ञा के दिए जाने तक की अवधि कोई नई नालिश के दायर करने की मियाद समाप्त (काल-अवधि) में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

नोट—पंचायती अदालतों में भाई चारा या पार्टीबन्दी की बांदली या क़ानून से अनभिज्ञ देहाती पंच के लिये यह फ़िरका बहुत ज़बरदस्त रोक है और ज्यादातर मुक़द्दमे डिप्टी. और मुन्सिफ़ के यहाँ निगरानी के लिये पहुँचेंगे।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३, सन् १९०१ ई०

(४) जब सब-डिवीज़नल अफ़सर ने संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट मालगुज़ारी आराज़ी; सन् १९०१ ई० के अधीन किसी कार्रवाई के बारे में आज्ञा दे दी हो तो उसी दादरसी के लिए और उन्हीं तथ्यों के आधार पर कार्रवाइयां किसी ऐसी अदालत के सामने शुरू की जा सकती हैं, जिसे उन मामले में

सुनवाई करने का अधिकार हो, और पंचायती अदालत के सामने ऐसी कार्रवाई के पेश होने की तारीख से ऐसी आज्ञा दिए जाने की तारीख तक की अवधि को नई कार्रवाई दायर करने की मियाद-समाप्त (काल-अवधि) में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(५) उपर्युक्त दशाओं के अतिरिक्त, इस ऐक्ट के अधीन किसी मुक़द्दमे, नालिश या कार्रवाई के सम्बन्ध में पंचायती अदालत की दी हुई डिग्री या उसकी आज्ञा अन्तिम होगी और उसकी किसी अदालत में अपील या नज़रसानी नहीं हो सकेगी।

अगर उप-धारा (१) के अधीन कोई दरख्वास्त निरर्थक हो तो दरख्वास्त देने वाले को हाकिम परगना या मुन्सिफ या सब-डिवीजनल अफसर, जैसी भी स्थिति हो, ५० रु० तक जुर्माना कर सकता है।

गवाहों के नाम सम्मन जारी करना

८६—पंचायती अदालत, यदि वह किसी नालिश, मुक़द्दमे या कार्रवाई में किसी व्यक्ति की शहादत का गुजारा जाना या दस्तावेज़ का पेश किया जाना आवश्यक समझे तो वह नियत ढङ्ग पर ऐसे व्यक्ति के नाम सम्मन जारी कर सकती है और उसको उस पर तामील करा सकती है, जिसमें उसे यह आदेश दिया गया होगा कि उसे उपस्थित होना पड़ेगा या उसे ऐसा दस्तावेज़ पेश करना या पेश कराना होगा और वह व्यक्ति उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो सम्मन में दर्ज हो।

पञ्चायती अदालत के सामने उपस्थित न हो सकने के लिये दंड

८७—यदि कोई व्यक्ति, जिसे पञ्चायती अदालत ने लिखित आज्ञा द्वारा गवाही देने या कोई कागजात पेश करने के लिए तलब किया हो, सम्मनों या नोटिसों या आज्ञाओं को जानबूझ कर तामील न करे तो पञ्चायती अदालत ऐसे मैजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकती है जिसको स्थानीय मुकद्दमे सुनने का अधिकार प्राप्त हो और ऐसे व्यक्ति को जुर्माने का दंड दिया जायगा जो २५ रुपया तक हो सकता है।

पर शर्त यह है कि किसी औरत को खुद-पंचायती अदालत के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा। उसका नियत तरीक़े से कमीशन द्वारा बयान लिया जा सकता है।

नोट—धारा १३२ दीवानी नियम-संग्रह में औरतों को अधिकार इसी प्रकार है।

पर यह भी शर्त है कि अगर इस धारा के अधीन जारी किए हुए सम्मन की तामील में कोई दस्तावेज पेश किया जाय तो पंचायती आलत उस दस्तावेज की नकल लेगी और असल से मुक़ाबला करने के बाद उस नकल पर लिखेगी कि वह सही नकल है और असल दस्तावेज उस व्यक्ति को वापस कर देगी जिसने उसे पेश किया था।

नालिशों वगैरह का ख़ारिज किया जाना

८८—पंचायती अदालत किसी नालिश या कार्रवाई को ख़ारिज कर सकती है अगर मुद्दई या दरख्वास्त देने वाले का बयान लेने के बाद उसको इस बात का विश्वास हो जाय कि वह नालिश या कार्रवाई निरर्थक, दुःखदायी या झूठी है।

नज़रसानी

८९—पंचायती अदालत की दी हुई किसी डिग्री या आज्ञा की नजरसानी मुकद्दमे की सूरत में, हाकिम परगना (सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट) के सामने, नालिश की सूरत में मुन्सिफ के सामने, और संयुक्त प्रांत के ऐक्ट मालगुजारी आराजी, सन् १९०१ ई० के अधीन की हुई किसी कारवाई की सूरत में ऐसे सब-डिवीज़नल अफ़सर के सामने की जायगी जिसे इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार हो।

नोट—९० दिन के अंदर नजरसानी होती है।

मुद्दाअलेह या अभियुक्त (मुलज़िम) के नाम सम्मन का ज़ारी होना।

९०—कोई पंचायती अदालत, धारा ७५ के अधीन दरख्वास्त दिए जाने के बाद जब तक कि वह इस ऐक्ट के आदेशों के अधीन खारिज न कर दी गई हो या उस पर कोई और कार्रवाई न कर दी गई हो, नियत फार्म में और नियत ढङ्ग के अनुसार, मुद्दअलेह या मुलज़िम (अभियुक्त) या फ़रीक़-मुखालिफ़ पर सम्मन की तामील कर देगी जिसमें उसको यह आदेश दिया हुआ होगा कि वह ऐसे समय और स्थान पर जो सम्मन में दर्ज हों उपस्थित होकर अपनी शहादत दे और पंचायती अदालत साथ-ही-साथ मुद्दई या मुस्तग़ीस या दरख्वास्त देने वाले को यह आदेश करेगी कि वह उस समय और उस स्थान पर उपस्थित होकर अपनी शहादत दे।

वारंट

९१—अगर पंचायती अदालत को यह विश्वास हो जाय कि कोई व्यक्ति सम्मन की तामीली से भाग रहा है तो वह उसके

विरुद्ध अधिक से अधिक २५ रु० तक का जमानती वारंट जारी कर कर सकती है।

डिगरी के अदा किये जाने के बारे में इन्दराज किया जायगा

९२- यदि डिग्रीदार या मदयून डिग्री की दरख्वास्त पर उस पंचायती अदालत को जिसने डिग्री दी हो तहकीकात के बाद यह मालूम हो कि डिग्री का कुल या उसका कुछ भाग अदा कर दिया जा चुका है तो वह नियत रजिस्टर में इस बात को दर्ज कर लेगी।

डिगरी का इजरा होना

९३—(१) किसी पंचायती अदालत द्वारा दी हुई डिगरी या आज्ञा का इजरा ऐसे ढङ्ग पर किया जायगा जो नियत किया जाय। यदि मुद्दाअलेह की सम्पत्ति उस पंचायती अदालत के अधिकार-सीमा के बाहर स्थित हो जिसने ऐसी डिगरी या आज्ञा दी है, तो वह उस डिगरी या आज्ञा को नियत ढङ्ग पर इजरा किये जाने के लिए उस पंचायती अदालत के पास भेज सकती है जिसके अधिकार-सीमा में वह संपत्ति स्थित हो और यदि ऐसी कोई पंचायती अदालत न हो तो वह डिगरी या आज्ञा को उस मुन्सिफ की अदालत में भेज सकती है जिसके अधिकार-सीमा में वह सम्पत्ति स्थित हो।

(२) यदि कोई पंचायती अदालत किसी डिगरी के इजरा में कठिनाई अनुभव करे तो वह डिगरी को मुन्सिफ के पास भेज सकती है और मुन्सिफ उस डिगरी का इजरा इसी तरह करावेगा मानो वह डिगरी स्वयं उसी ने दी है।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३, सन् १९०१ ई०

(३) संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट मालगुजारी आराज़ी, सन् १९०१ ई० के अधीन किसी कार्यवाई के सिलसिले में ख़र्चे के लिए किसी आज्ञा का इजरा, जहां तक सम्भव होगा, उप-धारा (१) और (२) में दिए हुए आदेशों के अनुसार किया जायगा। उप-धारा (१) इस तरह पढ़ी जायगी और समझी जायगी मानों शब्द "मुन्सिफ" की जगह शब्द "सब-डिवीजनल अफ़सर" रख दिए गए हैं।

जुर्माने का वसूल किया जाना

९४—किसी मुकद्दमे में पंचायती अदालत के लगाए हुए जुर्माने की रक़म दण्ड-विधि संग्रह (मजमुआ ज़ब्ता फौजदारी) ५ सन् १८९८ ई० की धारा ३८६ के अधीन दिये हुए तरीके पर वसूल की जायगी। लेकिन यदि पंचायती अदालत उसकी वसूलयावी में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस हाकिम परगना से पंचायती अदालत जिसके अधिकार-सीमा में वह जुर्माना वसूल कराने की दरख्वास्त कर सकती है और हाकिम परगना उसे उसी प्रकार वसूल करेगा मानो उसने स्वयं जुर्माने का दण्ड दिया हो।

अध्याय ७

बाह्य निमंत्रण

९५—प्रांतीय सरकार—

(क) ऐसी अचल सम्पत्ति (गैर-मनकूला जायदाद) का मुआइना करा सकती है जो गांव-सभा के स्वामित्व में हो, या जो किसी गांव-पंचायत या संयुक्त कमेटी के इस्तेमाल में हो या कब्जे

में हो या किसी ऐसी इमारत का मुआइना करा सकती है जो गांव-पंचायत या संयुक्त कमेटी की निगरानी में बन रही है;

(ख) एक लिखित आज्ञा द्वारा कोई ऐसी किताब या दस्तावेज़ तलब करा कर उसका मुआइना कर सकती है जो गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी के कब्जे या निगरानी में हो;

(ग) एक लिखित आज्ञा द्वारा किसी गांव-पंचायत या संयुक्त कमेटी को आदेश कर सकती है कि वह गांव-पञ्चायत या ऐसी ही किसी कमेटी के कर्त्तव्यों और कार्रवाइयों के सम्बन्ध में ऐसे नकशे, रिपोर्टें या दस्तावेज़ों की नकलें जिन्हें वह उचित समझे, पेश करें;

(घ) किसी गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी का ध्यान दिलाने के लिए ऐसी राय लिखकर भेज सकती है जिसे वह ऐसी गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी के कर्त्तव्यों और कार्रवाइयों के सम्बन्ध में उचित समझे;

(ङ) किसी गांव-सभा, गाँव—पञ्चायत या पञ्चायती अदालत से सम्बन्धित किसी मामले की जांच करा सकती है; और

(च) किसी गांव-पञ्चायत, संयुक्त कमेटी या पंचायती अदालत को तोड़ सकती है या उसके किसी मेम्बर को हटा सकती है या मुअत्तल कर सकती है अगर प्रान्तीय सरकार की राय में ऐसी गांव-पंचायत, संयुक्त कमेटी या पंचायती अदालत ने या उसके किसी मेम्बर ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है या लगातार उन कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है जो उक्त ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के द्वारा उनके जिम्मे करना आवश्यक हो।

कुछ कार्यवाहियों की मनाही

८३—(१) नियत अधिकारी या कोई और अफसर जिसे-

प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे दिये हों, सूचना मिलने पर या स्वयं अपनी ओर से, एक लिखित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे प्रस्ताव या आज्ञा को पालन करने से या उसके आदेशानुसार और अधिक काम करने से मना कर सकता है जिसे किसी गांव-सभा, गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी ने या उसके किसी अफ़सर कर्मचारी ने इस ऐक्ट या और किसी ऐक्ट के अधीन पास किया हो या दिया हो, यदि उसकी राय में यह प्रस्ताव या आज्ञा ऐसी है कि उससे जनता का या जायज़ तौर पर काम में लगे हुये किसी वर्ग या समूह के काम में बाधा, पहुँचती हो या तकलीफ़ या चोट पहुँचती हो या ऐसी बाधा, तकलीफ़ या चोट पहुँचने की सम्भावना हो या उसके कारण मानव-जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा खतरे में पड़ जाय या ऐसे खतरे का भय हो, या उससे कोई झगड़ा या दंगा हो जाय या होने का भय हो। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे प्रस्ताव या आज्ञा के अनुसार या उसकी आड़ में किसी काम को करने या उसे जारी रखने के बारे में मनाही की जा सकती है।

(२) जब कोई आज्ञा उपधारा (१) के अधीन दी गई हो तो नियत अधिकारी या उपरोक्त अफ़सर इस आज्ञा की नक़ल एक बयान के साथ जिसमें उस आज्ञा के देने के कारण दिये गये हों, प्रान्तीय सरकार के पास भेज देगा जो गाँव-सभा, गाँव पञ्चायत, संयुक्त कमेटी या उसके किसी अफ़सर या कर्मचारी से जवाब तलब करेगी और यदि जवाब आया हो तो उस पर विचार करने के बाद उस आज्ञा को रद्द कर सकती है या उसे संशोधित या बहाल कर सकती है।

(३) जब किसी ऐसी आज्ञा द्वारा जो उपधारा (१) के अधीन दी गई हो और जो लागू हो किसी प्रस्ताव या आज्ञा को

कार्यान्वित या उसे अधिक कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में मनाही कर दी गई हो तो गाँव-पंचायत या गाँव-सभा, संयुक्त कमेटी या उसके किसी अफ़सर या उसके कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह, यदि आज्ञा देने वाला हाकिम यह आदेश दे, ऐसी कार्यवाही करे जो उसको उस दशा में करने का अधिकार होता जब कि प्रस्ताव पेश ही न किया गया होता या आज्ञा दी ही न गई होती और जो ऐसे प्रस्ताव या आज्ञा के अधीन किसी-व्यक्ति को ऐसी कार्रवाई करने या जारी रखने से रोकने के लिये आवश्यक हो जिसे और अधिक कार्यान्वित करने की मनाही कर दी जाय।

अध्याय ८

दंड और कार्यविधि

इस एक्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में दंड

९७—जो व्यक्ति इस ऐक्ट के किसी आदेश का उल्लंघन करेगा उसे जुर्माने का दण्ड दिया जब तक कि इसके विरुद्ध आदेश न हो और यह जुर्माना १० रुपया तक हो सकता है और यदि यह उल्लंघन लगातार किया गया हो तो और अधिक जुर्माना किया जायगा जो पहिले दंड के बाद जितने दिनों के लिए अपराधी का अपराध सिद्ध हो चुका है उतने दिनों के लिये १ रु० रोज तक हो सकता है।

नियमों और उपनियमों (बाईलाज़) का उल्लंघन करना

९८—प्रान्तीय सरकार नियम बनाते समय और गाँव-पंचायत उपनियम बनाते समय नियत अधिकारी की स्वीकृति से यह आदेश

दे सकती है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा और वह जुर्माना १० रु० तक हो सकता है। यदि यह उल्लंघन लगातार किया गया हो तो फिर जुर्माना किया जायगा जो पहिले दण्ड के बाद जितने दिनों के लिए अपराधी या अपराध सिद्ध हो चुका है उतने दिनों के लिये १ रु० रोज तक हो सकता है।

गाँव-पञ्चायत की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का दंड

९९—(१) जो व्यक्ति गाँव-पञ्चायत या और किसी उचित अधिकारी की लिखित स्वीकृति बिना किसी पटरी, नाली और जन-मार्ग की दूसरी और चीजों को, या किसी चहारदीवारी या उसकी दीवार या खम्भे को, या रोशनी के खम्भों या ब्राकेट को, या ऐसे खम्भों को जिनमें मार्ग-निर्देशन लिखे हों खड़े होने के अड्डों, ऐसे नल को जो बड़े नल से पानी निकालने के लिये लगी हो या गाँव-सभा की और किसी सम्पत्ति को हटायेगा, स्थानान्तरित करेगा, उसमें कोई रद्दोबदल करेगा या हस्तक्षेप करेगा, उसको ऐसे जुर्माने का दंड दिया जायगा जो दस रुपये तक हो सकता है।

(२) यदि अपने किसी काम में लापरवाही या किसी और प्रकार उसे न कर सकने के कारण किसी भी व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन लगाये हुये जुर्माने का दण्ड दिया गया हो और उसने गाँव-सभा की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया हो तो वह व्यक्ति जिसे दंड दिया गया हो ऐसे नुकसान को पूरा करने और जुर्माना देने का उत्तरदायी होगा और अपराधी से नियत ढंग से नुकसान का हर्जाना वसूल किया जा सकेगा।

जारी किये हुये नोटिस का उल्लंघन करना

१००—यदि किसी व्यक्ति को इस ऐक्ट के आदेशों या उसके अधीन बने हुए किसी नियम या उपनियम (बाईलाज) के अधीन

चल या अचल, सार्वजनिक या व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई तामीर करने के लिए या नियत समय में उसके सम्बन्ध में व्यवस्था करने, कोई काम करने या न करने के बारे में नोटिस मिला हो और यदि ऐसा व्यक्ति उस नोटिस के अनुसार काम न करे तो—

(क) गाँव-पञ्चायत ऐसा काम या ऐसी व्यवस्था करा सकती है और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में जो सारा खर्च हुआ है उसे ऐसे व्यक्ति से नियत विधि के अनुसार वसूल कर सकती है।

(ख) ऐसे व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर जुर्माने का दंड भी दिया जायगा और यह जुर्माना १० रुपये तक हो सकता है और बराबर उल्लंघन किये जाने पर पहले दंड के बाद जितने दिनों के लिये अपराधी का अपराध सिद्ध हो चुका है उतने दिनों के लिये एक रुपया रोज तक हो सकता है।

नोटिस नाजायज़ नहीं होगी

१०१—कोई भी नोटिस उसके फार्म में कोई दोष होने या उसमें कोई बात छूट जाने के कारण नाजायज नहीं होगा।

अपील

१०२—(१) यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसी आज्ञा या उसके ऐसे आदेश से जो इस ऐक्ट के अधीन या किसी नियम या उपनियम (बाईलाज) के अधीन की गई या दिया गया हो नुकसान पहुँचा हो तो वह, जब तक इसके विपरीत आदेश न हो ऐसी आज्ञा या आदेश दिये जाने की तारीख से ३० दिन के अन्दर उस समय को छोड़ कर जो उसकी आज्ञा या आदेश की नकल प्राप्त करने के लिये दरकार हो, नियत अधिकारी के सामने अपील कर सकता है और वह अधिकारी उस आज्ञा या आदेश

को संशोधित, रद्द या बहाल कर सकता है और उस व्यक्ति को जिसने अपील दायर की हो खर्चा दिलवा सकता है या उससे खर्चा ले सकता है।

(२) नियत अधिकारी, यदि उचित समझे, अपील के लिये उपधारा (१) में नियत समय को बढ़ा सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन नियत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और उसके सम्बन्ध किसी अदालत में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

कुछ दशाओं में मुक़द्दमें का स्थगित होना

१०३—जब किसी ऐसी आज्ञा या आदेश के विरुद्ध, जिसकी व्याख्या धारा १०२ में कर दी गई है अपील दायर कर दी गई हो तो अपील का निर्णय होने तक के समय के लिये नियत अधिकारी की आज्ञा से ऐसी आज्ञा या आदेश को लागू करने की कोई कार्यवाही और उसके उल्लंघन करने के किसी मुक़द्दमे को स्थगित किया जा सकता है और यदि अपील के निर्णय में ऐसी आज्ञा या आदेश को मंसूख कर दिया जाय तो उसकी अवज्ञा अपराध न समझा जायगा।

अपराध के सम्बन्ध में राज़ीनामा कराने का अधिकार

१०४—(१) इस सम्बन्ध में बनाये हुये किसी नियम की पाबन्दी के साथ कोई गाँव-पञ्चायत मुक़द्दमा दायर होने के बाद या पहले इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये हुए किसी नियम या उप-नियम (बाइलाज़) के उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी अपराध के बारे में गाँव-पञ्चायत को ऐसी रक़म नक़द अदा करने पर जो नियत की जाय राज़ीनामा करा सकती है।

(२) जब किसी अपराध के बारे में राजीनामा करा दिया गया हो तो अपराधी यदि हिरासत में हो, तो छोड़ दिया जायगा और इस तरह राजीनामा किये हुए अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध आगे और कोई कारवाई न की जायगी।

इस धारा के अधीन राजीनामे के रूप में दी गई रकमें पञ्चायत कोष (फंड) में जमा की जायगी।

दख़ल (प्रवेश) और मुआइना

१०५ गाँव-पञ्चायत का सरपञ्च और यदि गांव पंचायत ने इस सम्बन्ध में गाँव पंचायत के किसी मेम्बर या अफ़सर या कर्मचारी को अधिकार दे दिया हो तो वह अपने मातहतों या काम करने वालों के साथ या उनके बिना किसी इमारत में या भूमि पर किसी काम का मुआइना (और पैमाइश) और ऐसी तामीर करने के सिलसिले में प्रवेश कर सकता है जिसकी गांव-पंचायत को इस ऐक्ट या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपनियमों (बाईलाज) के अनुसार तामीर करने या बनाने की इजाज़त हो या जिसकी गाँव पंचायत को किसी उद्देश्य के लिये या इस ऐक्ट या नियम या उपनियम (बाई ला) के किसी आदेश के अनुसार बनाने या तामीर करने की आवश्यकता हो पर शर्त यह है कि :—

(क) उस दशा के अतिरिक्त जब कि इस ऐक्ट या नियमों या उपनियमों (बाई लाज) में स्पष्ट आदेश हो सूर्य-अस्त और सूर्य-उदय के बीच इस तरह प्रवेश नहीं किया जायगा।

(ख) उस दशा के अतिरिक्त जब कि इस ऐक्ट या नियमों या उपनियमों में स्पष्ट आदेश हो, किसी इमारत में जो मनुष्यों के रहने के काम में आती है, उसमें रहने वाले की रजामन्दी के बिना और उक्त रहने वाले को इस प्रकार प्रवेश करने के इरादे का कम से कम

चार घन्टे पहले लिख कर नोटिस दिये बिना इस तरह कोई प्रवेश नहीं करने पावेगा।

(ग) हर दशा में इस बात का काफ़ी नोटिस दिया जायगा, यहाँ तक कि जब किसी मकान पर बिना नोटिस के भी प्रवेश किया जायेगा उस समय भी इसका काफ़ी नोटिस दिया जायगा जिससे कि जनाने कमरे में रहने वाली स्त्रियां मकान के दूसरे भाग में हट सकें जहाँ उनके अलग रहने में कोई बाधा न हो, और।

(घ) जिन स्थानों में प्रवेश किया जाय वहाँ के रहने वालों के धार्मिक व सामाजिक रिवाजों का उचित ध्यान रक्खा जायगा।

गाँव-पंचायतों या उसके अफ़सरों के विरुद्ध नालिशें

१०६—(१) किसी गाँव सभा या गाँव-पंचायत के विरुद्ध या उसके किसी मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी के विरुद्ध गाँव-सभा, गाँव-पंचायत या उसके किसी अफ़सर के आदेश के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध जो इस ऐक्ट के अधीन सरकारी हैसियत से की गई हो या जिसके बारे में यह समझा जाय कि वह इस ऐक्ट के अधीन की गई है, कोई नालिश या दूसरी क़ानूनी कार्यवाही उस समय तक दायर न हो सकेगी जब तक कि एक ऐसे लिखित नोटिस देने के बाद दो महीने न गुजर जायँ जो गाँव-पंचायत की दशा में पञ्चायतों के दफ़्तर में हवाले कर दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो और मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उक्त मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी पंचायत के आदेश के अनुसार काम कर रहा हो उसके हवाले कर दिया गया हो या उसके दफ़्तर या मकान पर छोड़ दिया गया हो और जिसमें (लिखित नोटिस में) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि नालिश किन कारणों और

आधार पर की गई है, किस तरह की दादरसी (सहायता) माँगी गई है, मुआविज़ा, यदि कोई मांगा गया है, तो उसकी तादाद क्या है और दावा करने वाले का नाम और उसकी सकूनत (रहने की जगह) साफ़-साफ़ लिखी होनी चाहिये और रसीदवाले के ऊपर भी लिख दिया जायगा कि उक्त नोटिस हवाले कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित कोई कार्यवाही उस दशा के अतिरिक्त न की जायगी जब तक बिनाए दावा (झगड़े के कारण या आधार) पैदा होने के बाद से छः मास न हो चुके हों।

नोट— दो मास की लिखित मियादी नोटिस देने के बाद और छः महीने बिना मुकदमा दाखिल होने के बाद ही गाँव पञ्चायत या उसके कर्मचारी के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जा सकेगा पहिले नहीं।

गाँव और अदालती पञ्चायतों की रक्षा

१०७—(१) जुडीशल अफ़सरों की रक्षा के ऐक्ट, १८ सन् १८५० ई० के आदेश अदालती पञ्चायतों के मेम्बरों पर लागू होंगे।

(२) किसी अदालत में कोई नालिश या मुक़द्दमा गाँव-पञ्चायत या उसके किसी मेम्बर या अफ़सर या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में दायर न किया जायगा जो उसने पञ्चायत या उसके किसी मेम्बर या अफ़सर के आदेश के अनुसार इस ऐक्ट या इसके अधीन बनाए हुए किसी नियम या उपनियम (बाई ला) के अधीन नेकनियती के साथ किया हो या जिसे करने का इरादा रखता हो।

अपराधों के बारे में पञ्चायतों को सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार और कर्त्तव्य

१०८—यदि इस ऐक्ट या इसके अधीन बनाए हुए किसी नियम या उपनियम (बाई ला) के विरुद्ध किसी अपराध के किये जाने का ज्ञान किसी पुलिस अफ़सर को प्राप्त हो जाय तो वह पुलिस अफ़सर उसकी सूचना तुरन्त गाँव-पञ्चायत को देगा और गाँव-पञ्चायत और पञ्चायती अदालत के सब मेम्बरों और कर्मचारियों को क़ानूनी अधिकार को व्यवहार करने में सहायता देगा।

१०९—यदि दो या उससे अधिक गाँव-पंचायतों के बीच या गाँव-पञ्चायत और टाउन एरिया म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बीच कोई-झगड़ा हो तो उस झगड़े को नियत अधिकारी के हवाले कर दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी अदालत में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

अध्याय ९

नियम, उपनियम (बाईलाज़) और उनकी मंज़ूरी

११०—(१) प्रान्तीय सरकार, पहिले से सूचना द्वारा सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन सम्बन्धी शर्त को पाबन्दी के साथ, इस ऐक्ट के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार नियम बना सकती है।

नोट—इस धारा के अधीन प्रान्तीय सरकार द्वारा निर्वाचन आदि के बहुत से नियम है। गाँव सभा बन गई है।

(२) विशेषकर उपरोक्त अधिकार और नियमों के आशय के

विपरीत गये बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये आदेश बना सकती है—

[१] हर उस मामले के लिये जिसके सम्बन्ध में इस ऐक्ट के आधीन आदेश बनने का अधिकार स्पष्ट रूप से या उसके आशय के अनुसार प्रान्तीय सरकार को प्राप्त हो;

[२] गाँव-सभा, गाँव पंचायत और अदालती पंचायतें स्थापित करने के लिये;

[३] गाँव-सभा, गाँव-पंचायत और अदालती पंचायतों की बैठकों की जगह और समय नियत करने के लिये और इन बैठकों के आयोजन का ढङ्ग नियत करने के लिये और उनकी (सूचना नोटिस) देने के लिए;

[४] बैठकों की कारवाई संचालित करने के लिए, जिसमें बैठकों में मेम्बरों का सवाल पूछना और बैठकों का कार्य स्थगित करना और बैठकों की मिनट बुकें (याददाश्त की किताब) भी रखना सम्मिलित है;

[५] कमेटियां स्थापित करने के लिये और ऐसे मामले निश्चय करने के लिये जिनका सम्बन्ध ऐसी कमेटियों के विधान और कार्य-विधि से हो;

[६] पदाधिकारी को मुअत्तल करने और हटाने के लिये;

[७] ऐसे कागजात और रजिस्टरों के लिये जिन्हें गाँव और पंचायती अदालतें रक्खेंगी और उस फार्म के लिए जिसमें वे रक्खे जायेंगे;

[८] ऐसी कार्रवाई के लिये कार्यकारिणी-कमेटी, संयुक्त कमेटी, किसी अन्य कमेटी और पंचायती अदालत में किसी जगह के खाली होने पर की जायगी;

[९] ऐसे अधिकारी के लिये जो कार्यकारिणी कमेटी, संयुक्त

कमेटी, किसी अन्य कमेटी या पंचायती अदालत में नियुक्तियों के सम्बन्ध में झगड़ों का फैसला करेगा और इस सम्बन्ध में जिस कार्य विधि के अनुसार काम किया जायगा उसके लिये;

[१०] गांव-पंचायत के किसी ऐसे कर्मचारी से जिससे जमानत लेना उचित और आवश्यक समझा जाय; ऐसी जमानत की रक़म और यह नियत करने के लिये कि वह किस रूप में जमा की जायगी;

[११] गांव-पंचायत के कर्मचारियों को नियुक्त करने, उनकी योग्य बातें निश्चित करने, उन्हें बरखास्त करने, नौकरी से छुड़ाने, हटाने और सजा देने के लिए और उनके अपील करने के अधिकार के सम्बन्ध में;

[१२] यदि कोई गाँव-पञ्चायत अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड का तरीक़ा अपनाये तो उसका प्रबन्ध और उसे नियमित करने के लिये;

[१३] प्रारम्भिक स्कूलों को स्थापित करने; उनकी देख-भाल करने और उनका प्रबन्ध करने और उनकी इमारतें बनाने और मरम्मत करने के लिये;

[१४] पुस्तकालयों वाचनालयों और उन औषधालयों (डिस्पेंसरी) को जिनका प्रबन्ध किसी संयुक्त कमेटी को सौंप दिया गया हो, स्थापित करने, उनका प्रबन्ध और नियंत्रण करने, के लिये, उनसे सम्बन्धित इमारतों को बनाने और मरम्मत करने और किसी गांव-सभा के स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले ग़रीबों को दवाइयां देने और उन्हें डाक्टरी सहायता पहुँचाने के लिये;

[१५] किसी भूमि इमारतों या पानी पर जो पानी की बेल उग आई हो उसका पता लगाने, उसको दूर करने या नष्ट करने के लिये ऐसे बाड़ों और रोकों को बनाने के लिए जिससे ऐसी बेल के

बढ़ने को रोका जाय और उस रकम के लिये जो ऐसे कामों मे खर्च हो;

[१६] सफाई, कूड़ा-करकट साफ करने, गंदे पानी की नालियों इमारतों, जन मार्ग और पानी पहुँचाने (सप्लाई करने) के सम्बन्ध में कारवाही करने के लिये और ऐसे कामों को करने से मना करने के लिये जिससे सर्वसाधारण को तकलीफ पहुँचे;

नोट – नियत अधिकारी म्युनिसिपैल्टी ऐक्ट कायदों को इस कार्य के लिये काम में ला सकता है।

[१७] बजट बनाने और खास कामों के लिये फण्डों को निर्धारित करने के लिये;

[१८] ऐसे नक्शों के लिये जिन्हें गाँव और पंचायती अदालतों को दाखिल करना पड़ता है उस तरीके के लिये जिसके अनुसार वह तय्यार किये जायेंगे और वह नियत करने के लिये कि किस अधिकारी के पास और किस समय यह नक्शे भेजे जायंगे।

[१९] टैक्सों और लाइसेंस फीस लगाने के लिये यह नियत करने के लिये कि कौन अधिकारी, कहाँ और किस तरीके से यह टैक्स तशखीस करेगा और किस अधिकारी के सामने इस तशखीस के विरुद्ध अपील की जा सकेगी;

[२०] टैक्सों और दूसरे मतालबों की अदायगी के तरीके, समय और उनके वसूलयाबी का तरीका नियत करने के और यह नियत करने के लिये कि गाँव-पंचायतें इन टैक्सों और मतालबों की वसूलयाबी के लिये किस अधिकारी की सहायता ले सकती हैं;

[२१] गाँव-पंचायतों के हिसाब रखने का ढङ्ग नियत करने के लिये;

[२२] सरकारी इमारतें और नजूल की जमीन के ठीक प्रबन्ध के लिये;

[२३] ऐसे जाब्तों के लिये जिनके अनुसार सम्पत्ति हस्तान्तरित करते समय व्यवहार करना चाहिये और इस ढङ्ग को नियत करने के लिये जिनके अनुसार गाँव-पंचायत मुआहिदे की दस्तावेज़ तकमील करेगी;

[२४] आडिटरों, मुआइना और देख-भाल करने वाले अधिकारियों के जांच करने, गवाहों को तलब करने और उनसे जिरह करने और ऐसी दस्तावेज़ें पेश करने और ऐसे सारे मामले के बारे में बाध्य करने के लिये अधिकार जिनका सम्बन्ध आडिट (हिसाब की जांच) मुआइना और देख-भाल से हो;

[२५] पंचायती अदालतों के सम्मन नोटिसों और दूसरे हुक्मनामों का जारी करने और तामील करने के लिये और गाँव-पंचायतों द्वारा नोटिसों को जारी करने और तामील के लिये;

[२६] किसी पंचायती अदालत के सम्मनों और दूसरे हुक्मनामों को किसी दूसरी पंचायती अदालत या अदालत में इजरा या तामील के वास्ते हस्तान्तरण (मुन्तकिल) करने के लिये;

[२७] मुक़दमों और नालिशों के दायर करने, हुक्मनामों को जारी करने, दस्तावेज़ों की नक़ल प्राप्त करने और दूसरे मामलों के बारे में पंचायती अदालती द्वारा फ़ीस लगाने के लिये;

[२८] जब पंचायती अदालत दोनों फ़रीक़ों की मर्ज़ी से किसी ऐसे मुक़दमे की सुनवाई करे जो उसकी अधिकार-सीमा के बाहर हो तो अदा की जाने वाली कोर्ट फ़ीस और दूसरी फ़ीसों के लिये;

[२९] पंचायती अदालतों को दी हुई डिग्रियों के इजरा करने और हुक्मों और सजाओं की तामील के जाब्ता कार्यवाही (कार्य-विधि) के लिये;

[३०] पंचायती अदालतों के लिये इस ऐक्ट के अधीन

अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये गाँव-पञ्चायतों के कोष (फंड) नियत करने के लिये और यह नियत करने के लिये कि गाँव पञ्चायती अदालतों में अदा की हुई फीसों को कहां तक अपने काम के लिये ख़र्च कर सकती हैं;

[३१] उन अधिकारों के लिये जिन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या और कोई नियत अधिकारी इस ऐक्ट के अधीन अपने दायित्वों के पूरा करने के सम्बन्ध में प्रयोग करें और उस ढङ्ग के लिये जिसके अनुसार ऐसे अधिकार प्रयोग में लाये जायें;

[३२] उस अन्तर्ग कारवाई (कार्य-विधि) के लिये जिस पर नियत अधिकारी गाँव-पञ्चायतों के लिये या गाँव-पञ्चायतें अपने लिए उपनियम (बाईलाज) बनाते समय व्यवहार करेंगी;

[३३] नियत फार्मों या रजिस्टरों को छपाने के लिये;

[३४] नक़शे, समन ब्योरे और अनुमान पेश करने के लिये;

[३५] गाँव वालंटियर फ़ोर्स (सेना) के कर्तव्य, अधिकार और कामों के लिये;

[३६] गाँव-पञ्चायतों की वार्षिक रिपोर्टों और उनकी समालोचना (रिव्यू) पेश करने के लिये;

[३७] गाँव-पञ्चायतों के मेम्बरों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के लिये जो गाँव-पंचायतों की बैठकों में सलाह देने वालों की हैसियत से उपस्थित हों;

[३८] गाँव-पञ्चायत और दूसरे अधिकारियों के बीच लिखा-पढ़ी का साधन नियत करने के लिये;

[३९] गाँव-पञ्चायत के टूट जाने के बाद उनके देने-पावने के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने के लिये;

[४०] उस कार्यवाही के लिये जो किसी गाँव-पंचायत स्थानीय क्षेत्र के सारे या किसी भाग में किसी म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड

एरिया, टाउन एरिया या कन्टूनमेंट में सम्मिलित किये जाने पर की जाय और उस ढङ्ग के लिये जिसके अनुसार गाँव-पंचायत के देने-पावने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जाय;

[४१] ऐसी शर्तों के लिये जिनके अधीन गाँव-पंचायत को वाजिबुल अदा रक़में वसूल न हो सकने वाली रक़मों की तरह खारिज कर दी जायें और ऐसी शर्तों के लिये जिसके अधीन फ़ीस पूरी या कुछ माफ़ कर दी जाय; और साधारणतया गाँव-पंचायतों पंचायती अदालतों, संयुक्त कमेटियों, दूसरी कमेटियों और राज-कर्मचारियों और दूसरे अधिकारियों के हर ऐसे मामले में पथ-प्रद-र्शन करने के लिये जिसका सम्बन्ध इस ऐक्ट के आदेशों को कार्या-न्वित करने से हो;

[४२] परिगणित जातियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से गाँव-पंचायत के मेम्बरों के चुनाव को नियमित करने के लिये;

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का उपनियम (बाईलाज़) बनाने के अधिकार

१११—किसी नियत अधिकारी को अधिकार होगा और यदि उसे प्रान्तीय सरकार आदेश दे तो मान्य होगा कि वह अपनी अधिकार-सीमा के अन्दर किसी गाँव-पंचायत के लिये इस ऐक्ट के अनुसार और इसके अधीन बनाए हुए नियमों के अनुसार, गाँव-पंचायत के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुधारने, बनाये रखने और उनकी रक्षा और सुविधा के प्रयोजनों के लिये और इस ऐक्ट के अधीन गाँव-पंचायतों के शासन प्रबन्ध को अच्छा बनाने के लिये उपनियम (बाईलाज़) बनाये।

गाँव-पञ्चायतों को उप-नियम (बाईलाज़) बनाने के अधिकार

११२—(१) इस ऐक्ट के आदेशों और इसके अधीन बने हुए नियमों, यदि कोई हों, और नियत अधिकारी के बनाये हुए उप-नियमों (बाईलाज) यदि कोई हों, के अनुसार गाँव-पञ्चायत निम्न-लिखित के लिये उपनियम (बाईलाज) बना सकती है :—

(क) किसी ऐसे साधन से, पीने के लिये पानी के लाने या उसे प्रयोग करने को मना करने के लिये जिससे स्वास्थ्य को हानि पहुँचने की संभावना हो और किसी ऐसे काम की मनाही के लिये जिससे पीने के पानी का साधन ख़राब होने की सम्भावना हो;

(ख) किसी नाली या इमारत के पानी की निकास को जन-मार्ग पर या नदी या पोखर या तालाब या कुएँ में या किसी और जगह निकास को रोकने या नियन्त्रित करने के लिये;

(ग) जन-मार्गों या गाँव-पञ्चायत की सम्पत्ति को हानि से बचाने के लिये;

(घ) गाँव-पञ्चायतों के क्षेत्र में सफाई, कूड़ा और मैला हटाने और गन्दे पानी के निकास को नियन्त्रित करने के लिये;

(ङ) जन-मार्गों या दूसरे सार्वजनिक स्थानों को दूकान-दारों या दूसरे व्यक्तियों के प्रयोग करने से या सड़कों में नहर लगानी वसूल करने से मना करने या उसे नियन्त्रित करने के लिये;

(च) उस ढंग को नियन्त्रित करने के लिये जिसके अनुसार तालाब, पोखरे और हौज़ चरागाह; खेल के मैदान, खाद के गड्ढे, लाशों को जलाने या दफ़न करने की जमीन और नहाने की जगहें को इस्तेमाल किया जायेगा या उनको अच्छी दशा में रक्खा जायगा।

(२) गाँव-पञ्चायत के बनाये हुए उप-नियमों के मसविदे को नियत ढंग पर प्रकाशित किया जायगा और इसके सम्बन्ध में जो आपत्तियां होंगी गांव-पञ्चायत की बैठक में उन पर विचार किया जायगा और उपनियम उन आपत्तियों सहित जो आई हों, यदि कोई हों, और उस पर जो निर्णय हुये हों उनके सहित नियत अधिकारी के सामने पेश कर दिये जायेंगे। उपनियम (बाईलाज) जैसा कि नियत अधिकारी उन्हें स्वीकार करे नियत ढंग पर प्रकाशित किये जाने के बाद लागू होंगे।

मंसूखी और अस्थायी आदेश

११३—(१) इस ऐक्ट के अधीन किसी क्षेत्र (इलाक़े) में गाँव-सभा के स्थापित किये जाने की तारीख़ को या उसके बाद से—

(क) संयुक्त प्रांत का गाँव-पञ्चायत ऐक्ट, सन् १६२० ई० के बारे में यह समझा जायगा कि वह ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में मन्सूख़ हो गया है और पञ्चायत, यदि कोई हो, जो उस ऐक्ट के अधीन ऐसे क्षेत्र में बनाई गई थी तोड़ दी जायगी और उसके कोष (फन्ड) और दूसरी सम्पत्तियाँ और उसके देवन ऐसी गाँव-सभा को हस्तान्तरित (मुन्तकिल) हो जायेंगे, और मुकदमे और नालिशः यदि कोई हों, जो ऐसी तारीख़ को उक्त पञ्चायत के सामने विचाराधीन हों पञ्चायती अदालत को यदि कोई हो, जो उस क्षेत्र में स्थापित हो, हस्तान्तरित (मुन्तक़िल) हो जायगी या यदि ऐसी पञ्चायती अदालत न हो तो वह फ़ौजदारी या दीवानी की सबसे नीचे दर्जे की अदालतों को, जैसी कि स्थिति हो, और जिनको इनमें सुनवाई का अधिकार हो हस्तान्तरित (मुन्तक़िल), हो जायगी।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३, सन् १८९२ ई०

(ख) जहाँ तक ऐसे क्षेत्र (इलाक़े) का सम्बन्ध है संयुक्त प्रान्त का गाँव की अदालतों का ऐक्ट. ३ सन् १८९२ ई० मंसूख समझा जायगा और ऐसी सब अदालतें जो उक्त ऐक्ट के अधीन स्थापित हुई हो तोड़ दी जायेंगी और ऐसे सब मुक़द्दमे और दूसरी कार्यवाहियाँ जो उस तारीख पर उक्त स्थानीय क्षेत्र के किसी गांव की अदालत में विचाराधीन हों ऐसी पंचायती अदालत को, यदि कोई हो, भेज दी जायंगी जो उस स्थानीय क्षेत्र में स्थापित की गई हो और जहाँ कोई ऐसी पञ्चायती अदालत न हो तो सबसे नीचे दर्जे की ऐसी अदालत दीवानी को भेज दी जायगी जिसको उन पर विचार करने का अधिकार हो, और

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० २, सन् १८९२ ई०

(ग) जहां तक ऐसे क्षेत्र का सम्बन्ध है देहात की सफ़ाई का ऐक्ट, नं० २ संयुक्त प्रान्त सन् १८९२ ई० मंसूख समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ६, सन् १९२० ई०

पर शर्त यह है कि यदि किसी ऐसी पञ्चायत के क्षेत्र जहां गांव पञ्चायत ऐक्ट संयुक्त प्रांत, ६ सन् १९२० ई० के अधीन एक से अधिक गांव-सभायें स्थापित की गई हों तो ऐसी पञ्चायत का कोष फंड, सम्पत्ति और उसके दायित्व को ऐसी गांव-सभाओं में नियत नियम के अनुसार बांट दिया जायगा।

नोट—जहाँ ज्यादा गांव सभायें बनें तो पुरानी पंचायत की जायदाद उन सभाओं में क़ायदे से बांट दी जायेगी।

परिशिष्ट

(देखिये धारा ६८)

नोट— नीचे दी हुई मियाद बीत जाने पर मुकदमा खारिज कर दिया जायेगा बावजूद मियाद का उज्र भी न हो।

मुक़द्दमों का विवरण	मियाद (काल अवधि	समय जब से मियाद (काल अवधि) शुरू होती है
१—ऐसे रुपयों के मुक़द्दमे के लिये जो किसी मुआहिदा के अनुसार देना हो	३ वर्ष	जब कि रुपया मुद्दई को प्राप्त होना हो।
२—चल सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के मुक़द्दमे के लिये	"	जब कि मुद्दई को उस चल सम्पत्ति की वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया हो
३ किसी चल सम्पत्ति पर वेजा तौर पर क़ब्जा कर लेने या उसको नुक़सान पहुँचाने पर उसके मुआविज़े पाने के मुक़द्दमे के लिये	"	जब कि इस चल सम्पत्ति पर वेजा तौर पर क़ब्जा कर लिया गया हो या उसको नुकसान पहुँचाया गया हो।
४—जानवरों से पहुँचे हुये नुक़सान के मुआवज़े पाने के मुक़द्दमें के लिये	६ महीने	जब कि जानवरों के अनधिकार प्रवेश से नुक़सान पहुँचे।

संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट के अंतरगत

नियम व चुनाव की रूप रेखा

(Incorporating all the 7 amendments up to the end of January 1949. With up to date notes.)

[गाँव में किस प्रकार चुनाव होगा, उसकी रूप रेखा, किस प्रकार के मनुष्य चुने जायँ सुंदर, शान्ति और सफल पंचायत बनाने के लिये, उनके अधिकार व कर्तव्य पर प्रकाश जो आज तक ७ दफे संशोधित होकर परिपक्व हो गया है और पंचायतें बननी शुरू हैं पाठकों के अनुरोध से प्रकाशित किया है।]

लेखक एवं प्रकाशक

श्री सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल एडवोकेट

हाईकोर्ट इलाहाबाद

लेखक पंचायत राज एक्ट, काश्तकारी (नवीन) एक्ट, संशोधित तथा रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट (अंग्रेजी) संशोधित बिक्री कर एक्ट, ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) एक्ट ४८ दुकान एक्ट सब नियम, सम्पादक तथा कानून मैगजीन ।

मिलने का पता—कानून महल

१ सी० वाई० चिन्तामनी रोड, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित] १९४९ [मूल्य आठ आना

चुनाव की रूपरेखा

स्वतंत्रता स्वतन्त्रता की पुकार से संसार गुञ्जायमान है। इस देवी के पुजारी रणा-चन्डी में खून की नदी बहा चुके हैं और अपने को वलिदान कितने ही कर चुके हैं और कितने मर मिटने के लिये सदा सिर हथेली पर लिये फिरते हैं। इस देवी को सहचारी बनाने के लिये भारत के लालों ने भारी आंदोलन से देश देशांतरों को हिला दिया, सत्याग्रह की मुसीबते सहीं, जेलें भरीं, वलिदान किया और आतन्कों का न सहन करने वालों ने गोली चलाई, बम फेके, और हंसते हंसते फ़ासी के तख्ते पर चढ़े।

फलस्वरूप आज स्वतंत्रता देवी अट्टहास कर रही है, हम स्वयम्-शासक हैं, स्वराज है, प्रजातन्त्र राज्य है। अब प्रजा-तन्त्र के स्तम्भों को वारीकी से समझना और उसको ठीक रूप से व्यवहार में लाना आवश्यक हो गया है जिसके साथ हम उल्लास के साथ होली खेले पर हास परिहास में विपदा न आजायें, गंभीरता, कहल और घोर संघर्ष के दलदल में, कीचड़ के कीटाणु न वनें और जीवित नारकीय जीवन से वचें और जो स्वतंत्रता का आडम्बर मात्र ही कहलायेगा। ऐसा जीवन स्वतंत्रता का विकृत रूप है, ये होली नहीं खेल रहे हैं होलिका अपनी लाल लाल लपटों में जीवन की कोमलता, सरसता, स्वच्छ विश्वास, सहानिभूति, उदारता, भाई चारा, पड़ोसी धर्म सब ध्वंस करती जा रही है—पञ्च वनने की धुन में अहिर अलग गोल बना रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्री अपनी अपनी

कोशिश में हैं अछूत अपना ही राग गा रहे हैं हालां कि चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति से होगा ,और अछूतों और कम संख्या वालों के लिये भी पञ्चों की सीटें रिजर्व होंगी उनकी संख्या के हिसाब से (Proportional Representation) । पञ्चों को सारे गाँव के भलाई व उत्थान के लिये होना चाहिये। यह सुनने में आ रहा है कि जातीयता की गोलबन्दी से पञ्च बनने मतवालों ने सिर फुड़उवल लट्ठबाजी शुरू कर दी है। किसान जमींदार एक दूसरे से शंकित हैं, और ग्राम महाजन कर्जदारों से। जहाँ सदियों से एक दूसरे की मदद करते थे वहाँ वैमनस्य, मनमुटाव ने घर कर लिया है, इन स्वार्थअन्धता के पुजारियों ने स्वतंत्रता का विध्वंस कर दिया है।

अभी स्वतंत्रता पनपने भी नहीं पाई थी कि हाय हाय शुरू हो गई। पराये का रुपया या आश्रयदाता का मकान मिलने से अपना मतलब सिद्ध हो जाता है, तो मक्कार व्यक्ति अपने सहायक को भाँस देने में नहीं हिचकता। ऐसे दम्भी, नारकीय कीटों को गाँव वाले पञ्च न चुने, उनकी हरकतों को अच्छी तरह समझ लें उसी में श्रेय है। जो गाँव सेवा धर्म समझें, सहयोग, शान्ति व इमानदारी के कट्टर पक्षपाती हों और अपने को सेवक समझें लाठ नहीं वे ही सही पञ्च ग्रामीण भाई चुनें तो गाँव जीवन सुख, शान्ति, वैभव का साम्राज्य बन जावे, वरना ये पञ्चायत घोर अंधकार, वर्ग विरोध, झगड़ा, खूनखोरी और लट्ठबाजी का अखाड़ा हो जावेगा।

ऐ स्वतन्त्रता के पुजारी जब शासक और शासित एक हुये

तो यह नई विपदा कैसी, कुछ बिगड़े दिमाग़ समझते हैं सब बन्धनों को ढीला कर देना ही स्वतन्त्रता है क्योंकि बन्धेज एक बन्धन है और जब वह ही रह गया तो स्वतंत्रता कैसी। विचार कीजिये तो स्वतंत्रा स्वयम् आंतरिक बन्धन है क्योंकि उसी प्रकार की स्वतन्त्रता औरों की निर्विघ्न हो सके। नहीं तो वह स्वतन्त्रता नहीं जंगलीयुग है। एक बधिया बैल को छोड़ दिया जाये कि अपने सींग स्वतन्त्रता से चाहें जिसे घुसेड़ दें तो उसी प्रकार हजार बैल हों तो एक दूसरे का पेट फोड़ दें और जीवन हीअसंभव हो जाये—इंगलैन्ड राजनीतज्ञ होब्स की अंकित इस अवस्था से हम अग्रसर हो चुके हैं, मनुष्य एक सङ्गठित समाज का जीव है जहाँ, धार्मिक, समाजिक, वैधानिक, क़ानूनी बन्धनों में रहते हुये व्यक्ति स्वतंत्रता से विचरता है, धार्मिक बन्धन ईश्वरीय विश्वास, धर्म प्रदर्शकों के उपदेश, से आता है और समाजिक बन्धन पूर्वजो की व्यवस्था मान, मर्यादा का आदर से आता है। कानूनी बन्धन मनुष्य कृत अधिकार और रोक की सूची है जिसका राज शासन नियोजन करता है। शासन करने वाले समाज के अङ्ग हैं और हमारा भी उसमें भाग लेने का अधिकार है और हम अपने आपको शासित करें और सामूहिक रूप से उत्थान करने का प्रयास करें उसके लिये साधन होना चाहिये और यह साधन ग्राम पञ्चायत के रूप में मिल गया है। सेवा धर्म का अथाह समुद्र है। जब गाँव को एक सङ्गठित परिवार की तरह समझा जायेगा उसके ही लिये सब कुछ किया जायेगा जैसे स्कूल, अस्पताल,

खोलना, खेती की उन्नति, सफाई, रोशनी का इन्तजाम और आपस के कलह को शान्त करने के लिये पञ्च अदालत जो असलियत को समझते हैं समय और धन की हानि बचाते हैं, सुलभ न्याय मिल जायगा तो हर एक गाँव वाला अपनी भी उन्नति करेगा।

गाँव का हर एक योग्य स्त्री, पुरुष २१ वर्ष की अवस्था प्राप्त हुये गाँव सभा के सदस्य होंगे वे वोट देने के अधिकारी होंगे अपने गाँव पञ्चायत के लिये पञ्चों का चुनाव करेंगे। आबादी के हिसाब से कमी बेशी पञ्च चुने जावेंगे जहाँ :—

	पञ्च चुने जावेंगे
(१) गाँव की आबादी १ हजार से अधिक न हो	[illegible]
(२) " " २ " " अधिक	[illegible]
(३) ३ " " " "	[illegible]
(४) ४ " " " "	[illegible]
(५) ५ हजार से अधिक हो	[illegible]

पंचायत राज विभाग

प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पंचायतों को स्थापित करने तथा उनके निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों की पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया है। २८ जनवरी, सन् १९४९ तक ७ मरतबा के शंशोधन पूर्णतता दे दिये गये हैं। पंचायतों का निर्वाचन शुरू है।

संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० के अन्तर्गत नियम व चुनाव

अध्याय १

भूमिका—संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा ११० के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रान्तीय सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं :—

नियम १—२ तथा प्रारम्भ—(क) ये नियम "पंचायत राज नियम" कहलावेंगे।

(ख) ये उस तारीख से लागू होंगे जो सरकार सरकारी गजट में देकर प्रकाशित करे।

नियम २—परिभाषायें—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विपरीत न हो: —

(क) "ऐक्ट" से तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० से है।

(ख) "बैंकर" में डाकखाने सेविंग बैंक, सहकारी (कोआप-रेटिव) बैंक तथा कोई अन्य स्थानीय साहूकार सम्मिलित है।

(ग) "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जिलाधीश)" में इन नियमों के प्रयोजनों के लिये कोई भी ऐसा अफसर सम्मिलित है जिसे उसने अपनी ओर कार्य करने के लिए मनोनीत किया हो।

(घ) "सरकार" से तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय सरकार से है।

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" तथा "स्थानीय स्वशासन संस्था (लोकल बाडी)" में जिला बोर्ड म्युनिसिपल बोर्ड, निर्दिष्ट क्षेत्र (नोटीफाइड एरिया) तथा टाउन एरिया सम्मिलित है।

(च) "पञ्चायत" से तात्पर्य "गांव-पंचायत" से है।

(छ) "जन-संख्या" से तात्पर्य उस जन-संख्या से है जो किसी पंचायत की स्थापना के ठीक पहले भारत-सरकार द्वारा की गई सब से अंतिम जनगणना (census) में दी हुई हो,

सिवाय किसी गांव सभा के जिसके सम्बन्ध में सरकार विशेष कारणों से अन्य प्रकार से आदेश दे। (नं० १६३९ P. R. D- शंशोधन तारीख ३१ जुलाई, ४८)।

(ज) "निर्धारित अधिकारी" से तात्पर्य इन नियमों के प्रयोजनों के लिये उस अधिकारी (अफसर) से है जिसे प्रान्तीय सरकार ने नियुक्त या अधिकृत किया हो।

(झ) "रिटर्निंग अफसर (चुनाव अफसर)" में सहायक रिटर्निंग अफसर भी सम्मिलित है।

(ञ) "सभा" से तात्पर्य गांव-सभा से है।

नियम २—गांवसभाओं की स्थापना—(१) प्रत्येक ऐसे गांव में जिसकी जन-संख्या १,००० या इससे अधिक हो, एक गांव-सभा स्थापित की जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे गांव के तीन मील के भीतर ऐसे गांव हों जिनकी जन-संख्या ५०० से कम हो और जिनके नीचे लिखे हुए उप-नियमों के अधीन आसानी से गांव के समूह की किसी गांव-सभा का भाग नहीं बनाया जा सके, तो उनको उस गांव-सभा में सम्मिलित कर दिया जायगा जो ऐसे गांव के लिये बनी हो।

(२) यदि किसी गांव की जन-संख्या १,००० से कम हो और यदि किसी कारण से इसको आसानी से किसी निकटवर्ती गांव अथवा गांवों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता तो चाहे इसकी कितनी ही जन-संख्या क्यों न हो, इसमें एक पृथक गांव-सभा होगी।

(३) ऐसा गांव, जिसकी जन-संख्या १,००० से कम हो और जिसमें उपनियम (२) के अधीन एक पृथक गांव-सभा स्थापित नहीं हो, तो ऐसे गांव या गांवों के समूह में सम्मिलित कर दिया जायगा जो तीन मील के भीतर स्थित हों।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गांव-सभा स्थापित करने के लिए इस प्रकार गांवों का जो समूह बनाया जाय उसकी कुल जन-संख्या साधारणतया न तो एक हजार से कम और न दो हजार से अधिक होगी।

(४) ऐसे गांव में, जिसके तीन मील के अर्ध व्यास के भीतर कोई अन्य गांव स्थित न हो, एक पृथक गांव-सभा होगी चाहे उसकी जन-संख्या कितनी ही क्यों न हो।

नोट—आबादी १,००० या उससे ज्यादा वाले हर एक गांव में गांव सभा बनेगी—जो कम आबादी वाले हैं वे २ मील के इर्द-गिर्द गांव में शामिल करके एक गांव-सभा स्थापित करेंगे और उनकी आबादी मिलाकर २,००० से बढ़े नहीं - जो ३ मील से दूरी पर स्थित गांव हैं उनमें एक गांव-सभा अवश्य होगी जन-संख्या चाहे जितनी कम हो।

सरकारी नोट—(१) उपर्युक्त नियम के प्रयोजनों के लिए गांवों के बीच की दूरी की गणना एक आबादी से दूसरी आबादी तक की जायगी।

(२) जिलाधीश किसी ऐसे गांव को जहां लोग न रहते हों बसे हुये ऐसे समीपवर्ती गांव का एक भाग घोषित कर देगा जहां ऐसे जन-शून्य गांव के किसान पर्याप्त संख्या में रहते हों।

नियम ३ (क) "यदि यू० पी० विलेज पंचायत ऐक्ट, १९२० ई० के अन्तर्गत स्थापित किसी गांव-पञ्चायत (विलेज पञ्चायत) के क्षेत्र में संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० के अन्तर्गत एक से अधिक गाँव-सभायें स्थापित हुई हों, तो पुरानी पञ्चायत का कोष, संपत्ति एवं दायित्व ऐक्ट की धारा ११३ (ञ) के अनुसार प्रत्येक गाँव सभा को निर्धारित अधिकारी द्वारा सम भाग में वितरित कर दिया जायगा। (नं० २७८३ संशोधन ता० ६ नवम्बर, ४८)

नियम ४—सदस्यों का रजिस्टर – (१) ऐक्ट की धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति देकर जब सरकार ने सभा स्थापित कर दी हो; तो इन नियमों के संलग्न फार्म (क) में सभा के सदस्यों का एक

रजिस्टर तैयार किया जायगा। इसमें दो भाग होंगे। पहले भाग में कुटुम्बवार उन सब व्यक्तियों के नाम और ब्यौरे होंगे जो ऐसे गाँव में रहते हों जो किसी गाँव-सभा का अङ्ग हो और दूसरे भाग में केवल उन प्रौढ़ों के नाम और विवरण होंगे जो उक्त ऐक्ट की धारा ५ के अधीन सभा के सदस्य होने के अधिकारी हों।

नोट—रजिस्टर गाँव का तैयार होगा उसके दो भाग होंगे पहिला कुटुम्बवार सब गाँव के आबादी के लोग दूसरा २१ वर्ष प्राप्त हुए सब स्त्री, पुरुष जो गाँव-सभा के मेम्बर हो सकें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार आदेश द्वारा फार्म (क) को जब और जैसी आवश्यकता हो, संशोधित कर सकती है।

(२) पहले भाग में साधारणतया एक पृष्ठ एक कुटुम्ब के लिए नियत कर दिया जायगा और हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, परगणित जातियों सिक्खों और पारसियों के कुटुम्बों के लिये अलग-अलग खण्ड होंगे। गाँव के प्रत्येक रहने के घर की एक संख्या नियत कर दी जायगी और उसे रजिस्टर के दोनों भाग में दर्ज कर दिया जायगा। दूसरे भाग में मुसलमानों, परिगणित जातियों और सामान्य जातियों के योग्यपौढ़ों के लिये अलग-अलग खण्ड नियत किये जायंगे।

नियम ५—रजिस्टर में लिखना—पञ्चायत, प्रति वर्ष के अन्त में, किसी कुटुम्ब के जन्म, मृत्यु अथवा दूसरे परिवर्तनों के सम्बन्ध में, किसी सदस्य की योग्यता अयोग्यता के सम्बन्ध में, अथवा किसी ऐसे नये कुटुम्ब की वृद्धि के सम्बन्ध में जो उस

वर्ष हुई हो, पहले अथवा दूसरे भाग में अथवा दोनों भागों जैसी भी दशा हो, आवश्यक विवरण लिखेगी। प्रान्तीय सरकार सदस्यों के रजिस्टर को नियत समय पर दोहराने का आदेश दे सकती है।

नोट—हमेशा सदस्य रजिस्टर सही रखना चाहिये इसको दोहराने के लिये प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे सकती है। यह पञ्चायत राज की सराहनीय योजना है और झगड़े पैदाइश, मौती, शादी, लायक सन्तान वाले अच्छी तरह फैसल हो सकेंगे। और गाँव में गाँव में शान्ति स्थापित हो सकेगी और मुकदमा कुशल से भोले-भाले किसानों की रक्षा हो सकेगी।

नियम ६—रजिस्टर का संरक्षण—सभा रजिस्टर को सुरक्षित रखने की उत्तरदायी होगी।

नियम ७—सभा में निर्वाचन-क्षेत्र (१) जिलाधीश सभा के क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन-क्षेत्रों में बांटेगा जितने गाँव उस क्षेत्र में होंगे। यदि किसी सभा में केवल एक ही गाँव हो, तो ऐसा गाँव ही एक निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध :यह है कि यदि किसी ऐसी सभा जिसमें एक से अधिक गाँव सम्मिलित हों और जिसमें अल्पसंख्यक जाति के लिये एक अथवा एक से अधिक जगहें सुरक्षित हों और ऐसी जगहों की संख्या सभा में सम्मिलित होने वाले गाँवों की संख्या से कम हो तो सभा का क्षेत्र उतने निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँटा जायगा कि जितनी जगहें अल्प संख्यक जातियों के लिये सुरक्षित की गई हों।

(२) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सदस्यों की संख्या जहाँ तक सम्भव होगा, उस क्षेत्र की जन-संख्या के अनुसार ऐक्ट की धारा १२ के आदेशानुसार निर्धारित की जायगी।

नोट—अल्प-संख्यक (Minorities) को जगह देने, और उनकी सुविधा के लिये निर्वाचन क्षेत्र को बांटा जायेगा जहाँ कई गाँव सम्मिलित करके गाँव-सभा बनी हो। धारा १२ (४) के आदेश यह है कि जहाँ कोई अल्प-संख्यक जाति हो वहाँ हर निर्वाचन क्षेत्र को इस प्रकार बनाया जायगा कि कम से कम एक अल्प-संख्यक जाति का मेम्बर चुना जा सके। चुनाव संयुक्त निर्वाचन (Joint lectorate) पद्धति से होगी लेकिन अल्प-सख्यकों (Minorities) अथवा परिगणित जातियों (Depressed Clases) के लिये उनकी जन-सख्या के हिसाव से (सीटें) सुरक्षित रहेंगी। (Proportion)

नियम ८—पंचायत के सदस्यों की संख्या—किसी पंचायत के निर्वाचन सदस्यों की संख्या, जो किसी सभा से सम्वद्ध किए जायेंगे, सभा के प्रधान और उप-प्रधान के अतिरिक्त, उस क्षेत्र की जन-संख्या के अनुपात से, जों किसी सभा में सम्मिलित हों, क्रम से निम्नलिखित नियत की जायगी :—

(१) यदि जन-संख्या १००० से अधिक न हो...३०, सदस्य

(२) यदि जन-संख्या १००० से अधिक
किन्तु २००० से अधिक न हो............३६ सदस्य

(३) यदि जन-संख्या २००० से अधिक किन्तु
३००० से अधिक न हों..................३८ सदस्य

(४) यदि जन-संख्या ३००० से अधिक

किन्तु ४००० से अधिक न हो...........४५ सदस्य

(५) यदि जन-संख्या ४००० से अधिक हो......५१ सदस्य

नियम ९—जगहों (सीटों) को सुरक्षित रक्खा जाना—अल्पसंख्यकों अथवा परिगणित जातियों के लिए उनकी जन-संख्या के अनुपात से सुरक्षित सीटों की संख्या का हिसाब लगाते समय आधे से कम राशि-भागों को छोड़ दिया जायगा और जो अपूर्णाङ्क आधे से कम न हों उन्हें पूर्णाङ्क गिना जायगा।"

नियम १० रजिस्टर के भाग २ का प्रकाशन (१)- उस तारीख को, अथवा उस तारीख से पहले, जो सरकार निर्धारित करे, दावे और आपत्तियाँ मांगने के लिये जिलाधीश, सभा के क्षेत्र के अन्तर ऐसे स्थानों पर और उस प्रकार से जैसा कि वह उचित समझे रजिस्टर के भाग २ का हिन्दी में प्रकाशन करेंगे। रजिस्टर के प्रकाशन के समय जिलाधीश इस आशय की एक सूचना भी प्रकाशित करेंगे कि दावे और आपत्तियां, यदि कोई हों प्रकाशन की तारीख से पाँच दिन के भीतर प्रस्तुत किये जायंगे। सूचना में उस व्यक्ति का नाम भी दिया जायगा जिसके सामने वे प्रस्तुत किए जायंगे और उस स्थान और समय का भी विवरण होगा जहाँ और जब ऐसे दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी।

भाषा—(२)—रजिस्टर और उसकी प्रतिलिपियां हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि में तैयार की जायंगी और उनके तैयार करने का खर्च सम्बन्धित सभा उठायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस ऐक्ट के लागू होने के पश्चात् पहले निर्वाचन के लिये रजिस्टर तथा उसको प्रतिलिपियों के तैयार कराने का व्यय सरकार के जिम्मे होगा।

(३) रजिस्टर का भाग २ किसी विशेष त्योहार की या बड़े महत्व की छुट्टियों को छोड़कर शेष प्रति दिन १० बजे प्रातःकाल से ४ बजे सायंकाल तक देखा जा सकेगा और गाँव-सभा का कोई भी निवासी बिना कुछ शुल्क दिये इसके उद्धरण (नकल) ले सकेगा।

नियम ११—(१)—नियम १० में उल्लिखित रजिस्टर के प्रकाशन के पश्चात् शीघ्र ही जिलाधीश दावों और आपत्तियों को सुनने के लिये एक तारीख समय तथा स्थान और एक पदाधिकारी (अफसर) नियुक्त करेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित गाँव-सभा में क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवा कर देगा।

(२) रजिस्टर के भाग २ के प्रकाशित किये जाने के ५ दिनों के भीतर कोई व्यक्ति, जिसका नाम उसमें दर्ज नहीं है, और जो उसमें अपना नाम लिखवाने का दावा करता हो, या कोई व्यक्ति, जिसका नाम उक्त रजिस्टर में लिखा है और जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम के लिखे होने पर आपत्ति करता हो, एक लिखित दावा या आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, उस पदाधिकारी के पास भेज सकता है जिसे जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में नियुक्त किया हो। उक्त पदाधिकारी दावा या आपत्ति करने वाले व्यक्ति को प्राप्ति स्वीकार-पत्रक (रसीद) के रूप में

उस दावा या आपत्ति की एक प्रतिलिपि अपने हस्ताक्षर करके दे देगा, और उसमें उस दावा या आपत्ति की जो भी हो क्रम-संख्या लिख देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति एक ही प्रार्थना-पत्र द्वारा, जिसमें किसी टिकट आदि लगाने की आवश्यकता न होगी, चाहे जितने दावे या आपत्तियाँ, जिनमें अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले दावे या आपत्तियां भी सम्मिलित हों, प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे दावों या आपत्तियों की दो प्रतियां प्रस्तुत की जायंगी और उन्हें स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायगा।

नियम १२—वह पदाधिकारी, जिसके सामने दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत की जायंगी, दावे और आपत्तियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियत अन्तिम तिथि के बाद शीघ्र ही किसी तिथि में, इनको ऐसे स्थान पर और इस ढंग से प्रकाशित करेगा, जिसका जिलाधीश द्वारा निर्धारण किया गया हो। इस प्रकार जो दावे तथा आपत्तियां प्रकाशित की जायंगी वह निरीक्षण के लिए तीन दिन तक १० बजे दिन से ४ बजे संध्या तक खुली रहेंगी।

नियम १३—दावे तथा आपत्तियों का सुना जाना तथा उनके अनुसार रजिस्टर में संशोधन किया जाना—(१) जिलाधीश द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया पदाधिकारी [illegible] तिथि, समय तथा स्थान पर, [illegible] जांच करने [illegible] [illegible]

आपत्तियों को सुनने के पश्चात् जो आवश्यक प्रतीत हों, दावों तथा आपत्तियों का निर्णय करेगा उनके अनुसार रजिस्टर के दूसरे भाग में संशोधन करने की यदि कोई हो, आज्ञा देगा।

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि हाकिम परगना उस परगने का, जिसमें गांव स्थित हो, या कोई अन्य पदाधिकारी, जिसे जिलाधीश ने इस सम्वन्ध में अधिकृत किया हो, इस नियम के अधीन दिये गये हुक्म के ६ दिन के भीतर अपनी इच्छा से या उक्त आज्ञा के ३ दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र मिलने पर उक्त आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकता है।

(२) दावों तथा आपत्तियों से सम्वन्धित पक्ष पदाधिकारियों के सामने या तो स्वयं या किसी प्रतिनिधि के द्वारा, जिसे लिखकर (और जिसमें टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं) अधिकृत किया हो, उपस्थित हो सकते हैं।

नियम १४— संशोधित रजिस्टर को अन्तिम रूप देना तथा उसका प्रकाशित किया जाना—नियम १३ के उपनियम (१) के अधीन पुनरावलोकन करने वाले पदाधिकारी द्वारा रजिस्टर के दूसरे भाग में की गई किसी शुद्धि के अधीन—

(क) दावों तथा आपत्तियों की सुनवाई करने वाले पदाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा अन्तिम समझी जायगी।

(ख) इस प्रकार संशोधित किये हुए रजिस्टर को तुरन्त ही अन्तिम रूप दिया जायगा और प्रकाशित किया जायगा और सिवा एक्ट की धारा ९ के अन्तर्गत दिये गये आदेश के, उस

समय तक उसमें कोई परिवर्त्तन न किया जायगा जब तक कि वह लागू रहेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधीश. रजिस्टर की चालू स्थिति में उसमें से किसी ऐसे व्यक्ति के नाम को निकाल देने की आज्ञा दे सकता है, जो मर गया हो या जो ऐक्ट की धारा [illegible] के, अर्थात अयोग्य हो गया हो या जिसे ऐक्ट की धारा [illegible] के अधीन सदस्य रहने का अधिकार न रह गया हो। इसी तरह वह किसी लिपि सम्बन्धी भूल को शुद्ध करने की भी आज्ञा दे सकता है।

नियम १५—अयोग्य व्यक्तियों के नाम लिखा जाना—[illegible] सरकार को, जिलाधीश को, या अन्य किसी अफसर को, जिसे इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त हो; यह अधिकार होगा कि वह किसी आवेदन-पत्र के दिये जाने या सूचना मिलने पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो यद्यपि नाम दर्ज किये जाने योग्य था, पर जिसका नाम दर्ज नहीं किया गया या जिसका नाम रजिस्टर तैयार करने, संशोधन करने या दुहराने के समय किसी वर्त्तमान अयोग्यता के कारण दर्ज नहीं किया जा सका हो, रजिस्टर के भाग २ में दर्ज किये जाने का आदेश दे, यदि उक्त अधिकारी को इस बात का संतोष हो जाय कि उसका नाम दर्ज किया जाना चाहिये या उसकी ऐसी अयोग्यता अब वर्त्तमान नहीं है।

नियम १६—निर्वाचन कार्य-क्रम और कर्मचारियों की नियुक्ति (१) नियम १० के अधीन रजिस्टर के भाग २ के प्रका-

शित होने के १० दिन के भीतर जिलाधीश प्रत्येक गाँव सभा के लिये एक रिटर्निंग अफसर की और हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक सहायक रिटर्निंग अफ़सर की नियुक्ति करेगा और उस क्षेत्र के अन्तर्गत पञ्चायत के प्रधान, उप-प्रधान तथा सदस्यों और पञ्चायती अदालत के पञ्चों की नामजदगी और चुनाव के निमित्त इसकी बैठक के लिये एक तारीख, समय तथा स्थान नियत करेगा।

यह तारीख ऐसे प्रकाशन के एक महीने बाद होगी, परन्तु किसी भी दशा में यह उसके छः सप्ताह से अधिक देरी में न होगी। ऐसी तारीख़, समय तथा स्थान की घोषणा डुग्गी पीटकर और किसी दूसरे ऐसे ढङ्ग से, जिसे जिलाधीश उपयुक्त समझे की जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐक्ट के लागू होने के बाद जो प्रथम चुनाव होगा उसकी तारीख़ सरकार द्वारा जारी किये हुए आदेशों के अनुसार जिलाधीश नियत करेगा।

(२) अपनी नियुक्ति होने के बाद ही रिटर्निंग अफसर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये उतनी संख्या में पोलिंग अफसरों को नियुक्त करेगा जितनों की चुनावों में वोट (मत) लेने के लिये आवश्यकता हो और उसको यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह चुनाव के सम्बन्ध में उनको आवश्यक आदेश जारी करे।

नियम १७–(१) "रिटर्निङ्ग अफसर या उसका सहायक चुनाव के एक दिन पहले उम्मीदवारों से नियत समय तथा स्थान

पर मनोनीत पत्र प्राप्त करेंगे" (शंशोधन न० २००१ता० ११-६-४८)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान, उप-प्रधान और पञ्चायती अदालत के पञ्चों के मनोनीत-पत्र निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निङ्ग अफ़सर द्वारा न लिये जाकर गाँव-सभा के रिटर्निंग अफसर द्वारा लिए जायंगे।

(२) मनोनीत पत्र प्रान्तीय शासन के विशेष आदेश द्वारा निर्धारित एक रूपपत्र (फार्म) पर होगा, जिसे उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि, जिसे वह लिखकर अधिकार देगा, रिटर्निंग अफ़सर या सहायक रिटर्निङ्ग अफसर के सामने, नियत फीस के साथ प्रस्तुत (पेश) करेगा। फीस जमा करने की रीति वह होगी जिसको प्रान्तीय शासन विशेष आज्ञा द्वारा निश्चित करेगा। किसी भी स्थिति में नामजदगी फीस नहीं लौटाई जावेगी।(शंशोधन ता० १९-१-४९ न० ७१|P R.V.)

नियत फीस इस प्रकार होगी :—

(१) प्रधान पद के लिए ... दस रुपया।
(२) उप-प्रधान पद के लिये ... पांच रुपया।
(३) गांव पञ्चायत के सदस्य पद के लिये चार रुपया।
(४) पञ्चायती अदालत के पञ्च पद के लिये चार रुपया।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार को यह अधिकार न होगा कि एक साथ ही किसी गांव सभा के प्रधान या उप-प्रधान और गांव पञ्चायत के सदस्य या किसी गांव

सभा के प्रधान और उप-प्रधान के पदों के लिये चुनाव में खड़ा हो। (शंशोधन न० १५ २७|P.R.D. २२-४८ ता० २४-७-४८)

नियम १८—मनोनीत पत्रों की जांच (१)—(क) "मनोनीत-पत्र के पाने के पश्चात् नियम नं १७ (२) में उल्लिखित अधिकारी (अफसर) उम्मीदवार के सामने, यदि वह उपस्थित हो, उसकी जांच करेगा और यदि उम्मीदवार का नाम रजिस्टर के दूसरे भाग में दर्ज है तो उसकी उम्मीदवारी स्वीकृत करेगा (शंशोधन न० ३६१८ ता० १८-१२-४८)

मनोनीत-पत्र के अस्वीकृत अथवा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा और किसी भी कार्यवाही में उसका प्रश्न नहीं उठाया जायगा।

(ख) गांव-सभा का रिटर्निङ्ग अफ़सर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निङ्ग अफ़सर को ऐसे उम्मेदवारों के नामों की सूचना जो नियमानुसार प्रधान उप-प्रधान और पंचायती अदालत के पञ्चों के स्थानों के लिये मनोनीत हुए हैं, चुनाव होने के कम से कम चार घंटे पहले देगा।

(ग) यदि कोई उम्मेदवार जो नियम पूर्वक मनोनीत किया गया है वोट लिये जाने के पहले मर जाता है अथवा नियम पूर्वक मनोनीत उम्मेदवारों की संख्या उस संख्या से कम है जो निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्धारित है तो रिटर्निङ्ग अफ़सर खाली जगह के चुनाव तथा मनोनीत-पत्रों के लिए दूसरी तारीख नियत करेगा।

(२) यदि नियम पूर्वक मनोनीत उम्मेदवारों की संख्या उतनी ही है जितनी कि जगहें हैं अथवा कम है तो रिटर्निङ्ग अफसर ऐसे उम्मेदवारों को सम्बन्धित पदों के लिये निर्वाचित घोषित कर देगा और बाकी खाली जगहों के लिए यदि कोई हो जिला-धीश नियमानुसार यथोचित समय पर नई कार्यवाही करेगा। यदि नियम पूर्वक मनोनीत उम्मेदवारों की संख्या एक जगह अथवा जगहों की संख्या अधिक है और कोई उम्मेदवार रिटर्निंग अफसर को अपनी नामजदगी वापिस लेने की लिखित सूचना मत संग्रह करने (वोट लेने) के पहिले नहीं देता तो मत लिये जायेंगे।(ता० १९-१-४९ का शंशोधन)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गांव सभा के प्रधान, उपप्रधान तथा पञ्चायत अदालत के पञ्चों की नामजदगी वापिस लेने की सूचना, जहां तक सम्भव हो नामजदगी वापिस लेने के पश्चात् शीघ्र ही रिटर्निंग अफसर द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निङ्ग अफसर के पास भेज दी जावेगी। परन्तु यदि ऐसी सूचना किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट गिने जाने के पहिले नहीं पहुंचे, तो वहां वोट तो ले लिये जावेंगे, लेकिन उस उम्मेदवार के वोटों को जिस ने नामजदगी वापिस लेली है, रिटर्निंग अफसर द्वारा चुनाव के परिणाम को घोषित करते समय हिसाब में नहीं लिया जावेगा। (ता० १९-१-४९ शंशोधन)

(३) पञ्चायती अदालत के पञ्चों के मनोनीत करने की दशा में रिटर्निङ्ग अफसर को इस बात को देख लेना चाहिये कि

उम्मीदवार का नाम रजिस्टर के दूसरे भाग में दर्ज है और वह हिन्दी नागरी लिपि में पढ़ और लिख सकता है।

नियम १९—निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का समूहों में विभाजन—(१) रिटर्निङ्ग अफ़सर बैठक की नियत तारीख, समय और स्थान पर चुनाव-क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग के उपस्थित सदस्यों को, यदि आवश्यक समझें, तो सुविधाजनक समूहों में विभाजित करेगा और प्रत्येक समूह को एक पोलिंग अफसर के अधीन रखेगा।

(२) चुनाव प्रारम्भ होने के ठीक पहले रिटर्निङ्ग अफसर निर्वाचन-क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर उन उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा, जो प्रत्येक पद के चुनाव के लिए नियमानुसार मनोनीत हुए हैं।

(३) निर्वाचन—क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होगा, जितने कि उस क्षेत्र में पञ्चायत के सदस्यों के लिये तथा गाँव-सभा में अन्य पदों के लिए, जैसी भी दशा हो, उम्मीदवार हों।

नियम २०—विभिन्न पदों का निर्वाचन पृथक पृथक होगा—विभिन्न पदों, अर्थात् (क) सभा के प्रधान, (ख) उप-प्रधान, (ग) पञ्चायत के सदस्य और (घ) पंचायती अदालत के पञ्च के चुनाव की कार्यवाही पृथक-पृथक की जायगी और एक पद से सम्बन्धित कार्यवाही, दूसरे पद से सम्बन्धित

कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पहले समाप्त की जायगी। प्रत्येक गाँव-सभा, अदालत के पाँच पञ्चों का चुनाव करेगी। यदि नियत तारीख पर चुनाव की कार्यवाही समाप्त नहीं होती, तो वह उसके अगले दिन रिटर्निंग अफसर द्वारा नियत समय पर होगी।

नियम २१ मत देने की कार्य-विधि—(१)—प्रत्येक समूह (ग्रूप) का पोलिंग अफसर, सभा के प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत के सदस्य तथा अदालत के पदों के लिये खड़े होने वाले प्रत्येक स्वीकृत उम्मेदवार के लिए हाथ उठावार मत लेगा, और रिटर्निंग अफसर को लिखित रूप में, प्रत्येक उम्मेदवार को जितने मत प्राप्त हुए सूचित करेगा।

(२) जब कि गाँव-पंचायतों के पंचों के चुनाव के सम्बन्ध में अल्प संख्यक सम्प्रदाय तथा परिगणित जातियों के लिये स्थान (सीट) सुरक्षित रखे जायं तब अल्प संख्यक सम्प्रदाय, परिगणित जातियों तथा अन्य उम्मेदवारों के लिए, जैसी भी स्थिति हो- पृथक-पृथक रूप से एक के बाद दूसरे के लिये मत संग्रह किये जायंगे। जिन उम्मेदवारों को प्रत्येक स्थिति में सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

नियम २१ (अ) - चुनाव को स्थगित करने का अधिकार – जिलाधीश अपने आदेश द्वारा रिटर्निंग अफसरों को अधिकार देगा कि यदि रिटरनिंग अफसरों के पास ऐसा विश्वास करने योग्य कारण हो कि निश्चित तिथि पर चुनाव करने से किसी तरह की अशान्ति, दंगा या उपद्रव होने की आशंका है तो वे पूर्व

निश्चित तिथि पर होने वाले किसी भी गांव सभा के चुनाव को किसी अगली तिथि को, जिसे जिलाधीश बाद को निश्चित करे, स्थगित कर दें। (संशोधन ता० ११-१-४९)

नियम २२ सफल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा—(१)—निर्वाचन-क्षेत्र के सम्प्रदायों के सब उम्मीदवारों के सम्बन्ध में मत सग्रह करने के बाद, रिटर्निङ्ग अफसर सफल उम्मीदवारों के नाम, तथा उसके साथ-साथ सफल और असफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या भी घोषित करेगा।

(२) सभा के प्रधान, उप-प्रधान और पंचायती अदालत के पचों के पदों के निर्वाचन के सम्बन्ध में मत-संग्रह का नतीजा प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का सहायक रिटनिंङ्ग अफसर चुनाव समाप्ति के पश्चात तत्काल ही गाँव-सभा के रिटर्निंग अफसर के पास भेजेगा, और रिटार्निग अफसर ऐसे चुनाव का नतीजा नियमानुसार घोषित करेगा।

(३) रिटर्निंग अफसर एक ऐसी सूची तैयार करेगा और उसकी शुद्धि प्रमाणित करेगा, जिसमें प्रत्येक पद (स्थान) के सम्बन्ध में ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने मत दिया, उनके उम्मीदवारों के नाम, चाहे वे सफल हुए हों या असफल, और प्रत्येक द्वारा प्राप्त मतों (वोटों) की कुल संख्या का विवरण दिया रहेगा।

(४) उप-नियम (३) के अधीन तैयार किया गया नक्शा नियम २४ के अन्तर्गत लाटरी (पुर्जी) के परिणाम के सहित अगर कोई हो निर्वाचन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिलाधीश के पास भेज दिया जायगा।

न किया जाना—कोई भी व्यक्ति अफसरों तथा उन व्यक्तियों के कर्त्तव्य-पालन में, जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये हों, किसी तरह की बाधा या हस्तक्षेप न करेगा।

नियम २६—सरकारी, अथवा स्थानीय संस्था के कर्मचारी का हस्तक्षेप करना—सरकारी अथवा किसी स्थानीय अधिकारी संस्था का कर्मचारी किसी निर्वाचन में, किसी के पक्ष के प्रचार करके या अन्य रूप से हस्तक्षेप न करेगा और न किसी विधि से अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा।

नियम २७—दण्ड—कोई भी ऐसा व्यक्ति दण्डित किया जायगा और ऐसा दण्ड जुर्माना के रूप के दस रुपये तक हो सकेगा, जो :—

(१) नियमों का उल्लंघन कर सदस्यों के रजिस्टर या उसकी प्रतिलिपि या किसी अन्य लेख-पत्रों में निशान बनायेगा या परिवर्तन करेगा, या

(२) किसी रूप में कोई बाधा या हस्तक्षेप किसी ऐसे अफसर या कर्मचारी कर्त्तव्यों के पालन में करेगा जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किया गया हो या रक्खा गया हो, या

(३) इन नियमों के अधीन तहसील या अन्यत्र लगाये गये या अन्य रूप से प्रकाशित किये गये प्रतिलिपि, सूचना या अन्य

नियम २५—अफसरों आदि के कर्त्तव्य-पालन में हस्तक्षेप

लेख-पत्रों को विकृत करेगा, हानि पहुँचायेगा, अदल-बदल करेगा या हटायेगा, या

(४) इन नियमों द्वारा वांछित किसी कार्य या कार्रवाई करने की अवहेलना करेगा या करने से इन्कार करेगा, या

(५) सरकारी, अथवा किसी स्थानीय अधिकारी संस्था का कर्मचारी होते हुये नियम २६ का उल्लंघन करेगा।

नियम २८—बचाव—इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी निर्वाचन के संचालक, सदस्यों का रजिस्टर तैयार करने या अन्तिम रूप देने या गाँव-सभाओं और पंचायती अदालतों की स्थापना में नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई होने की दशा में प्रान्तीय सरकार, इस ऐक्ट के आदेशानुसार कोई भी ऐसी आज्ञा दे सकती है जो उसे विधियुक्त और उचित जान पड़े।

अध्याय २

नियम २९—(१)—निर्धारित अधिकारी (Prescribed Authority)—की नियुक्ति इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति न होने की स्थिति में ऐक्ट की धारा ५, ९, धारा १२ की उप-धारा (३) और (४), ९८, १०२ और १०३ के प्रयोजनों के लिये निर्धारित किया हुआ अधिकारी जिलाधीश होगा।

(२) इस ऐक्ट की धारा १७ (ग) २५, २७, ३० (४), ३३, ४१ (३), ४४, ४७, ४८, ९६ और ९८ के प्रयोजनों के लिए

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त बोर्ड का कोई सदस्य या प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई इन्स्पेक्टर या कोई अन्य अफसर उन प्रयोजनों के लिए जो उसको सौंपे जायँ, निर्धारित अधिकार होगा।

(३) प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि वह इस विधान (ऐक्ट) की धारा ९५ के अधीन अपने अधिकार किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा किसी ऐसे अधिकारी (अफसर) को प्रदान कर दे, जिसके सम्बन्ध में प्रान्तीय गजट में निकली हो।

(४) सरकार को अधिकार है कि वह विज्ञप्ति द्वारा नियम में वर्णित निर्धारित अधिकारियों के स्थान पर या उनके अतिरिक्त कोई अन्य निर्धारित अधिकारी नियुक्त करे।

नियम ३०—इस विधान (ऐक्ट) की धारा १०९ के अन्तर्गत दो या अधिक पंचायतों या किसी पंचायत और टाउन एरिया के बीच झगड़ों का निबटारा करने वाला निर्धारित अधिकारी या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष होगा या बोर्ड का कोई सदस्य, वा कोई इन्स्पेक्टर या कोई अन्य अधिकारी होगा जिसे प्रान्तीय सरकार ने उस क्षेत्र के लिये नियुक्त किया हो। किसी पंचायत और म्यूनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बीच झगड़ा होने की दशा में निर्धारित अधिकारी से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से होगा जिसे प्रान्तीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। और यदि ऐसी कोई नियुक्ति न हुई हो तो प्रान्तीय सरकार स्वतः नर्धारित अधिकारी समझी जायगी।

अध्याय ३

नोट—आगे के अध्याय सब ता० १९ मार्च सन् १९४९ के गजट में संशोधित करके पूर्वप्रकाशन के बाद बनाये हैं। सं० ३३१७। पं० रा० वि० २२-४८)

सभा पंचायत तथा समिति

गाँव सभा तथा गाँव पञ्चायत की बैठक, उनके कोरम और उनकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में नियम

११—बैठक, समय, तारीख और स्थान—सभा और पंचायत की बैठकें साधारणतया ऐसे गांव में होंगी जहां उनके कार्यालय स्थापित किये गए हों। इन बैठकों का समय, तारीख और ठीक स्थान, सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति निश्चित करेगा।

१२—बैठक की सूचना—सभा की बैठक की [illegible] की तारीख से कम से कम १५ दिन पहिले दी जायगी और पंचायत की बैठक की दशा में कम से कम सात दिन की सूचना दी जायगी।

१३—बैठक का बुलाना—पंचायत का सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है और उसके लिये मान्य (अनिवार्य) होगा कि वह, ऐसे लिखित प्रार्थना-पत्र के आने पर, जिसमें कम से कम एक [illegible] सदस्यों के हस्ताक्षर हों, ऐसे प्रार्थना-पत्र के मिलने से १५ दिन के भीतर पंचायत की बैठक बुलाए।

३४—सूचना में कार्यवाही का उल्लेख—सभा या पंचायत की बैठकों की सूचना में यह लिखा होगा कि किस प्रकार की कार्यवाहियां बैठक में की जायँगी जो कि सदैव धारा ३१ के अन्तर्गत नियम के अधिन होंगी !

३५—कोरम और विधि—(क) पंचायत के मेम्बरों की पूरी संख्या की एक तिहाई, जिसमें सभापति और उप-सभापति भी सम्मिलित हैं, बैठक की निर्दिष्ट संख्या होगी।

नोट—१।३ मेम्बर अवश्य मौजूद हों।

(ख) यदि कोई बैठक निर्दिष्ट संख्या की कमी के कारण स्थगित कर दी जाय तो स्थगित की हुई बैठक के लिये निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु बैठक की पुनः सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) गत बैठक की कार्यवाहियां अगली बैठक में पढ़ी जायगी और सभापति उनको प्रमाणित करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा और पिछले महीने का हिसाब पंचायत के सामने विचारार्थ उपस्थित किया जायगा।

३६—हिन्दी में कार्यवाहियों का विवरण रखना—सभा और पंचायत अपनी बैठकों और कार्यवाहियों का एक संक्षिप्त विवरण एक पुस्तक में (फ़ार्म नं० ८) हिन्दी में रक्खेगी। कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि नियत अधिकारी के पास बैठक के बाद ही सात दिन के भीतर भेज दी जायगी।

३७—बैठकों की सूचना—(१) सभा के बैठक की सूचना का प्रकाशन निम्ननलिखित रीतियों से किया जायगा :—

(क) गांव-सभा के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर सूचना चिपकाकर।

(ख) डुगडुगी पीटकर घोषणा करके।

(ग) यदि संभव हो तो स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करके।

(२) पंचायत के बैठक की एक सूचना चौकीदार या [illegible] के द्वारा प्रत्येक सदस्य के पास भेज दिया जायगी और पंचायत की [illegible] सीमा के भीतर प्रमुख स्थानों पर एक सूचना लगाकर उसका प्रकाशन किया जा सकता है।

३८—**बैठक की अवधि**—पंचायत की बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

३९—**प्रश्न या प्रस्ताव की सूचना**—यदि पंचायत का कोई सदस्य किसी बैठक में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे अथवा कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वह अपने अभिप्राय की एक सूचना उससे पहले की बैठक में देगा या बैठक के कम से कम १० दिन पहले अपने अभिप्राय के सम्बन्ध में सभापति को या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति को या मंत्री को लिखकर सूचना देगा।

पर प्रतिबन्ध यह है कि सभा का सभापति स्वेच्छानुसार किसी ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद किये जाने की या किसी ऐसी कार्रवाई के किये जाने की आज्ञा दे सकता है, जिसके लिये पहले से सूचना न दी हो, परन्तु जो उसके विचार से इतनी आवश्यक हो कि उस पर तुरन्त विचार निश्चित करना आवश्यक है।

४०—**किसी निर्णय पर गाँव-सभा या पंचायत द्वारा पुनर्विचार**—किसी ऐसे विषय पर, जिसका अन्तिम निर्णय गाँव-सभा या पंचायत द्वारा कर लिया गया हो, प्रस्ताव के पास करने के बाद ही तीन मास के भीतर पुनः विचार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ग्राम-सभा या पंचायत के सदस्य, जिनकी संख्या दो तिहाई से कम

न हो, ऐसा करने के लिये किसी प्रार्थना-पत्र पर अपने हस्ताक्षर द्वारा अनुमति न दें।

४१—गाँव-सभा या पंचायत के सामने प्रस्ताव या सुझाव—(क) किसी गांव-सभा या पंचायत का सभापति किसी ऐसे प्रस्ताव या सुझाव को, जिसके सम्बन्ध में उसका यह विचार हो कि इस पर गांव-सभा या पंचायत को विचार करने का अधिकार नहीं है, विचार-विनिमय किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये जाने से रोक सकता है और वह ऐसा करने के कारण लखे।

(ख) ऐसे सब प्रस्तावों या सुझावों पर, जिनको प्रस्तुत किये जाने की सभापति ने आज्ञा दे दी हो, विचार-विनिमय किया जायगा और उनको बहुमत से पास किया जायगा, किन्तु बराबर वोटों के आने की दशा में सभापति को निजी वोट देने का अधिकार होगा।

(ग) सभापति की आज्ञा के बिना, प्रस्ताव प्रस्तुत करनेवाले के अतिरिक्त कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर जवाब में दूसरी बार नहीं बोल सकता है।

४२—पूछे जानेवाले प्रश्न—पंचायत के सदस्य जो प्रश्न पूछेंगे वे इस ऐक्ट के अधीन पंचायत के शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में होंगे, किन्तु वे न तो विवादास्पद, न काल्पनिक और न किसी जातिविशेष या व्यक्ति के लिये अपमानजनक होने चाहिए और न वे किसी ऐसे मुकद्दमे नालिश या कार्यवाही के सम्बन्ध में होंगे जो पंचायती अदालत के विचाराधीन हों या जिन पर कोई अदालत या उसका कोई पंच कानूनी कार्यवाही कर रहा हो।

४३—प्रश्न को रोक देना—पंचायत के सभापति को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे प्रश्न को पूछे जाने से रोक दे जो उपरोक्त नियम के अनुसार न हो और हर ऐसी दशा में वह प्रश्न मिनिट्स कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण में नहीं लिखा जायगा।

४४—प्रश्नों पर कार्यवाही—प्रश्नों के मिलने पर सभापति या सेक्रेटरी या कोई अन्य सदस्य, जो सभापति द्वारा अधिकृत हो, उनके मिलने की तारीख के अनुसार उन पर क्रमानुसार नम्बर डाल देगा और उनको सभापति के सामने रक्खेगा जो पंचायत के किसी अफसर या कर्मचारी को इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करने का आदेश दे सकता है।

४५—प्रश्नों का उत्तर—(१) पंचायत की अगली बैठक में सभापति या उसकी आज्ञा से उपसभापति या पंचायत का मन्त्री उन प्रश्नों के उत्तर पढ़ेगा जो बैठक के पहले नियमानुसार मिले हों, किन्तु पूरक प्रश्नों की आज्ञा नहीं दी जायगी।

(२) प्रश्न पूछनेवाला सदस्य प्रश्न को किसी भी समय बैठक में प्रश्न के पढ़े जाने के पहले वापस ले सकता है, लेकिन हर ऐसी दशा में प्रश्न मिनिट्स-कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण से निकाल दिया जायगा।

(३) अगर किसी सदस्य ने, जिसने किसी प्रश्न के नियमानुसार नोटिस दी हो, उस प्रश्न को बैठक होने से पहले वापस न लिया हो और वह स्वयं बैठक में उपस्थित न हुआ हो तो सभापति उस प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति किसी दूसरे सदस्य को, जो उपस्थित हो दे सकता है और उसके उत्तर के पढ़े जाने की भी अनुमति दे सकता है।

४६—बैठक का अस्थाई सभापति—सभापति या इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति गांव-सभा या पंचायत की प्रत्येक बैठक में सभापति के आसन को ग्रहण करेगा और उक्त दोनों सभापति या उप-सभापति की अनुपस्थिति में सभापति द्वारा मनोनीत पंचायत का कोई सदस्य सभापति के स्थान पर काम करेगा और वह उन सभी अधिकारों को लेगा और उन सभी कर्तव्यों को सम्पादित करेगा जो विधान के द्वारा दिये गये हों या सौंपे गये हों।

४७—पंचायत के सभापति के कर्त्तव्य—सभापति का कर्त्तव्य होगा कि—

क. (१) गांव-सभा और पंचायत की समस्त बैठकों को बुलाये और उनका सभापतित्व ग्रहण करे।

(२) बैठक में की जानेवाली कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखेगा और सुव्यवस्था स्थापित करेगा।

ख. पंचायत की आर्थिक व्यवस्था तथा शासन-विभाग की देखभाल करे और यदि उनमें त्रुटि हो तो उसकी सूचना पंचायत को दे।

ग. पंचायत के कर्मचारीवर्ग की देखभाल करे और उन पर नियंत्रण रक्खे।

घ. नियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न रजिस्टरों को सुव्यवस्थित रखने का प्रबन्ध करे और पंचायत की ओर से समस्त पत्र-व्यवहार करे।

च. विभिन्न कार्यों के कार्यान्वित कराने का, पंचायत की सम्पत्ति की रक्षा का और पंचायत द्वारा लगाये गये कर या शुल्क के बाँधने और इकट्ठा करने का प्रबन्ध करे।

छ. पंचायत की ओर से नालिश करे और मुकदमे दायर करे।

ज. उन अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे जो कि अन्य विधान के अन्तर्गत लगाये गये हों या उनसे सम्बन्धित हों।

४७ अ.—सभापति के विशेषाधिकार—विशेष आवश्यकता पड़ने पर नियत अधिकारी को सूचना देकर बिना पंचायत की स्वीकृति पास किये हुए भी सभापति को कोई भी कार्य करने का अधिकार होगा। पंचायत की अगली बैठक में वह उस विषय को पंचायत के समक्ष रखेगा।

४७ ब.—संक्रामक रोगों को रोकने और वश में करने के विषय में सभापति के अधिकार—

किसी गांव में किसी छूत की बीमारी तथा अन्य बीमारी को फैलने से रोकने और वश में करने के प्रयोजनार्थ सभापति को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर या उनके द्वारा अधिकार प्राप्त अफसर के आदेश तथा आज्ञानुसार वह समस्त अधिकार होंगे जो कि रोगग्रस्त व्यक्तियों तथा वस्तुओं को गांव में आने व बाहर जाने से रोकने के लिये, गांव में रहनेवाले समस्त व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से टीका लगाने के प्रबन्ध के लिये, गन्दे खाद्य-पदार्थों को अधिकार में लेने के लिये, चूहों को नष्ट करने के लिये और गृह त्याग कराने के प्रबन्ध के लिये आवश्यक हों और अन्य ऐसे कार्य करे जो कि सभापति की सम्मति में बीमारी को रोकने और वश में लाने के लिये आवश्यक हों।

४७ स.—अधिकारों का प्रदान करना—सभापति, इन धाराओं के आधीन, जिन्हें वह लागू करना ठीक समझे अपने किसी भी अधिकार को उप-सभापति या मन्त्री को प्रदान कर सकेगा।

पंचायत की बैठकों में सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोगों की उपस्थिति

४८—सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति—नियत अधिकारी या पंचायत का सभापति पंचायत के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोगों को परामर्शदाता के रूप में पंचायत या इसकी समितियों की बैठकों में शामिल होने की आज्ञा दे सकता है।

समितियाँ बनाने के सम्बन्ध में नियम

४९—शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी समितियों का बनाना—(क) अपने शासन प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिये कोई गांव

पंचायत ऐसी समिति बना सकती है जिसमें साधारणतया पाँच से कम और सात से अधिक सदस्य न होंगे, जो इन पदों पर एक वर्ष तक रहेंगे, किन्तु पंचायत के सदस्य न रहने पर उन्हें अपना पद त्याग देना होगा। समिति की बैठक में सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या तीन होगी। यदि निर्दिष्ट संख्या की कमी के कारण कोई बैठक स्थगित हो जाय तो स्थगित की हुई बैठक के लिये निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) कोई व्यक्ति एक या उससे अधिक समितियों का मेम्बर हो सकता है।

(ग) कोई समिति एक ऐसे बाहरी आदमी को भी सम्मिलित कर सकती है जो समिति की राय में, अपनी योग्यता तथा अनुभव की विशिष्टता से, समिति के काम के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हो।

५०—(क) समिति का सभापति पंचायत द्वारा समिति ही के सदस्यों में से नियुक्त किया जायगा और वोटों के बराबर-बराबर बँट जाने पर उसे एक और वोट देने का भी अधिकार होगा।

(ख) यदि कभी कोई बैठक हो और उसका सभापति अनुपस्थिति हो तो उपस्थिति सदस्य अपने में से एक को उस बैठक का सभापति चुन लेंगे।

५१—समिति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी जो उसे पंचायत द्वारा दिए जाएँगे और उस पर पंचायत का साधारण नियंत्रण रहेगा।

५२—यदि गांव-पंचायत की अधिकार—सीमा का विस्तार एक से अधिक गांवों तक हो तो हर गांव से कम से कम एक सदस्य हर समिति में लिया जायगा।

५३—हर समिति की कार्यवाहियाँ पंचायत की बैठक के सामने पढ़ी जायँगी जो पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए किसी समिति के निर्णय को बदल सकती है।

समितियों में नियुक्तियाँ किये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न होनेवाले झगड़ों के बारे में नियम

५४—समिति में नियुक्ति पर विवाद—कोई भी व्यक्ति, जिस पर किसी संयुक्त (ज्वाइंट) समिति या किसी दूसरी समिति या अदालत में होनेवाली नियुक्ति का असर पड़े और वह उस नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति प्रगट करना चाहे, तो नियत अधिकारी के सामने एक प्रार्थना-पत्र उपस्थित कर सकता है जिसमें वह यह बतलायगा कि वह किस कारण या किन कारणों के आधार पर उक्त नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति करता है।

५५—विरोधी पक्ष को सूचना देना—नियत अधिकारी उस पार्टी को, जिसकी नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई है, यह सूचना देगा कि वह एक नियत समय के अन्दर, जो नोटिस में दिया गया होगा, सकारण बताए कि इस प्रार्थना-पत्र को क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। उक्त पार्टी प्रार्थना-पत्र के उत्तर में अपना लिखित बयान नियत अधिकारी के सामने उपस्थित करेगी।

५६—अभियोगों की जाँच—नियत अधिकारी, प्रार्थना-पत्र या लिखित बयान में लगाये हुए अभियोगों की सत्यता या असत्यता मालूम करने के लिये या तो स्थानीय जाँच करेगा या साक्षी लेगा, जैसा भी वह उपयुक्त समझे।

५७—प्रार्थना-पत्र पर निर्णय—(क) यदि जाँच करने पर या गवाह लेने पर नियत अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि उक्त आपत्ति के लिये जो किसी नियुक्ति के विरुद्ध की गई है कोई उचित कारण नहीं है तो प्रार्थना-पत्र को रद्द कर सकता है।

(ख) किन्तु यदि उसको यह विश्वास हो जाय कि वह नियुक्ति जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, बल-प्रयोग, छल-कपट, फरेब, अन-

चूककर प्रार्थना-पत्र देने या किसी मूल्यवान वस्तु के भेंट या स्वीकार करने के परिणामस्वरूप हुई थी तो वह उस नियुक्ति को मन्सूख कर देगा और या तो एक आकस्मिक स्थान रिक्त होने की घोषणा करेगा या किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में यह घोषणा करेगा कि वह नियमानुसार नियुक्त हो गया है, जैसा भी वह उस मामले की विशेष परिस्थियों को देखते हुए अधिक उपयुक्त समझे।

(ग) (क) और (ख) के अन्तर्गत आनेवाले मामलों में नियत अधिकारी स्वेच्छानुसार खर्चा दिये जाने की आज्ञा दे सकता है जो किसी दशा में पाँच रुपये से अधिक न होगा।

५८—समिति में आकस्मिक स्थान रिक्त होना—आकस्मिक स्थान रिक्त होने की घोषणा किये जाने की दशा में, नियत अधिकारी आदेश देगा कि सम्बन्धित समिति में नहीं नियुक्ति की जाय।

पदाधिकारियों की मुअत्तली या उनके हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम

५९—सदस्य या चेयरमैन की मुअत्तली या उनका हटाया जाना—पंचायत किसी समिति के सदस्य या सभापति को एक प्रस्ताव के द्वारा, जो पंचायत के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास किया गया हो, मुअत्तल कर सकती है या हटा सकती है, किन्तु ऐसे प्रस्ताव पास करने के पहले पंचायत सभापति या सम्बन्धित सदस्य से उन अभियोगों के सम्बन्ध में, जो उसके विरुद्ध लगाए गए हों, जवाब तलब करेगी और उस पर अपनी बैठक में विचार करेगी जिसमें मुअत्तली या हटाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किय जायग

६०—सभापति या उप-सभापति द्वारा त्यागपत्र—किसी गाँव-सभा का सभापति या उप-सभापति या किसी पंचायत का सदस्य, जो अपने पद को त्यागना चाहता हो, एक लिखित त्याग-पत्र उस नियत अधिकारी के पास भेजेगा और जब त्याग-पत्र की स्वीकृति सभापति या उप-सभापति या सदस्य को, जैसी कि स्थिति हो, लिख [illegible] जायगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने पद त्याग दिया।

६१—सदस्य, सरपंच या पंच को पदच्युत करना—(१) नियत अधिकारी या प्रान्तीय सरकार सम्बन्धित सदस्य या [illegible] से जवाब तलब करने के बाद किसी भी समय किसी पंचायत के सदस्य, सभापति या उप-सभापति या अदालत के पंच या सरपंच को हटा सकता है।

(क) अगर वह कार्य करने से इनकार करता है या [illegible] के अयोग्य हो जाता है या पंचायत या अदालत की [illegible] बैठकों से बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है [illegible] पंचायत या अदालत सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसके हटाने की सिपारिश करती है। या

(ख) यदि उसका अपने पद में बना रहना जनता या पंचायत के हित को देखते हुए पर्याप्त कारणों से अवांछनीय है। या

(ग) अदालत के पंच या सरपंच की दशा में उसने ऐक्ट की धारा ४९ की उपधारा (२) के आदेशों का उल्लंघन किया है।

(घ) यदि उसने अपनी पदवी का दुरुपयोग किया है या कर्तव्यों का, जो कि इस ऐक्ट द्वारा या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा उस पर लागू हैं, पालन करने में बराबर हठधर्मी रहा है।

(२) इस नियम के अधीन हटाया गया कोई व्यक्ति तीन वर्ष के लिये किसी भी हैसियत से फिर से गाँवसभा या पंचायत में चुने जाने का अधिकारी नहीं होगा

६१—रिक्त स्थान भरने का तरीका—पंचायत या गांव-सभा या समिति के किसी सदस्य या सभापति या उप-सभापति या अदालत के पंच या सरपंच के अवकाश ग्रहण करने, मरने, अयोग्य सिद्ध होने, त्याग-पत्र देने या हटाये जाने पर नियत अधिकारी चुनाव के लिये तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और चुनाव उसी तरीके से किया जायगा जो ऐक्ट और उसके अधीन बनाए हुए नियमों में, जहाँ तक कि वह लागू होता हो, दिया हुआ है। इस प्रकार चुने हुए व्यक्ति पंचायत, अदालत या समिति के, जैसी भी दशा हो, कार्यकाल के शेष समय के लिये ही पदाधिकारी होंगे।

६२ (क) किसी कार्य या कार्यवाही की वैधानिकता—यदि किसी गांव-पंचायत या पंचायती अदालत अथवा गांव-पंचायत की किसी समिति के सदस्यों में कोई आकस्मिक या अन्य कारणवश कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो इसके कारण गांव-सभा, गांव-पंचायत पंचायती अदालत या ऐसी किसी समिति का कोई काम या कार्यवाही अवैध न होगी।

६२ (ख) गाँव-सभा आदि का कार्य-संचालन—कोई गांव-सभा, गांव-पंचायत और पंचायती अदालत स्थापित होने के पश्चात अपना कार्य-संचालन ऐसी तिथि से आरम्भ करेगी जिसे प्रान्तीय शासन साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे।

---

(२) अदालत माल की कार्यवाहियों का रजिस्टर।

(३) दीवानी नालिशों और फौजदारी मुकद्मों के लिये अलग-अलग रुपयों की रसीदबहियाँ।

(४) आज्ञापत्रों (प्रोसेसेज) और सम्मनों, जो तामील होने के लिये जारी किए गए हों या भेजे गए हों, का रजिस्टर।

(५) खूराम के खर्च का रजिस्ट।

(६) फौजदारी मुकद्मों का रजिस्टर।

(७) जुर्माने का रजिस्टर।

(८) निरीक्षण की बही।

(९) पंचायती अदालत के कोष का बहीखाता।

६५—**अतिरिक्त रजिस्टर**—इन रजिस्टरों के अतिरिक्त जो कि उक्त धाराओं में दिये जा चुके हैं प्रान्तीय सरकार जब कभी उचित समझे पंचायती अदालत या पंचायत को कोई और रजिस्टर या बही रखने का आदेश दे सकती है।

६६—**लेख-पत्रों की अवधि**—दीवानी नालिशों, अदालत माल की कार्यवाहियों और फौजदारी के मुकद्मों के रजिस्टर क्रमशः बारह, सात और पाँच वर्षों के बाद नष्ट कर दिये जायँगे और दूसरे कागज़-पत्र और रजिस्टर तीन साल बाद नष्ट कर दिए जायँगे।

६६ (अ) **जमा करने का स्थान**—पंचायती अदालत के सब रजिस्टर, बहियाँ और सम्बन्धित कागज़-पत्र बन्द किये जाने के एक वर्ष के उपरान्त तहसील के कार्यालय में जमा कर दिये जायंगे।

६७—**रजिस्टरों के प्रकार**—उक्त नियमों के अनुसार नियत रजिस्टर और बहियाँ इन नियमों के साथ नत्थी फार्मों में होंगी; किन्तु प्रान्तीय सरकार अपने साधारण या असाधारण आदेश द्वारा इनमें परिवर्तन कर सकती है।

गाँव-पंचायत और पंचायती अदालत के द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले कागज-पत्रों के सम्बन्ध में नियम

६८—(१) वार्षिक रिपोर्ट—पंचायत पिछले आर्थिक वर्ष के अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष पहली जून से पहले निरीक्षक अधिकारी के पास भेजेगी। रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होगी :-

(१) पंचायत का विधान।

(२) एक विवरण-पत्र जिसमें आर्थिक सहायता और चन्दे और उनका उपयोग दिखाया गया हो।

(३) कर-सम्बन्धी विवरण-पत्र जिसमें माँग, वसूली, छूट और बकाया दिखाया गया हो।

(४) वह आय जो फौजदारी के मुकदमों के लिये गये जुर्मानों के अतिरिक्त दूसरे जुर्मानों से प्राप्त हुई हो।

(५) दूसरे मार्गों से होनेवाली आय।

(६) व्यय (क) स्थायी (ख) अस्थायी।

(७) धारा १४ और धारा १८ में बताये हुए कर्तव्यों के लिये नियम के अधीन पूरे वर्ष में पंचायत द्वारा की हुई कार्यवाहियाँ और उनमें से कौन से कर्तव्य को पंचायत आवश्यक समझती है।

(८) एक विवरण-पत्र जिसमें ऐसी रकमें लिखी गई हों जो वर्ष के भीतर वसूल न हुई हों और साथ ही यह भी लिखा गया हो कि यह क्यों वसूल नहीं हुई।

(९) एक विवरण-पत्र जिसमें निर्माण और मरम्मत के बड़े कार्य, जो वर्ष भर में पूरे किये गए हों, चालू रहे हैं न

किसी भावी योजना के साथ किये जानेवाले हों, दिखाये गये हों।

(१०) कोई अन्य आवश्यक कार्य।

६८ (२) पंचायत रिपोर्ट के साथ एक विवरण-पत्र फार्म नं० १ में जिसमें उस वर्ष की उसके आय और व्यय का ब्योरा और उसके बैंकर का हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण-पत्र दिया हो, नत्थी करेगी। यदि डाकखाने में धन जमा हो तो सभापति का हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण-पत्र नत्थी किया जायगा।

६९—अदालत के मुकदमे के हिसाब को भेजने का समय—अदालत नियत रजिस्टरों के फार्म में फौजदारी मुकदमों के सम्बन्ध में हिसाब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किसी अफ़सर के पास अदालत माल की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में हाकिम परगना के पास, दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में उस मुंसिफ के पास, जिसकी अधिकार-सीमा में वह अदालत हो, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के पहले सप्ताह में भेजेगी।

पंचायत और उसके उप-समितियों के काम के निरीक्षण, देख रेख और नियंत्रण के लिये नियम

७०—पंचायत-कार्यालय का निरीक्षण—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कोई अफसर या सदस्य या कोई ऐसा अफ़सर, जिसे सरकार ने नियुक्त किया हो और जिसे इस सम्बन्ध में कानूनी अधिकार दिया गया हो किसी पंचायत के कार्यलय का निरीक्षण कर सकता है। उसके निरीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट नियत अधिकारी को भेजी जायगी।

निरीक्षण का अधिकार

७१—पंचायत को निर्माणकार्य, रजिस्टर और लेखपत्र का निरीक्षण—पंचायत या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई सदस्य तथा अफसर और

कोई सरकारी अफ़सर जिसको इस सम्बन्ध में अधिकार दिया गया हो और सभापति या उप-सभापति की पहले से स्वीकृति लेकर सम्बन्धित कमेटी का कोई सदस्य किसी निर्माण-कार्य को जो पंचायत के खर्च से किया गया है, या जिसका रख रखाव पूर्णतया या आंशिक रूप से उसके द्वारा होता हो और किसी रजिस्टर, बही या हिसाब या दूसरे दस्तावेज़ को जो पंचायत का हो या पंचायत या उसकी समिति के अधिकार में हो, निरीक्षण कर सकता है।

७२—जांच कराने का अधिकार—पंचायत का सभापति या कोई अधिकार-प्राप्त कोई सदस्य और सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अधिकार-प्राप्त कोई अफ़सर किसी प्रकार की जांच पंचायत के शासन के सम्बन्ध में कर सकता है और उस सम्बन्ध में सम्बन्धित हालात की देख भाल के गवाहों के नाम सम्मन भेज सकता है और इस जांच के किसी प्रयोजन के लिये कोई दस्तावेज कागज प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को बाध्य कर सकता है।

शासन-सम्बन्धी मामलों में दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के लिये गाँव पंचायतों से वसूल की जानेवाली फीस को नियत करने और इन प्रतिलिपियों के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में की जानेवाली कार्यवाहियों के निर्णय करने का नियम

७३—दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ और उनका शुल्क—पंचायतों के दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के लिये प्रार्थना-पत्र पंचायत के सभापति के पास भेजे जायंगे। प्रतिलिपि लेने के शुल्क की दरें ये होंगी और इन

प्रतिलिपियों के स्वीकार करने के ढंग के सम्बन्ध में नियम १०७ से १११ तक में बताई हुई कार्यवाही की जायगी।

पंचायती अदालतों के जुडिशियल मिस्लों और गांव-पंचायतों की शासन-सम्बन्धी कार्यवाहियों के निरीक्षण के नियम

७४—मिस्लों और कार्यवाहियों का निरीक्षण—इस सम्बन्ध में दिये हुए नियमों के अधीन सब न्याय सम्बन्धी मिस्लों और पंचायतों की शासन-सम्बन्धी कार्यवाहियों का निरीक्षण किया जा सकेगा।

जुडिशियल मिस्लों का निरीक्षण

७५—विचाराधीन जुडिशियल मिस्लों का निरीक्षण—विचाराधीन मुकदमों या नालिशों या कार्यवाहियों के मिस्लों का या जिनका निर्णय हो चुका है परन्तु जिनकी मिस्लें पंचायत-कार्यालय में जमा नहीं की गई है, मुकदमे का कोई पक्ष निशुल्क निरीक्षण कर सकता है।

कोई अन्य व्यक्ति जो उस मिसिल को देखना चाहे एक प्रार्थना-पत्र भेजकर, जिसमें यह बतायागया हो कि किस हित की रक्षा के लिये वह निरीक्षण करना चाहता है उस सभापति की स्वीकृति प्राप्त करेगा जिसकी अदालत में मुकदमा या नालिश या कार्यवाही विचाराधीन हो या अदालत के सरपंच की, यदि मुकदमे का निर्णय किया जा चुका हो, अनुमति प्राप्त हो जाने पर नियम ७७ में दिए हुए शुल्क के देने पर वह निरीक्षण कर सकता है। विचाराधीन मुकदमे या नालिश या कार्यवाही के मिसिल में निर्णय किये हुए मुकदमे की मिसिल, जो कि किसी विचाराधीन मुकदमे या नालिश या कार्यवाही के सम्बन्ध में मांगी जाय, सम्मिलित मानी जायगी।

रिकार्ड का निरीक्षण केवल पञ्चायत या अदालत के, जैसी भी दशा हो, किसी अधिकारी की उपस्थिति में किया जायगा।

८१—शासन सम्बन्धी कार्यवाइयों का निरीक्षण—किसी पंचायत की सब शासन-सम्बन्धी कार्रवाइयों का निरीक्षण सभापति की इच्छा से किया जा सकेगा। जुडिशियल मिस्लों के निरीक्षण के लिये निर्धारित कार्य-विधि इनके सम्बन्ध में भी लागू होगी, यदि निरीक्षण की आज्ञा दे दी गई हो।

नियम जिसमें वह सीमा निर्धारित की गई है, जहाँ तक गाँव पंचायत और पंचायती अदालत से किये हुए जुर्माने छोड़े जा सकते हैं।

८२—जुर्मानों को छोड़ देना—यदि कोई जुर्माना जो किसी शासन सम्बन्धी मामले में किसी पंचायत द्वारा या किसी जुडिशियल मुकदमे में किसी अदालत द्वारा किया गया हो, वसूल न हो सकता हो, तो वह पचायत या सम्बन्धित अदालत द्वारा छोड़ा जा सकता है, पर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस जुर्माने का रुपया किसी जुडिशियल मुकदमे में ५ रुपये से अधिक हो, तो पंचायत के सम्बन्ध में नियत अधिकारी या पंचायती अदालत की दशा में पहले से उच्च अदालत से पूर्व स्वीकृति लिये बिना नहीं छोड़ा जायगा। जिला पंचायत अफ़सर इसमें नियत अधिकारी है (गज़ट २६ मार्च ४६)।

अध्याय ५.

पंचायती अदालत, उसका विधान और कार्य-विधि

८३—पंचायती अदालत का अधिकार-क्षेत्र—डिस्ट्रिक्ट मजि-स्ट्रेट अदालत स्थापित करने के लिये तहसीलवार द्वारा जिले की प्रत्येक तहसील को सर्किलों में इस प्रकार विभाजित करेगा कि तीन [illegible] गांव-सभाओं के क्षेत्र एक सर्किल में आ जाएं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मजि-स्ट्रेट को किसी बनाई जानेवाली अदालत का क्षेत्र [illegible] विशाल प्रतीत हो तो वह सरकार के पूर्व अनुमति से गांव-सभाओं [illegible] को कम या अधिक करके एक सर्किल बना सकता है।

८३ अ—सरपंच का चुनाव—(१) किसी सर्किल [illegible] सभाओं में इस ऐक्ट की धारा ४३ के अन्तर्गत [illegible] चुनाव हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही उक्त पंचों की एक बैठक [illegible] नियत की गई तारीख को या उसके बाद, जिसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजि-स्ट्रेट पहले से देगा, ऐसे समय व स्थान पर जो [illegible] निश्चित करे, धारा ४४ के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में जिसको कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट किया हो, की जायगी,

८६—अ (१) के अन्तर्गत नियम—सभा करने का कोरम—सभा में पंचायती अदालत के उस समय तक [illegible] हुए सदस्यों में आधे सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

(२) यदि केवल एक ही उम्मेदवार [illegible] होता है तो वह चुना हुआ सरपंच समझा जायगा [illegible]

कि एक से अधिक उम्मेदवार प्रस्तावित और समर्थित हों तो वह उम्मीदवार जो सबसे अधिक संख्या में वोट पाता है चुना हुआ समझा जायगा। बैठक के सभापति का कोई वोट न होगा किन्तु ऐसी स्थिति में जब कि वोट बराबर हों, तब वह बैठक में प्रस्तुत पंचों की उपस्थिति में चिट्ठी डालकर चुनाव का निर्णय देगा।

(२) सभापति चुनाव के श्चात् तुरन्त ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के के पास चुनाव का परिणाम प्रस्तुत करेगा।

८४—(अ) विशेष बेंच की रचना—किसी मुकदमे की सुनवाई या निर्णय के लिये, जिसके फरीक-पक्ष और विपक्ष के लोग भिन्न-भिन्न अदालती पंचायत के क्षेत्रों के रहनेवाले हों, नियत अधिकारी को एक विशेष बेंच बनाने का अधिकार होगा जिसमें सम्बन्धित क्षेत्रों की अदालतों के कुछ पंच रहेंगे और वह बेंच का एक सरपंच नियुक्त करेगा। यह बेंच उस स्थान पर बैठेगी जो नियत अधिकारी द्वारा निश्चित की गई हो और उसकी कार्य-विधि अदालत के पथ-प्रदर्शन के लिये बनाए हुए नियमों के अनुसार होगी।

नोट—इसमें इन्सपेक्टर नियत अधिकारी है।

८४ (ब)—यदि किसी नालिश, मुकदमा या कार्यवाही में किसी पंचायती-अदालत का सरपंच या उसका निकट-सम्बन्धी, उसका मालिक (employer) या नौकर (employee) या उसका कारोबार का कोई हिस्सेदार स्वयं एक पक्ष हैं या जिसमें इनमें से कोई व्यक्तिगत प्रयोजन रखता हो या ऐक्ट की धारा ४६ के अनुसार सरपंच को बेंच बनाने में कोई कठिनाई हो, तो उक्त धारा के अन्तर्गत बेंच बनाने के बजाय सरपंच तुरन्त ही नालिश, मुकदमा या कार्यवाही, जैसी भी दशा हो, दायर होने के पश्चात्, नियत अधिकारी के पास सब कागज-पत्र भेज देगा, जो कि इन पर कार्यवाही करने के लिए एक बेंच बनाएगा।

नोट—इसमें इन्सपेक्टर नियत अधिकारी है।

नोट—नियम ८४ (ब) में सम्बन्धी का तात्पर्य है—[illegible], प्रपिता, श्वशुर, मामा या चाचा, पुत्र या पौत्र, दामाद, भाई, [illegible], मामा या चाचा का पुत्र, साला, बहनोई, पत्नी, साले का पुत्र या भतीजा।

८५—पंचों के लिये योग्यता—कोई व्यक्ति, जो [illegible] का पंच चुने जाने योग्य है और जो हिन्दी पढ़ और लिख सकता है, धारा ४३ के अधीन पंचायती अदालत का पंच होने योग्य समझा जायगा।

८६—पंच या सदस्य द्वारा पद-ग्रहण की शपथ—धारा ४१ के अधीन चुना हुआ प्रत्येक पंच और गांव पंचायत का प्रत्येक सदस्य अदालत या पंचायत की, जैसी भी दशा हो पहिली [illegible] के [illegible] नीचे लिखे हुए ढंग से क्रमशः अपने पद का शपथ लेगा।

शपथ

मैं.......................... (नाम).........................

शपथ लेता हूँ कि मैं सर्वैध स्थापित भारत के शासन के [illegible] तथा पूर्णनिष्ट रहूँगा और मैं समस्त प्रकार के लोगों के [illegible] और भय, पक्षपात, स्नेह अथवा-दुर्भावना से बिना [illegible] अदालती पंच। पचायत के सदस्य के नाते [illegible] सच्चाई के साथ पालन करूँगा। अतः ईश्वर मुझे [illegible]

पंचायती अदालत की इजलासों के लिए नियम

८७—अदालत की इजलास का समय और स्थान—[illegible] अपनी इजलास उस समय, उस स्थान और उन [illegible] करेगी जो नियत अधिकारी द्वारा निश्चय किया गया [illegible]

नोट—जिला पंचायत अफसर इसके नियत अधिकारी हैं [illegible]

८८—काल—अदालत मास में उतने दिन इजलास करेगी जितने दिन कार्य को शीघ्र समान करने के लिये अवश्यक हों, या नियत अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए हों। ज़िला पंचायत अफ़सर यहाँ नियत अधि.

८९—मामले की अवधि की सीमा—प्रत्येक मुकदमा, मामला या अदालती कार्यवाही का उसके चलावे या उसे अदालत में आने से साधारण तौर पर छः सप्ताह के भीतर अन्तिम निर्णय किया जायगा। यदि उसका निर्णय इस अवधि में नहीं किया गया तो अदालत मामलों और मुकदमों के नियत रजिस्टरों में और नियत अधिकारियों को पेश की जानेवाली त्रैमासिक रिपोर्टों में विलम्ब के कारण लिखेगी। ज़िला पंचायत अफ़सर यहाँ नियत अधिकारी है।

९०—इजलास का सूचित किया जाना—मास के तीसरे सप्ताह में पंचायती अदालत अगले मास की अपनी बैठकों की तारीखें निर्धारित करेगी और उसकी सूची न्यायलय (अदालत) के बाहर लगा देगी।

९१—मामलों की साप्ताहिक सूची सूचना के लिये—मुकदमों नालिशों और कार्यवाहियों की एक साप्ताहिक सूची, जिसमें पक्षों के नाम और वह तारीखें दी गई हों, जिन पर वह सुने जानेवाले हों जनता और पक्षों की सूचना के लिये अदालत के कार्यालय के बाहर, लटका दी जायगी।

९२—सुनवाई की तारीख का पता निःशुल्क—किसी पक्ष या गवाह से उसके मुकदमे, मामले या कार्यवाही की सुनवाई की निश्चित तारीख का लिखित या मौखिक पता लगाने के लिये कोई फीस नहीं ली जायगी।

९३ (१)—धारा ७५ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र—जैसे ही कोई प्रार्थना-पत्र मौखिक या लिखकर धारा ७५ के अधीन दिया जाय उसका सारांश नियत रजिस्टर में लिखा जायगा और प्रार्थी का हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिन्ह रजिस्टर में करा लिया जायगा।

पूर्णतया स्वीकार कर लेता है तो पंचायती अदालत को कोई साक्षी लेना आवश्यक न होगा।

(२) प्रत्येक पक्ष को अभियुक्त के अतिरिक्त दूसरे पक्ष व उसके गवाहों को ठीक उनके बयान के पश्चात् प्रश्नोत्तर करने की आज्ञा देनी होगी। परन्तु पंचायती अदालत स्वयं या किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर किसी व्यक्ति का बयान कार्यवाही के किसी भी अवसर पर अंतिम निर्णय देने के पूर्व ले सकती है और ऐसी दशा में प्रत्येक पक्ष को इस प्रकार सुने जाने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने का अधिकार होगा।

(३) किसी व्यक्ति को सुने जाने के पूर्व अभियुक्त के अतिरिक्त पंचायती अदालत उससे निम्नलिखित शपथ देगी—।

मैं सत्य कहूँगा और सत्य के अतिरिक्त और कुछ न कहूँगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ दे।

९६—विधि का अनुगमन—जो कार्यवाही ऐक्ट के धारा ७२ से ८४ तक निहित की गई है और जो संयुक्त प्रान्तीय भूमिकर विधान (कानून मालगुजारी) के धारा ४० और ४१ में दी गई हैं उसका प्रयोग कार्यवाहीयों के निर्णय करने में किया जायगा।

९७—किसी अधिकार प्रश्न पर जांच—उन मामलों में जिसमें पक्ष के व्यक्तिगत जाति-विशिष्ट विधान (निजी कानून) के अन्तरगत स्वत्वाधिकार या अधिकार का प्रश्न उठता है अदालत केवल एक सरकारी (संक्षिप्त) जांच करेगी और दीवानी और व्यक्तिगत जाति विशिष्ट विधान (निजी कानून) पर अवलम्बित स्वत्वाधिकार के उलझे हुए प्रश्नों की जांच न करेगी। सन्देह और कठिनाई की दशा में वह सब डिवीजनल अफिसर

अदालत नियत रजिस्टर (फ़ार्म २ या ३) जैसी भी दशा हो, अपना विचार, निर्णय या आदेश संक्षेप में लिखेगा और पंचों के और पक्षों के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिह्न जो कि निर्णय के समय उपस्थित हों, ले लिये जायँगे, रेकार्ड पर लगा दिया जायगा और नालिश की दशा में एक निर्णय (decree) नियत फ़ार्म नं० २४ के अनुसार बनाई जायगी।

१०१—किसी पक्ष के मरने पर रुके हुए मामलों का निपटारा—यदि किसी फौजदारी के मुकदमे में पुलिस मुकदमे के अतिरिक्त विचाराधीन काल में अभियेागी या अभियुक्त मर जाता है तेा मुकदमा समाप्त हो जायगा। परन्तु यदि किसी दीवानी की नालिश या माल की कार्यवाही के विचाराधीन काल में कोई पक्ष मर जाता है तेा उक्त पक्ष का प्रतिनिधि नालिश या कार्यवाही का, जैसी भी दशा हो, ऐक्ट की धारा ८७ के अनुसार, पक्ष बनाया जायगा।

१०२—किसी जुर्माने या क्षतिपूर्ति का चुकाना—किसी अदालत द्वारा किया हुआ जुर्माना या स्वीकार की हुई क्षतिपूर्ति की रकम सरपंच या पंचायत से इस सम्बन्ध में सवैध रूप से अधिकार दिये गए किसी सदस्य को या उस पंच को जिसे सरपंच ने अधिकार दिया हो, दिया जायगा और वह नियत फ़ार्म पर उस रुपये की रसीद देगा।

१०३—अदालत की भाषा—अदालत और उसके सब पत्रों और रजिस्टर की भाषा हिन्दी होगी।

१०४—अदालत की मोहर—प्रत्येक अदालत अपने नाम की एक मोहर रखेगी और सब कार्यवाहियों, आदेशों और प्रतिलिपियों पर उसका प्रयेाग करेगी।

धारा ७५ के अधीन लोगों द्वारा दी जानेवाली शुल्क और अदालत से कागज़ों की प्रतिलिपियें और उन प्रतिलिपियों को देने के सम्बन्ध में की जानेवाली कार्यवाही पर विचार करने के लिये ली जानेवाली शुल्क को नियत करने के नियम।

१०५—अदालती शुल्क—कोई मुकदमा या कार्यवाही [illegible] से पहले अदालत नीचे दी हुई शुल्क नकद लेगी—

दीवानी मुकदमे		[illegible]
जब झगड़े का विषय रुपये या मूल्य में १० रुपये से अधिक न हो	.....	[illegible]
जब वह १० रुपये से अधिक और २५ रुपये से अधिक न हो	...	[illegible]
जब वह २५ रुपये से अधिक और ५० रुपये से अधिक न हो	...	[illegible]
जब वह ५० रुपये से अधिक और २०० रुपये से अधिक न हो	...	[illegible]
जब वह २०० रुपये से अधिक हो	...	[illegible]

उसके भाग के लिये
छः आना

(१) फौजदारी के मुकदमे ..... आठ आना

(२) विविध प्रार्थना-पत्र, नालिश मुकदमा व कार्रवाई में ... एक आना

पर प्रतिबन्ध यह है कि अदालत को अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो किसी फौजदारी के मुकदमे में फ़ीस छोड़ सकती है, परन्तु उसे ऐसा करने के कारण फौजदारी के मुकदमों के रजिस्टर में नोट करने होंगे।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि जिस मामले में अदालत यह निश्चय करती है कि वह उसकी अधिकार सीमा में नहीं है, वह प्रार्थी द्वारा दी हुई फ़ीस उसके प्रार्थना-पत्र के साथ, यदि वह लिखा हुआ हो, लौटा देगी।

१०६—**इजरा के प्रमाण-पत्र पर शुल्क**—उसी दर से जो कि नियम १०५ में दी हुई है, हिसाब लगाई हुई शुल्क अदालत डिग्रीदार से दूसरी अदालत को उसके इजरा का प्रमाण-पत्र लिखकर भेजने से पहले लगा ली जायगी और वह प्रमाण-पत्र के अधीन वसूल किये जानेवाले रुपये में जोड़ दी जायगी।

१०७—**मिस्लों के प्रतिलिपियों के लिये प्रार्थना-पत्र और उन पर शुल्क**—अदालत या पंचायत के मिस्लों की प्रतिलिपियों के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र सरपंच या सभापति या कोई दूसरा पंच या सदस्य के पास जिसको सवैध रूप से अधिकार दिया गया हो, एक आना शुल्क-सहित भेजा जायगा।

१०८—**प्रतिलिपि का शुल्क**—प्रतिलिपि का शुल्क-प्रत्येक २०० शब्दों या उनके भाग के लिये तीन आने की दर से लिया जायगा।

पञ्चायती अदालत के कार्य की व्यवस्था करने वाले नियम और सम्मनों और दूसरी कार्रवाइयों का पञ्चायती अदालत द्वारा साधारण अदालतों को उनके इजरा या पालन के लिये भेजने की व्यवस्था करने और उन पर कार्रवाई करने के नियम।

२१२—आह्वान-पत्र (सम्मन) और सूचना का विषय—प्रत्येक आह्वान-पत्र (सम्मन) या सूचना (नोटिस) जो किसी अदालत से जारी की जायगी, दो प्रतिलिपियों और नियम फार्म (फार्म नं० ४) में होगी। उसमें समय, तारीख और स्थान जहाँ उस व्यक्ति को उपस्थित होना आवश्यक हो, लिखित रहेगा और यह भी लिखित रहेगा कि उसकी उपस्थति अपराधी, प्रतिवादी, डिग्री के देनदार, दूसरे पक्ष या साक्षी या साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के प्रयोजन से या दूसरे प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। यदि कोई विशेष दस्तावेज पेश करना है तो वह यथोचित रूप से ठीक-ठीक सम्मन या नोटिस में लिखा जायगा।

११३—लेख-पत्र प्रस्तुत करने का आह्वान-पत्र—किसी व्यक्ति के पास गवाही देने का सम्मन न भेजकर दस्तावेज़ पेश करने का सम्मन भेजा जा सकता है और किसी व्यक्ति के लिये जो केवल दस्तावेज पेश करने के लिये बुलाया जाय, यह समझा जायगा कि उसने सम्मन स्वीकार कर लिया है, यदि वह दस्तावेज पेश करने के लिये स्वयं उपस्थित होने के बजाय उसे दूसरे से उपस्थित करवा देता है।

११९—भोजन व्यय—किसी व्यक्ति को भोजन-व्यय नहीं दिया जायगा जो अदालत के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत रहता है।

१२०—अधिकार क्षेत्र के बाहर पहुँचाने की विधि—यदि किसी नालिश मुकदमे या कार्रवाही में अदालत की ओर से बुलाये जानेवाला व्यक्ति अदालत के अधिकार-क्षेत्र के बाहर रहता है तो अदालत आह्वान-पत्र डाक द्वारा या किसी और रूप से उस पंचायती अदालत या अन्य अदालत के पास, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह व्यक्ति जिसको आह्वान-पत्र दिया जानेवाला है रहता हो और ऐसी अदालत उसे उसी प्रकार पहुँचावा देगी जैसे कि वह उसी का आह्वान-पत्र हो और उसकी दूसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित अदालत को लौटा देगी। यदि वह व्यक्ति जिसके नाम आह्वान-पत्र भेजा गया है, कोई साक्षी है तो अदालत उस व्यक्ति से जिसकी ओर से आह्वान-पत्र जारी किया जानेवाला है, यह चाहेगी कि वह आह्वान-पत्र जारी करने के पहले इन्हीं नियम के अनुसार साक्षी को दिया जानेवाला भोजन-व्यय जमा कर दे। भोजन-व्यय आह्वान-पत्र (सम्मन) पर लिख दिया जायगा और उपस्थित होने पर साक्षी को दिया जायगा।

१२१—नियम १२२ अन्तर्गत जारी किये गये आह्वान-पत्र (सम्मन) की विधि—नियम १२२ के अधिन अदालत की ओर से जारी किया जानेवाला आह्वान-पत्र (सम्मन) सम्बन्धित पंचायती अदालत को डाक-द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भेज दिया जायगा और उसमें यह लिखकर दिया जायगा कि उसे अदालत ने स्वयं अपने ओर से जारी किया है और यह कि भोजन-व्यय अदालत की ओर से साक्षी को उसके उपस्थित होने पर दिया जायगा।

१२२—पंचायत-कोष से भोजन-व्यय—यदि कोई अदालत किसी साक्षी को स्वयं अपनी ओर से आह्वान-पत्र भेजकर बुलाती है

१२६—भोजन-व्यय और रसीद का रजिस्टर—भोजन-व्यय जमा किये जाने पर अदालत जमा करनेवाले व्यक्ति को एक रसीद देगी और उसी समय भोजन के व्यय के रजिस्टर रूपपत्र संख्या ६ में जमा करनेवाले का नाम और जमा किया हुआ रुपया लिखेगी। साक्षी के या भोजन-व्यय जमा करनेवाले के भोजन-व्यय का भुगतान करने पर, सरपञ्च या सदस्य, जिसकी उपस्थिति में रकम दी गई है, भोजन-व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा।

धारा ८३ के अधीन अदालत द्वारा अपने अधिकारों को काम में लाने का नियम

१२७—जाँच करने का अधिकार—अदालत या उसका कोई सदस्य, जिसको इस सम्बन्ध में उचित रूप से अधिकार दिया गया हो, किसी मुकदमे या मामले के उचित रूप से निर्णय करने के सम्बन्ध में तथ्यों का निश्चय करने के लिये, स्वत्वाधिकार रखनेवाले या भूमि या भवन के मालिक, या उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि को, उस दशा में जब कि उस पर उसका अधिकार न हो, २४ घण्टे की सूचना देने के बाद, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच किसी समय किसी भूमि या भवन पर प्रवेश कर सकता है। यदि भूमि ऐसे व्यक्तियों के अधिकार में हो, जो देश की प्रथा के अनुसार सर्वसाधारण के सम्मुख नहीं आते-जाते तो उनको हट जाने की उचित सूचना दी जा सकती है।

डिग्री का इजरा

१२८—प्रार्थना-पत्र का इजरा करना—डिग्री या आज्ञा हो जाने के बाद, डिग्रीदार या आज्ञा पानेवाला वही शुल्क देकर जो मौलिक मुकदमों या नालिश या कार्यवाही के लिये नियत है उस अदालत में डिग्री इजरा के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है, जिसने डिग्री या आज्ञा दी हो।

अधिकार होगा कि वह पञ्चायत की प्रार्थना पर जिसका समर्थन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के किसी प्रस्ताव द्वारा हुआ हो, भूमि-प्राप्ति सम्बन्धी ऐक्ट, सन् १८६४ ई० के आदेशों के अधीन ऐसी भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही करे और जब कि पञ्चायत उसके अधीन नियत की हुई क्षति पूर्ति कर दे तो वह भूमि पंचायत की सम्पत्ति हो जायगी जो कि भार रहित होगी और उसी उद्देश्य के लिये प्रयोग में लाई जायगी जिसके लिये ली गई थी।

१३०—अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण—पञ्चायत को मान्य होगा कि वह अपनी कोई अचल सम्पत्ति यदि उसका वास्तविक मूल्य ५०० रुपये से अधिक हो, कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के बिना और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ, जिनकी कमिश्नर स्वीकृति दे केवल पट्टे के द्वारा हस्तान्तरित करे और किसी प्रकार वा अधिशुल्क न ले और दूसरी दशाओं में जिलाधीश पूर्व स्वीकृति ऐसे प्रतिबन्धों के साथ, जिनको वह लगाना उचित समझेगा, लेना अनिवार्य होगा।

१३१—भूमि का नक्शा—ऐसी दशाओं में जब कि पञ्चायत को अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरित करने के लिए कमिश्नर या कलेक्टर की स्वीकृति की आवश्यकता हो, पञ्चायत अपने प्रस्ताव की रिपोर्ट रूप पत्र संख्या २३ पर भेजेगी और इसके साथ उस भूमि या उसके आसपास की भूमि आदि के मानचित्र की दो प्रतिलिपियाँ संलग्न होंगी।

१३२—विना अधिशुल्क के पट्टा—उस दशा में जब कि पंचायत ऐसी कोई अचल सम्पति अधिशुल्क (प्रीमियम) के बिना पट्टे हस्तान्तरित करे, वार्षिक कर का कोई उचित रकम नियत किया जायगा और वह पट्टे की पूरी अवधि के भीतर देय होगी और पंचायत के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किये विना न तो कोई पट्टा दिया जायगा और न उसके देने के सम्बन्ध में कोई स्वीकार पत्र लिखा जायगा।

समस्त अचल सम्पति का, जिसमें वृक्ष सम्मिलित हैं, एक रजिस्टर रक्खे जिसका वह स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रक्खी गई हो या जिस पर वह किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो।

१३७—विभिन्न सम्पत्ति के लिये भिन्न-भिन्न रजिस्टर—ऐसी सम्पत्ति जिसकी पंचायत स्वामी हो, ऐसी सम्पत्ति जो पंचायत के प्रबन्ध में रख दी गई हो और ऐसी सम्पति जिस पर पंचायत किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो रजिस्टर के अलग अलग भागों में क्रमानुसार लिखी जायगी।

१३८—रजिस्टर का सामयिक निरीक्षण—पंचायत को मान्य होगा कि वह वर्ष में कम से कम एक बार नियत अधिकारी द्वारा नियत अवधि पर उपरोक्त रजिस्टर का निरीक्षण कराये, और निरीक्षक अफसर यह प्रमाणित करेगा कि "रिकार्ड" (रजिस्टर के इन्दराज आदि) सही हैं। इन्स्पेक्टर इसमें नियत अधिकारी है।

१३९—हस्तान्तरण—सरकार की स्वीकृति और पंचायत के प्रस्ताव के बिना ऐसी कोई अचल सम्पति जिसकी पंचायत मालिक हो या जो उसके स्वामित्व में हो, विक्रय दान-पत्र या बन्धन, या लेन-देन के द्वारा हस्तांतरित न की जायगी।

१४०—टेन्डरों को बुलाना और काम का ठेका देना—समस्त ठेके चाहे वह किसी कार्य के करने के लिये हों या किसी वस्तु के परिपूर्ण करने के लिये हों पचायत द्वारा स्वीकार किये जायंगे। और यदि ठेकों का मूल्य ५० रुपए से अधिक हो तो ठेके केवल प्रस्ताव-पत्र (टेन्डर) लेने के पश्चात् ही स्वीकार किये जायेंगे और लिखित होंगे तथा उस पर सभापति तथा पंचायत के एक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।

करेगा और वह अधिकारी जिसको कि ऐसी सूचना दी गई है सूचना देनेवाले को एक रसीद देगा। कोई व्यक्ति जो बिना किसी पर्याप्त कारण के इन नियमों के अधीन रिपोर्ट न देगा पंचायती अदालत से जुर्माने के दंड का भागी होगा जो एक रुपये से अधिक न होगा।

१४४—**चौकीदार द्वारा जन्म और मृत्यु की सूचना**—चौकीदार का कर्त्तव्य होगा कि वह गांव-सभा के सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति या सेक्रेटरी को प्रत्येक जन्म और मृत्यु जो कि पंचायत द्वारा सौंपे गये उसके क्षेत्र में हुई हो, के होने के दो दिन के भीतर सूचना दे।

जल-कुम्भी आदि का हटाया जाना

१४५—**जलकुम्भी को नष्ट करना**—किसी पंचायत को अधिकार होगा और जब कि उसके क्षेत्र में रहने वाले प्रार्थना करें तो उसके लिये मान्य होगा कि वह किसी भूमि, आहाते या पानी की जगह जल-कुम्भी की उपज को रोकने के लिये उसको ढूंढ़े, हटा दे और नष्ट कर दे और उसे रोकने के लिए घेरों और रोकों को बनावे। पंचायत को अधिकार होगा कि वह उस जगह के रहनेवालों से इस काम का खर्चा वसूल कर ले जब तक कि इस उद्देश्य के लिये वहां के रहनेवाले बिना मजदूरी के काम करनेवालों का स्वयं प्रबन्ध न कर दें।

मलिनता दूर करने (कन्सरवेन्सी) और पानी की सप्लाई के नियम

१४६ (अ)—**स्वच्छ और स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग**—जब कभी कोई पंचायत अपने क्षेत्र की सफाई का प्रबन्ध और उसकी निगरानी अपने हाथ में ले ले और उसकी उत्तरदायी हो

(छ) गांव की सीमा के भीतर सुअर पालने और रखने का निषेध कर दे : इसके अतिरिक्त कि वह उपयुक्त स्थानों या बाड़ों में रक्खे जायं।

(ज) गांव से २२० गज दूरी के अन्दर किसी आपत्तिजनक व्यापार की व्यवस्था करे या निषेध करे जैसा कि युक्तप्रान्तीय म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट की धारा २९६ (२) (जी) में दिया हुआ हो।

(झ) खाद या कूड़ा या दूसरे आपत्तिजनक पदार्थों का ढेर करने या इकट्ठा करने का जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा तथा आराम के लिये हानिकारक हो, निषेध करेगी या उसका प्रबन्ध करेगी।

१४७—पानी के प्रबन्ध के अधिकार—जब कभी कोई पंचायत अपने क्षेत्र के पानी का प्रबन्ध और उसकी निगरानी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले और उसकी उत्तरदायी हो तो वह निम्नलिखित अधिकारों में से किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है:—

पंचायत को अधिकार होगा कि वह:—

(क) ख़रीद, दान-पत्र या किसी और प्रकार से कोई तालाब, कुआँ, नदी, सोता प्राप्त करे और उससे पानी प्राप्त करने के लिये सुविधाएं प्रदान करे।

(ख) सरकारी तालाब और कुएं बनाए, उनकी मरम्मत कराये और उनको सुरक्षित रक्खे और समयानुसार इन तालों, कुओं, नदियों और सोतों की सफाई का प्रबन्ध करे।

(ग) किसी महामारी फैलने के दिनों में किसी नदी का पानी पीने, घर के बर्तन धोने, कपड़े धोने या मवेशियों को पानी पिलाने के काम में लाने के सम्बन्ध में निषेध करे, और

(घ) विज्ञप्ति प्रकाशित करके कुएं और तालाब इत्यादि जल पीने के लिये, बरतन धोने के लिये, कपड़े धोने के लिये, अन्त्येष्टि

(२) जब की पचायत इस नियम के अधीन सूचना तामील करने के लिये गांव के चौकीदार को नियुक्त करे तो पंचायत के लिये मान्य होगा कि वह चौकीदार को उक्त सूचना के साथ साथ एक आना प्रति सूचना (नोटिस) का शुल्क दे और उक्त फीस पंचायत कोष से दी जायगी।

१५०—सूचना को स्वीकार करना—प्रत्येक व्यक्ति जो ऐक्ट के अन्तर्गत या इन नियमों के अधीन निकाली गई सूचना की प्राप्ति की रसीद देना अस्वीकार करेगा वह पचायती अदालत के आदेशानुसार जुर्माने के दंड का भागी होगा जो कि १० रुपये से अधिक न होगा।

अध्याय ८

योजना तैयार करना और निर्माण कार्य करना

गाँव पंचायत के निर्माण कार्य के मानचित्र (नक्शा) तथा अनुमान तैयार करने के सम्बन्ध में और निर्माण कार्य करने और उनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम

१—निर्माण कार्य का वर्गीकरण।

१५१—निर्माण-कर्य का वर्गीकरण—इन नियमों के उद्देश्यों के लिये निर्माण कार्य का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जायगा:—

(क) सामान्य निर्माण कार्य वह है जिसकी लागत १००० रुपये से अधिक न हो।

(२) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इञ्जीनियरिंग विभाग के सभापति की अनुमति से बोर्ड का कोई अधीनस्थ कर्मचारी तैयार कर सकता है, पर प्रतिबन्ध यह है कि उक्त निर्माण कार्य की लागत २०० रुपये से कम और ५,००० रुपये से अधिक न हो, या

(३) कोई ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिशनर तैयार कर सकता है जिसके पास इस सम्बन्ध में कला कौशल सम्बन्धी योग्यता हो और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्जीनियर द्वारा स्वीकृत हो।

(ख) "स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण कार्य" की दशा में कोई भी ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिशनर तैयार कर सकता है जिसके पास इस सम्बन्ध में कला कौशल सम्बन्धी योग्यता है और जिसे ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्जीनियर द्वारा स्वीकृत हो।

(ग) वृहत् निर्माण कार्य की दशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का चीफ इञ्जीनियर यदि वह कार्य स्वास्थ सम्बन्धी निर्माण कार्य हो अथवा समुचित अनुभव वाला परामर्शदाता इञ्जीनियर जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो।

३—विवरणपत्र और अनुमान की तैयारी की विधि।

१५३—अनुमानित व्यय तैयारी करने की विधि—(क) गांव पंचायत सामान्य और अल्प निर्माण कार्य के विवरणपत्र और अनुमान नियम १५२ (क) और (ख) के अधीन किसी भी साधन द्वारा तैयार करा सकती है।

(नियत अधिकारी इस नियम में हैं इन्सपेक्टर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत १००० रुपये से अधिक, किन्तु ५,००० रुपये से कम हो। ५,००० रु० से ऊपर की लागत के कार्यों के लिये संचालक पंचायत राज)

(ग) ऐसे अल्प या वृहत् निर्माण कार्य के सम्बन्ध में सबसे प्रथम पंचायत एक नियमानुकूल प्रस्ताव द्वारा अनुमति देगी और उसके बाद उन्हें नियत अधिकारी के पास स्वीकृति के लिये भेजा जायगा। (नियत अधिकारी यहाँ पर इस प्रकार नियुक्त हो गये हैं ज़िला पंचायत अफ़सर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत १००० रु० से अधिक, किन्तु ५,००० रु० कम हो। ५,००० रु० से ऊपर की लागत के कार्यों के लिये संचालक पंचायत राज।)

(घ) ऐसे वृहत् निर्माण कार्य की दशा में उसकी योजना यदि उसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सार्वजनिक निर्माण विभाग) ने तैयार किया हो, नियत अधिकारी (प्रान्तीय शासन) के पास शासन प्रबन्धात्मक स्वीकृति के लिये भेज दी जायगी।

५—उन योजनाओं के सम्बन्ध में अनुमति और स्वीकृति, जिनके लिए प्रान्तीय सरकार ऋण या आर्थिक सहायता के रूप में धन दे।

१५५—ऋण लेकर चलाई जानेवाली योजनाएं—(क) किसी सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माणकार्य के मानचित्र और अनुमानित व्यय, जिनके लिये पंचायत ने नियमानुकूल प्रस्ताव द्वारा अनुमति दे दी हो, उन्हें नियत अधिकारी (ज़िला पंचायत अफ़सर) के पास भेज दिया जायगा

न हो, पंचायत स्वयं कर सकती है या उसे नियम १५२ (क) और (ख) उल्लिखित साधनों द्वारा दैनिक श्रम ठेके द्वारा करा सकती है।

(ख) ऐसे समस्त सामान्य निर्माण कार्य, लागत १५२ रुपये से ऊपर हो और अल्प निर्माणकार्य, नियम १५२ के आदेशों के प्रतिबन्धों सहित, उस साधन द्वारा किये जायंगे तथा उनकी नाप-जोख होगी, जिनके सम्बन्ध में ऐसे नियत अधिकारी (इन्सपेक्टर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत ५०० रु० से अधिक, किन्तु १,००० रु० से कम हो) ने अपनी अनुमति दे दी हो, जो अदायगी के सम्बन्ध में नाप-जोख का आधार निर्धारित करेगा।

(ग) ऐसे समस्त वृहत् निर्माणकार्य, नियम १५२ के आदेशों के प्रतिबन्धों सहित, उस साधन द्वारा किये जायंगे तथा उनकी नाप-जोख होगी, जिसके सम्बन्ध में ऐसे नियत अधिकारी ने अपनी अनुमति दे दी हो, जो अदायगी के सम्बन्ध में नाप-जोख का आधार निर्धारित करेगा। (नियत अधिकारी इसमें हैं, ज़िला पंचायत अफ़सर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत १,००० रु० से अधिक, किन्तु, ५,००० रुपये से कम हो। ५,००० रुपये से ऊपर की लागत के कामों के लिये सञ्चालक पंचायत राज)

(घ) यदि किसी वृहत् निर्माण कार्य को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग के चीफ इञ्जीनियर को सौंपा जाय, तो सम्बन्धित डिपार्टमेंट उस निर्माण-कार्य को पूरा करेगा, उसकी नाप-जोख करेगा और उसकी रकम अदा करेगा।

८—निर्माण कार्य का-निरीक्षण।

१५८—अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य—(क) गांव पंचायत द्वारा निर्माण किये गये। प्रत्येक सामान्य, अल्प वृहत् निर्माण-

(ख) प्रारम्भिक योजना के लिये दिया जानेवाला शुल्क अनुमानित खर्च का ½ प्रतिशत होगा, पर प्रतिबन्ध यह है कि साधारण ट्यूबवेल की योजना के सम्बन्ध में कम से कम शुल्क ५० रुपया होगा। यदि बाद कोई अन्तिम रूप से पूर्ण योजना तैयार की जाती है, तो प्रारम्भिकयोजना के लिये दिया गया शुल्क अंतिम रूप से पूर्ण योजना के शुल्क में से काट लिया जायगा।

(ग) अन्तिम रूप से पूर्ण योजना के लिये दिया जानेवाला शुल्क निम्नलिखित दर से लगाया जायगा—

अनुमानित व्यय	जब पड़ताल या चौरसाई नहीं की जाती	जब पड़ताल या चौरसाई की जाती है
२०,००० रुपये तक	एक प्रतिशत ...	दो प्रतिशत
२०,००० रु० के ऊपर ...	½ प्रतिशत ...	एक प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि योजना के तैयार करने में कोई पड़ताल या चौरसाई की ऐसी मिस्लें जो पहले से मौजूद हों काम में लाई जा सकती हैं, किन्तु और अधिक पड़ताल या चौरसाई करने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग के चीफ इन्जीनियर इस बात की पुष्टि करेंगे कि पड़ताल चौरसाई की वर्तमान मिस्ल किस अंश तक उपयोगी है और उस अनुपात से अपनी शुल्क घटा सकते हैं, जितना वर्तमान पड़ताल और चौरसाई की मिस्ल के कारण उनकी चौरसाई या पड़ताल का खर्च कम हो गया हो।

(घ) जब प्रारम्भिक या अन्तिम रूप से अनुमानित व्यय परिवर्तित दर और मूल्य के अनुसार दुहराया जाता है तो उस दशा में जब कि अनुमानित व्यय में कमी कर दी जाय तो पहले से दिये जा चुके शुल्क में कोई कमी नहीं की जायगी। किन्तु यदि योजना में ही परिवर्तन किया

१६१—सार्वजनिक स्वास्थ्यविभाग के साधारण निर्माण कार्य काशुल्क—निर्माण-कार्य की प्रारम्भिक या अन्तिम रूप से पूर्ण जयोना के लिये दिये जानेवाले शुल्क की दर और साधारण निर्माण-कार्य के निर्माण का शुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य द्वारा वही होगा जो नीचे दिया गया है—

(क) व्योरेवार योजना और अनुमानित खर्च को तैयार करने के लिये

(ख) काम के निरीक्षण के लिये ... २ प्रतिशत

(ग) काम कराने के लिये जिसमें निरीक्षण भी सम्मिलित हैं ... २ प्रतिशत

वाटर वर्क्स (पानीघरों) ... ७ प्रतिशत

और दूसरे स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों के निर्माणकाल में मानचित्र और विवरण तैयार करने में गांव पंचायत के पथ प्रदर्शन के लिये निमम

१६२—त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट इंजीनियर, जन स्वास्थ्य विभाग को—पंचायत जिसकी प्रान्तीय सरकार से सीधे या जन स्वास्थ्य बोर्ड के द्वारा जल-प्रबन्ध (वाटर वर्क्स) के लिये या दूसरे स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण-कार्य के लिये अनुमानित खर्च ३,००० रुपया या अधिक की आर्थिक सहायता या त्रैमासिक ऋण मिला है वह इन

नियम १६२ के अधीन नियत किया हुआ

रूप पत्र

सरकारी सहायता द्वारा किये जानेवाले निर्माण-कार्य की प्रगति का विवरण ....को समाप्त होने वाली तिमाही के.........द्वारा*

१—पंचायत का नाम

२—निर्माण-कार्य का नाम

३—अनुमानित व्यय

४—विवरण

५—पंचायत की स्वीकृति देनेवाला प्रस्ताव

संख्या.....................

दिनांक ....

६—जन-स्वास्थ्य बोर्ड की स्वीकृति देनेवाला प्रस्ताव

संख्या............ ... .तारीख.........................

७—प्रान्तीय फंड से प्राप्त धन

(क) ....रू०

(ख) ऋण.........रु०

८—पहली त्रैमासिक के अन्त तक किया व्यय.................रु०

९—......को सामाप्त होनेवाली त्रैमासिक में हुआ व्यय......रु०

१०—विवरण भेजने की तारीख तक का व्यय................रु०

११—कार्य-क्रम के अनुसार व्यय .... रु०

---

* जिसकोउक्त काम दिया गया हो।

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त निर्माण-कार्य.........
...............की मास............१९...............को पूर्ति हुई और अधिकारियों द्वारा स्वीकृत परिवर्तनों के अतिरिक्त स्वीकृत योजना में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर...................
पंचायत के मंत्री ....
दिनाक...............
संख्या............

हस्ताक्षर....................
पंचायत के सभापति..........
दिनांक..............
संख्या........

चीफ़ इजीनियर सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग के पास भेजा गया......
जिलाधीश, संयुक्त प्रान्त, सूचना के लिये।

पंचायत के सभापति
दिनांक......

अध्याय ९
कर्मचारियों की नियुक्ति इत्यादि
गाँव पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति इत्यादि के नियम

१६५—अफ़सर, उसके अमले तथा वेतन, भत्ते और कर्तव्यों की सूची—गांव पंचायत अपनी बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा सेक्रेटरी के अतिरिक्त अन्य अफसरों और कर्मचारीवर्ग की एक सूची आय-व्यय (बजट) के नियमों के अधीन, तैयार करेगी और उनको दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और उनके कर्त्तव्यों को निश्चित करेगी।

उसके द्वारा निश्चित वेतन दर तथा अन्य प्रतिबन्धों के अधीन एक ही सेक्रेटरी की नियुक्ति की आज्ञा दे सकता है।

नोट—सेक्रेटरी हर ज़िले में बनाये जा रहे हैं। उनको प्रारम्भिक वेतन ५० रु० मासिक है।

(२) जहां कहीं प्रान्तीय शासन उपनियम (१) के अधीन आज्ञा दे; वहां की गांव पंचायतों के प्रधान नियत विधि से, निर्धारित अधिकारी द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में एक व्यक्ति को चुनेंगे और ऐसा चुना हुआ व्यक्ति सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया जायगा, परन्तु एसी नियुक्ति निर्धारित द्वारा स्वीकृत होगी जिसे अधिकार होगा कि उसे स्वीकृत करे या अपने लिखित कारण देकर ऐसे प्रस्ताव को संशोधित या अस्वीकृत कर दे। (नियत अधिकारी यहाँ एक समिति, जिसका अध्यक्ष ज़िला बोर्ड का प्रधान तथा सदस्य, डिस्ट्रिक्ट इन्पेक्टर स्कूल्स और ज़िलाधीश या उसका मनोनीत कोई अफ़सर होगा)

१६९—सेक्रेटरी के कर्त्तव्य—सेक्रेटरी का यह कर्त्तव्य होगा कि—(१) वह पंचायत के विधान, नियमों तथा उपनियमों और प्रान्तीय सरकार या निर्धारित अधिकारी के समस्त आदेशों या अधिकारों का स्वयं पालन करे और देखे कि पंचायत और पंचायत अदालत उनका पालन करती हैं और इस सम्बन्ध में यदि उनसे कोई असधावानी अथवा त्रुटि हों तो उससे उनको सावधान करे।

(२) पंचायत तथा प्रधान या उपप्रधान के उन आदेशों का पालन करे जो ऐक्ट के अन्त में दिये गये हों और अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे और अन्य अधिकारों का प्रयोग करे जो विधान अथवा किसी अन्य नियम के द्वारा उनके लिये निर्दिष्ट किया गया हो या उनको प्राप्त हो।

१७०—अन्य कर्मचारी के लिये योग्यता—पंचायत या अदालत का जो दूसरा कर्मचारीवर्ग आवश्यक है उसे हिन्दुस्तानी मिडिल

१७४—किसी सेवक के पद का अवधि काल—पंचायत और अदालत के कर्मचारी की नौकरी की अवधि उस समय तक समाप्त नहीं होगी—

(क) जब तक उसका त्यागपत्र उस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत नहीं हुआ है, जो उसके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति करने का वैधानिक अधिकार रखता है।

(ख) जब उसका वेतन १५ रू० प्रतिमास से अधिक है उसने कम से कम तीन महीने की सूचना ऐसे अफसर को देदी है और इससे कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों की अवस्था में एक मास के वेतन के बराबर धन दे दिया हो।

(ग) उसने जब उसका वेतन १५ रु० से अधिक है पंचायत को ३ मास का वेतन अदा कर दिया है या उसे भेज दिया है और यदि वेतन १५ रु० मासिक से कम है तो एक मास के वेतन के बराबर रकम दे दी है या

(घ) ऐसे अधिकारी द्वारा जो उसके स्थान पर नियुक्ति का वैधानिक अधिकार रखता है उसे कम से कम तीन महीने की सूचना या सूचना के स्थान पर ३ महीने का वेतन उसको उस दशा में देता है, जब उसका वेतन १५ रु० से अधिक है और यदि वेतन १५ रु० मासिक से कम है तो १ महीने से कम की सूचना या सूचना में एक मास के वेतन के बराबर रक़म देता है ।

कर्मचारियों को छुट्टी और अवकाश ग्रहण करने के नियम

१७५—अवकाश और स्थानापन्न स्थानों का प्रबन्ध—पंचायत और अदालत के कर्मचारियों की छुट्टी की स्वीकृति और उनकी

कर्मचारियों की सूची, जिनकी अवस्था आर्थिक वर्ष में ६० वर्ष से अधिक हो जायगी

संख्या	अफसर का वेतन पद, नाम	अगले ३१ मार्च को अवस्था	अगले ३१ मार्च को नौकरी का वर्ष	भेजनेवाले अधिकारी की व्यक्ति को रखने या अवकाश ग्रहण करने के सम्बन्ध में राय और सिफारिश।
		वर्ष मास	वर्ष मास दिन	

प्राविडेंट फंड

१७७—प्राविडेंट फंड—यदि कोई पंचायत प्राविडेंट फंड के नियम स्वीकार करे तो उसके लिये आवश्यक होगा कि वह उन नियमों और अनुशासनों का जो इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पथप्रदर्शन के लिये बनाये गये हैं, पालन उन संशोधनों के साथ करे जो नियत अधिकारी (संचालक पंचायतराज नियत है) उन नियमों और अनुशासनों में करे।

१७९—रोकड़ बाकी और स्थायी पेशगी धन—(१) पंचायत कोष का रोकड़ बाकी साधारण तथा सबसे निकट के पोस्ट आफिस सेविंग बैंक या पड़ोस के किसी कोआपरेटिव बैंक में या निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति से किसी स्थानीय महाजन (बैंकार) या किसी अन्य व्यक्ति के यहां अथवा पचायत के नाम से पोस्ट आफिस कैस सार्टिफिकेट के रूप में रक्खा जायगा। (हाकिम परगना इसमें नियत अधिकारी हैं।)

पर प्रतिबन्ध यह है कि कोई रकम जो २५ रुपये से अधिक न हो सभापति के पास चालू खर्च के लिये स्थायी अग्रिम (पेशगी) के रूप में रखी जा सकती है और यह रकम विशेष अवस्था में निर्धारित अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(२) यदि ऐसी रोकड़ किसी स्थानीय महाजन (बैंकर) या किसी अन्य व्यक्ति के पास रक्खी गई हो तो :—

(१) ऐसे बैंकर या व्यक्ति की साख उसके पास रुपया जमा करने के पूर्व जांची और प्रमाणित की जायगी और प्रति वर्ष एक बार निर्धारित अधिकारी द्वारा उसके ऋण चुकाने की क्षमता की पुष्टि करेगा।

(२) रूप-पत्र संख्या १२ के अनुसार एक पास बुक रक्खी जायगी और ऐसे महाजन (बैंकर) या व्यक्ति के पास वह हर बार जमा करने या निकालने के लिये भेजी जायगी। वह पास बुक में निकाले हुए या जमा किये हुए रुपये जैसी भी दशा हो लिखेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। पास बुक में प्रतिमास का हिसाब बन्द किया जायगा और रोकड़ बाकी शब्दों और अंकों में लिखी जायगी और ऐसे बैंकर या व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर होगा।

(३) पास बुक या पोस्ट आफिस कैश सार्टिफिकेट जो भी हो सदैव सभापति के पास रक्खा जायगा।

१८३—कर वसूल करने या वहियों के भरने के लिये वंचित व्यक्ति—किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऐसे बैंक के कारबार में काम करता हो, जिसके यहां कोष जमा हो उसको पंचायत कोष का कर वसूल करने या पंचायत-कोष की बहियों को भरने के लिये न तो कहा जायगा और न उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जायगी।

१८४—हिसाब-किताब की भाषा व रखने में सावधानी—हिसाबों और रजिस्टरों में अंक हिन्दी में लिखे जायँगे। हिसाब की बहियों और रजिस्टरों की जिल्द मजबूत होनी चाहिए और प्रयोग में लाने के पूर्व उन पर पृष्ठ-संख्या डाल देनी चाहिये।

१८५—शुद्धियों की पुष्टि करना—हिसाबों के अंकों को शुद्ध करने के या परिवर्तन करने में स्वच्छता के साथ लाल स्याही का प्रयोग किया जायगा और संशोधन और परिवर्तन करने वाला व्यक्ति उसकी पुष्टि करेगा। साधन-लेख (वाउचर) के परिवर्तनों और संशोधनों की पुष्टि रुपया पानेवाला व्यक्ति करेगा, और रोकड़बही में सभापति या ऐसे दूसरे अफसर द्वारा उनकी पुष्टि होगी जो स्वीकृति अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से इस प्रयोजन के लिये नियुक्त हों, रजिस्टरों. मानचित्रों चेकों, साधन-लेखों (वाउचरों) या किसी प्रकार के हिसाब में अंकों या अक्षरों को मिटाने या उन पर दूसरे अंक या अक्षर लिखने की आज्ञा किसी भी दशा में न दी जायगी। (इन्सपेक्टर नियुक्त अधिकारी है।)

हिसाब की जांच

१८६—हिसाबों की सामयिक जांच—फंड (कोप) के हिसाब की जाच का प्रान्तीय सरकार के आदेशों के अनुसार निश्चत अवधियों पर नियत अधिकारी (इन्पेक्टर) द्वारा प्रबन्ध किया जायगा।

१८७—हिसाब की जांच के बाद कार्यवाही—हिसाब की प्रत्येक जांच के पश्चात् नियत अधिकारी की आज्ञानुसार, प्रधान सभापति को

जिसका उल्लेख रूप-पत्र संख्या १८ में किया गया है। इसमें नामों का पूरा ब्यौरा होगा और स्तम्भ ३ में वेतन और छुट्टी का भत्ता जो उस महीने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के लिये मांगा गया हो, चाहे वह लिया गया हो या न लिया गया हो अलग-अलग दिखाया जायगा और स्तम्भ ४ में वह धन दिखाया जायगा जो न लिया गया हो। परन्तु जो बाद में दिये जाने के लिए रोक लिया गया हो। स्तम्भ ५ में वह धन दिखाया जायगा जो प्रत्येक कर्मचारी के लिये लिया गया हो। जब वेतन केवल महीने के किसी भाग के लिये लिया जाय तो बिल में कर्मचारियों के नामों के सामने, वह दर, जिसके अनुसार वेतन लिया गया हो, और जितने दिन के लिये लिया गया हो लिखा जायगा। अस्थायी कर्मचारी-वर्ग का वेतन अलग पत्र में बनाना चाहिये और जिसकी स्वीकृति से बनाया गया हो उसका उल्लेख करना चाहिये। साधारण मासिक पत्र में बकाया वेतन नहीं लेना चाहिये परन्तु उसके लिये अलग पत्र बनाना चाहिये और उसमें उस पत्र का उल्लेख करना चाहिये जिसमें वह रकम शामिल नहीं की गई थी या रोक ली गई थी।

मार्ग-व्यय आकस्मिक खर्च के समान लिया जायगा

(२) वेतन का पत्र या उसकी एक प्रतिलिपि भरपाई (एक्वीटेंस रौल) के समान काम में लाई जायगी और जब कर्मचारियों को वेतन बांटा जाय तो उसी पर प्रत्येक व्यक्ति की रसीद ली जायगी।

नोट—नियत अधिकारी (ज़िला पंचायत अफ़सर) को अधिकार होगा कि वह सभापति को गांव-पंचायत के कार्य के सम्बन्ध में यथार्थ मार्ग व्यय के हेतु इतनी रकम तक स्वीकृत करे जो दूसरे दर्जे के सरकारी कर्मचारी को मार्ग व्यय के लिये मिल सकती हो।

(२) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के अन्त में पंचायत के प्रधान और अदालत के सरपंच को मान्य होगा कि उन कर्मचारियों के काम और चाल-चलन के बारे में लिखें जिनके चाल-चलन के स्मृति-पत्र (केरेक्टर रोल) रखने हों। ये लोग उसमें दोष, दंड, प्रशंसा, अथवा पारितोषिक को भी लिखेंगे जो वर्ष के भीतर, किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा दिया गया हो।

आकस्मिक व्यय

१९२—आकस्मिक व्यय का हिसाब—आकस्मिक व्यय में कर्मचारी-वर्ग पर होनेवाले व्यय के अतिरिक्त सब व्यय सम्मिलित है। सब आकस्मिक व्यय जो स्थायी पेशगी रकमों (एडवान्स) में से किये जायं वह स्थायी पेशगी रकम के हिसाब के रजिस्टर में जो रूप-पत्र नं० १८ में रखा जायगा, लिखे जायंगे। यदि रुपया चेक के द्वारा दिया जाय तो वह सीधे आम रोकड़बही में दिखाया जायगा।

अग्रिम धन (एडवान्स)

१९३—स्थायी अग्रिम धन—प्रेसीडेंट (प्रधान) या उसकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा सदस्य, जिसे इस सम्बन्ध में गांव-पंचायत के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया गया हो, एक स्थायी अग्रिम धन जो ५ रुपये से अधिक न होगा, ऐसे छोटे-मोटे व्यय के लिये, जिसकी अदायगी खजाञ्ची से रुपया मिलने से पहले तुरन्त करनी पड़ती है, अपने पास रखेगा।

१९४—वार्सिक स्वीकृति—प्रधान (प्रेसीडेंट) या सदस्य जिसके पास स्थायी अग्रिम धन हो प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को एक ऐसी रसीद में अपने हस्ताक्षर करने होंगे कि उक्त धन उसके पास अमानत है और वह उसका हिसाब देगा।

में ऐसे सदस्य के सामने जिसे पंचायत के प्रस्ताव द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, रखना चाहिये और यदि मांग ठीक हो, आज्ञानुसार हो, हस्ताक्षर सही और ठीक स्थान पर हो, तो वह भुगतान के लिये वाउचर के अन्त में आदेश लिख देगा और अपने हस्ताक्षर बना देगा। पंचायत के कर्मचारी-वर्ग के वेतन के बिलों पर भुगतान का आदेश पंचायत का सभापति देगा।

१९८—अदायगी की रसीद—भुगतान के आदेश के वाउचर में लिखे जाने और उसके पास किये जाने के प्रधान पंचायत-कोष से रकम निकालेगा और कर्मचारी को भुगतान कर देगा।

प्रत्येक अदायगी के लिये पानेवाले के यथार्थ हस्ताक्षर लिये जायंगे।

१९९—जब लेन-देन किये जायं, तो प्रधान या सदस्य जिसे इस सम्बन्ध में गांव-पंचायत ने नियुक्त किया हो आम रोकड़बही रूप-पत्र सं० ६ को प्रतिदिन बन्द करेगा, उसका योग लगाएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। प्रत्येक मास के अन्त में इसे पासबुक से मिलाना चाहिये और ठीक कर लेना चाहिये और किसी अन्तर के होने पर आम रोकड़बही के फुटनोट में उसे स्पष्ट कर देना चाहिये और उसका हिसाब देना चाहिये। बही को निर्धारित अधिकारी (इन्सपेक्टर) के सामने ऐसे स्थान और ऐसी तारीख पर जिसे वह नियत करे कम से कम तीन महीने में एक बार निरीक्षण के लिये भेजना चाहिये।

औज़ारों और मशीनों का रजिस्टर

२००—औज़ारों और मशीनों (प्लान्टों) का रजिस्टर रखना—औज़ारों और मशीनों का एक रजिस्टर रूप-पत्र सं० १७ में रक्खा जायगा, जिसमें वह सब चीजें जैसे औज़ार और मशीन, लैम्प, लैम्प के खम्भे, सीढ़ियां आदि जो पंचायत के स्टाकबुक में न हों,

प्रयोग में आने वाले तमाम रूप-पत्रों (फार्मों) की रक्खी जायगी। स्टाक की जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे प्रधान आदेश दे ६ महिने में होनी चाहिये और निरीक्षण की बातें लिखी होनी चाहिए।

कार्यालय का आदेश रजिस्टर
(आफ़िस-आर्डर-बुक)

२०३—आदेश रजिस्टर (आर्डर-बुक)—गांव पचायत को एक कार्यालय-आदेश-रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें साधारणतया समस्त नियुक्तियां, तरक्की, छुट्टी, मुअत्तिली, जुर्माने, कार्यालय का प्रबन्ध और आदेश आदि लिखे जावें। आदेश-रजिस्टर को पूर्ण और ठीक रखने का उत्तरदायित्व प्रेसीडेंट (प्रधान) पर होगा।

वाउचरों की फ़ाइल सुरक्षित रखना

२०४—वाउचरों का भरना—प्रत्येक महीनों के वाउचरों में क्रमानुसार संख्या डालनी चाहिये और उन्हें गार्ड-फाइल में रखकर पंचायत के कार्यालय में जमा कर देना चाहिये, उन्हें पत्रावलियों (मिसली) में जमा नहीं करना चाहिये।

वाउचरों और रजिस्टरों का नष्ट किया जाना

२०५—वाउचरों आदि के रखने का अवधिकाल—वाउचरों, रजिस्टरों और दूसरे रूप-पत्रों को, जो इन नियमों के अधीन निर्धारित किये गये हैं, सम्बन्धित अवधि से सम्बन्ध रखने वाली हिसाब की जांच की त्रुटियों के ठीक किये जाने के पश्चात् नीचे दिये ढंग पर रखना या छांटना या नष्ट करना चाहिये—

ग्रन्थ-संख्या नाम

जिले के गांव-पंचायत और पंचायती अदालतों के लिये छपवा ले परन्तु जब तक छपे हुए रूप-पत्र न हों तब तक गांव-पंचायत और पंचायती अदालत, जैसी भी दशा हो, ऐसे रूप-पत्रों को अपने कार्यालय में सादे कागज पर बनवा लेवे।

पब्लिक वर्क्स रजिस्टर

२०७—पब्लिक वर्क्स रजिस्टर—पंचायत-कोष से किये जाने वाले हर काम का अनुमान, जैसे ही वह स्वीकृत करने वाले अफसर द्वारा स्वीकृत कर दिया जाय, पब्लिक वर्क्स क्लर्क इनचार्ज पब्लिक वर्क्स के रजिस्टर में, जो रूप-पत्र संख्या २१ में रक्खा जायगा, लिख लिया जायगा। इस रजिस्टर में हर काम के लिये एक अलग पृष्ठ रक्खा जायगा।

पत्रों (बिलों) की जांच और उनका भुगतान

२०८—कार्यों का पत्र (बिल)—जैसे-जैसे काम की प्रगति हो समय-समय पर काम का ब्यौरा पब्लिक वर्क्स के रजिस्टर (फार्म) में लिखा जायगा और जब ठेकेदार पत्र (बिल) पेश करे तो वह पहले उस अफसर के पास हस्ताक्षर के लिये भेजा जाय, जिसके निरीक्षण में कार्य हो रहा हो। यह अफसर उस पत्र (भिल) की जांच अपने रजिस्टर से करेगा और तब उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा और या तो उसकी भुगतान अपनी स्थायी अग्रिम धन-राशि (पेशगी रकम) से कर देगा या पंचायत-कोष के कार्यालय में भेज देगा जहां जैसा कि साधारणतया किया जाता है, सीधे ठेकेदार को रुपया दे दिया जायगा।

काम पूरा होने का प्रमाण-पत्र

२०९—प्रमाण-पत्र का विवरण—इससे पहले कि किये गये काम की अंतिम रूप से सम्पूर्ण भुगतान कर दी जाय प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य, जिसे इस सम्बन्ध में गांव-पंचायत के प्रस्ताव

अध्याय ११

आय-व्यय (फ़ाइनेन्स)

आय-व्ययक (बजट)

२१३—अनुमान—प्रत्येक पंचायत आनेवले वर्ष की पहली अप्रैल से आरम्भ होनेवाले वर्ष के लिये नियत रूप-पत्र (ग) में अपनी आय और व्यय का (बजट) अनुमान तैयार करेगी और उसे गांव-सभा की खरीफ की बैठक के सामने रक्खेगी।

२१४—यथार्थ और अनुमानित व्यय—इसी प्रकार प्रत्येक गांव-पंचायत को मन्य होगा कि रबी की सभा में गत ३१ मार्च को समाप्त होनेवाले आर्थिक वर्ष का वास्तविक व अनुमानित आय-व्यय विवरणों सहित उपस्थित करे।

अदालत के लिये पूंजी का निर्धारित करना

२१५—अदालत का आय-व्ययक (बजट)—धारा ३६ के अनुसार पंचायत अपने आय-व्ययक में पंचायती अदालत के कर्मचारी वर्ग के कार्यालय और अन्य सब व्यय के लिये पर्याप्त धन का विधान करेगी और उसी प्रकार अपने आय में अदालत द्वारा लगाये गये शुल्क तथा जुर्माने को सम्मिलित करेगी जिसको वह नियम १११ (ब) के अनुसार प्राप्त करेगी।

२१६—पंचायती अदालत का आय और व्यय—पंचायती अदालत गांव सभा के खरीफ मीटिंग के दो मास पूर्व अपने क्षेत्र के प्रत्येक गाँव पंचायत में आनेवाले आर्थिक वर्ष के लिये आय और व्यय का अनुमानित आय-व्ययक अनुमान भेजेगी।

कम से कम काम चालू बकाया व भिन्न-भिन्न व्ययके लिये पूंजी अलग करना

२१७—पंचायत के पास न्यूनतम नकद (बकाया)—पंचायत यथार्थ में एक रकम नकद बकाया अपने पास रक्खेगी जो उसकी साधारण वार्षिक आय के १।१० से कम न होगी। नियत अधिकारी (ज़िला पंचायत अफ़सर) किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी गांव-पंचायत को, किसी विशेष परिस्थिति के होने पर इस नियम की प्रतिबन्धता से मुक्त कर सकता है।

२१८—विभिन्न मदों के अन्तर्गत पंचायत के व्यय—पंचायत अपनी वार्षिक आय से शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और दूसरी मदों पर, जिन्हें नियत अधिकारी (ज़िला पञ्चायत अफ़सर) निर्धारित करे, व्यय करने के लिये अलग अलग धन-राशि निश्चित दर में रखेगी।

२१९—सभा और पंचायत के बीच बातचीत का द्वार—सभा अपने आदेशों और प्रस्तावों को धारा ४१ (२) के अधीन प्रेसीडेन्ट (प्रधान) द्वारा पंचायत के पास भेजेगी, परन्तु यदि सभा और पंचायत में मतभेद हो और उनका समाधान धारा ४१ की उपधारा (३) के अधीन सुधारों और पुनर्विचार द्वारा न हो सकता हो, तो मामले को निर्धारित अधिकारी (ज़िला पञ्चायत अफ़सर) के पास भेजा जायगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ख) आय-व्ययक उस समय तक कार्यान्वित न होगा जब तक कि उसे नियत अधिकारी स्वीकृत न कर ले जो स्वीकृति देने से पहले उसमें सुधार कर सकता है, परन्तु वह उसे स्वीकृत न करेगा यदि उसमें नियत कम से कम चालू बकाया न रक्खा गया हो या कि जैसा उसने निर्धारित किया हो उसके अनुसार धनराशि अलग-अलग न रक्खी गयी हो।

कर-निर्धारण तथा धन की वसूली

२२०—कर लगाने का ढंग—(१) यदि धारा ३७ के अधीन पंचायत किसी कर के लगाने का प्रस्ताव करे, तो उसे मान्य होगा कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये चाहे डुग्गी पिटवाकर या अपने क्षेत्र के विशेष स्थानों पर लिखित सूचना लगाकर या दोनों प्रकार से प्रस्ताव के उद्देश्य की घोषणा करे और ऐसी घोषणा की तारीख से १५ दिन के अन्दर उनसे आपत्तियां भी मांगे। प्रस्ताव पर आई आपत्तियों सहित उस बैठक में विचार किया जायगा, जो इस प्रयोजन के लिये बुलाई जायगी। यदि कर लगाने का निर्णय हो जाय, तो विरोधों के सहित यदि कोई हो, पंचायत द्वारा नियत अधिकारी (ज़िला पंचायत अफ़सर) के पास उसका स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भेजा जायगा।

(२) निर्धारित अधिकारी को अधिकार होगा कि वह उक्त प्रस्ताव को और अधिक विचार करने के लिये वापिस कर दे या ऐसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के स्वीकृत कर ले। यदि वह संशोधन, जो निर्धारित अधिकारी ने किये हों विशेषता (महत्व) रखते हों, इसके पहले कि पंचायत उसे अंतिम रूप से अंगीकार कर ले, आपत्तियों के लिये संशोधित प्रस्ताव के प्रयोजनों को फिर से उसी प्रकार घोषित किया जायगा जिस तरह कि ऊपर बताया गया है।

(३) नियत अधिकारी को अधिकार होगा कि वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव में जिसे वह स्वीकृत करे उस तिथि का उल्लेख करे जिस तिथि से उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित कर लागू होगा।

(४) गांव-पंचायत अपने करों व दातव्य धन को या तो अपने एक सदस्य द्वारा या टैक्स कलेक्टर द्वारा वसूल करेगी, जो या तो मासिक वेतन पर रक्खे जायंगे या निर्धारित शुल्क (कमीशन) पर जैसा कि निर्धा-

६ पाई प्रति रुपया और १,२०० रु० से ऊपर प्रति १०० रुपया या उसके किसी अंश के लिये १ आना प्रति रुपया से अधिक न होगी।

तौलाई करनेवाले पल्लेदार और ऐसे गाड़ी के मालिक पर, जो किराये के लिये हों, (टैक्स) कर-निर्धारण और उसकी वसूली के नियम

२२२—अनुमति (लाईसेन्स) के लिये प्रार्थना पत्र—प्रत्येक व्यक्ति को मान्य होगा कि उस तारीख से १५ दिन के अन्दर जिस तारीख को कर देना उसके लिये आवश्यक हो जाय, सेक्रेटरी को अनुमति (लाईसेन्स) के लिये एक प्रार्थनापत्र दे। प्रार्थना-पत्र देनेवाला वह अवधि भी लिखेगा जिसके लिये अनुमति मांगी गई हो, यदि कर की रकम प्रार्थना-पत्र के साथ-साथ न प्राप्त हो, तो सेक्रेटरी एक पत्र तैयार करायेगा और प्रार्थी के सामने पेश करायेगा और नियमों के अधीन निर्धारित तरीके पर उक्त कर वसूल करेगा।

२२३—अनुमति (लाईसेन्स) या बिल्ले के रखने और जमा करने का अधिकार—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिये जिसके पास ऊपर बताये हुए नियम के अनुसार अनुमति हो, अनिवार्य होगा कि—

(१) सब समय जब वह अपना धन्धा कर रहा हो अपना अनुमति पत्र या ऐसा बिल्ला रक्खे जो पंचायत उसे उसके खर्च पर देगी।

(२) किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बिल्ला न दे।

(३) अपना अनुमति-पत्र या बैज (बिल्ला) निरीक्षण के लिये उपस्थित करे जब भी प्रधान, सेक्रेटरी या पंचायत का सदस्य या पंचायत का कोई ऐसा दूसरा अफसर या कर्मचारी जिसे इस बारे में नियमानुकूल अधिकार दिया गया हो उससे ऐसा करने के लिये कहे।

(४) अनुमति की अवधि के पूरा होने बैज ४८ घंटे के अन्दर अपना बैज (बिल्ला) पंचायत के कार्यालय में वापस कर दे।

दंड

उन अधिकारों को काम में लाकर जो ऐक्ट की धारा ६८ में प्रदान दिये गये हैं, प्रान्तीय सरकार यह आदेश करती है कि इन नियमों में किसी आदेश का उल्लंघन होने पर जुर्माना या दंड पंचायती अदालत द्वारा दिया जायगा जो १० रुपये तक हो सकता है।

२२४—मकान, भूमि मकान अथवा भवन पर कर लगाना—(१) जब धारा ३७ (१) के अधीन कर निर्धारित कर लगाया गया हो तो पंचायत प्रत्येक वर्ष के आरम्भ के बाद जितनी जल्दी हो सके, फ़ार्म नम्बर १४ में कर देनेवालों की और घरों, भवनों या भूमियों के जो उसके क्षेत्र में हों, स्वामियों या उन पर अधिकार रखनेवालों की एक सूची तैयार करेगी और कर निर्धारित करने का काम आरम्भ करेगी। घरों और भवनों पर कर निर्धारित करने की दर उनके वार्षिक भाड़े के मूल्य के ५ प्रतिशत से अधिक न होगी। उन व्यक्तियों पर जो निर्धनता के कारण कोई कर नहीं दे सकते हैं, कर निर्धारित नहीं किया जायगा। कर निर्धारण सभा के क्षेत्र में जन साधारण के सामने घोषित कर दिया जायगा, और निर्धारित कर की सूची किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर कर लगाया गया हो, और जो उसे देखना चाहता हो बिना किसी शुल्क के दिखाई जायगी, और वह पंचायत के कार्यालय में भी लटका दी जायगी और किसी स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित की जायगी।

(२) ३१ दिसम्बर को समाप्त होनेवाले वर्ष की, जो कर-निर्धारण की तिथि से पहले हो आय या लाभ यथासम्भव कर निर्धारण के आधार समझे जायगे।

(३) जब कोई व्यक्ति सभा के क्षेत्र की सीमा के भीतर एक से अधिक व्यापार या धन्धा स्वयं या विभिन्न नामों से करता हो, तो ऐसे सब साधनों से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय या लाभों के योग पर कर लगाया (निर्धारण किया) जायगा।

(४) पंचायत किसी ऐसी आपत्ति पर जो कर निर्धारण की घोषणा की तिथि से या कर निर्धारण के प्रकाशित होने की तिथि से जो भी बाद की हो १५ दिन के भीतर उसके विरुद्ध प्रस्तुत की जाय, विचार करेगी।

(५) ऐसी आपत्तियों पर यदि कोई हों, जो प्रस्तुत की गई हों विचार हो जाने के बाद कर निर्धारण की सूची में यदि आवश्यक हो, तो संशोधन किया जायगा और सरपंच तथा दो पंच उस पर हस्ताक्षर करेंगे। सूची की एक प्रतिलिपि संशोधनों के सहित, यदि कोई हों, फिर से उसी स्थानप पर घोषित की जायगी और निर्धारित अधिकारी (ज़िला पंचायत अफसर) के पास भेज दी जायगी।

२२५—कर के विरुद्ध अपील—कोई व्यक्ति जो निर्धारित किये हुए अपने कर से असन्तुष्ट हो, निर्धारित अधिकारी (ज़िला पंचायत अफसर) के सामने कर निर्धारण की सूची के नियम २२४ (५) के अधीन दोबारा प्रकाशित होने की तिथि से ३० दिन के भीतर, फिर से विचार करनेके लियेप्रार्थनापत्र दे सकता है।

२२६—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्णय—(१) अपील करने के लिये नियत की हुई अवधि के समाप्त होने पर या नियम २२५ के अधीन किसी अपील पर निर्धारित अधिकारी द्वारा विचार हो जाने के बाद जैसी भी दशा हो, जिला बोर्ड या तो कर निर्धारण की सूची की जैसी कि वह पहले-पहल तैयार हुई हो या संशोधित की गई हो अस्वीकृत कर सकता है या उस पर ऐसे परिवर्तनों के साथ जिनको वह उपयुक्त समझे स्वीकृति दे सकता है।

(२) इसके उपरान्त कर निर्धारण सूची दोहराई जायगी और दोहराये हुए कर निर्धारण की घोषणा पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर के पहले ही सबके सामने की जायगी।

२२७—टैक्स का रजिस्टर और इसका सामयिक संग्रह—(१) पंचायत एक देय कर और संग्रह रजिस्टर रक्खेगी जो फ़ार्म संख्या १५ में होगा और कर मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक या वार्षिक आधार पर जो भी अच्छा समझा जाय, संग्रह किया जा सकता है। और यदि कर मास, त्रैमास, षट्मास या वर्ष के आरम्भ होने के बाद जैसी भी दशा हो, १५ दिन के भीतर चुकाया न जाय तो वह शेष कर समझा जायगा। इस नियम के प्रयोजन के लिये वर्ष पहली अप्रैल से और वर्ष के त्रैमासिक पहिली अप्रैल, पहली जुलाई, पहली अक्टूबर और पहिली जनवरी से प्रारम्भ होंगे।

(२) यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर, कर या शुल्क देने से बचने का यत्न करेगा तो उस पर जुर्माना किया जायगा जो १० रुपये तक हो सकता है।

२२८—कर न देने वालों की सूची—यदि करदाता अपनी इच्छा से करों को उनके देय शेष हो जाने के पहले ही न दे तो पंचायत ऐसे लोगों की एक सूची जिन्होंने कर न दिया हो, अपनी तहसील के तहसीलदार के पास तीन-तीन महीने के अन्तर से इन तिथियों पर भेजेगी, कि तहसीलदार शेषों की राशियों को अवशेष मालगुजारी के रूप में वसूल करने के उद्देश्य से नियत करे।

२२९—अप्राप्य करों को माफ कर देना—पंचायत को अधिकार है कि वह अप्राप्य धन राशियों को जो दस रुपये से अधिक न हों, नियत अधिकारी ('डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स) स्वीकृति से, बही खाते से माफ कर दे।

२३०—सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार—किसी ऐसे घर, भवन या भूमि पर जो सरकार या जिला बोर्ड की हो और रहने के काम में न लाई जाती हो, किसी प्रकार का कर निर्धारण नहीं किया जायगा किन्तु सरकार या जिला बोर्ड पर पंचायत को कर के स्थान पर ऐसी राशि देने का दायित्व रहेगा यदि जिला मैजिस्ट्रेट किसी दशा में ऐसा करने का आदेश दे, जिसको वह समय-समय पर उपयुक्त और उचित समझकर नियत करे।

२३१—घर; भवन या भूमि के मालिक या काम में लानेवाले दोनों में से एक से कर लेने का निर्णय—जब किसी घर, भवन या भूमि पर जो सरकार या जिला बोर्ड की हो और रहने के काम में लाई जाती हो, कर निर्धारित किया जाय तो वह कर स्वामी या रहनेवाले के द्वारा, जैसा भी सरकार या जिलाबोर्ड निश्चय करे दिया जायगा।

२३२—व्यापार या धन्धा शुरु या बन्द करने की सूचना—एक निश्चित अवधि तक प्रत्येक व्यक्ति को, जो सभा के क्षेत्र में कोई व्यापार या धन्धा करना आरम्भ करे या बन्द करे, पंचायत के प्रधान या मंत्री को इस बात की लिखित सूचना इस प्रकार से काम आरम्भ करने या बन्द करने के ३० दिन के भीतर देनी होगी।

२३३—व्यापार या धंधे के हस्तान्तरण या नाम बदलने की सूचना—प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर कर या लाइसेन्स शुल्क लगता हो और जो या तो अपने व्यापारी संघ का नाम बदले या अपने व्यापार या धन्धे की प्रकृति बदले या अपना व्यापार करने का स्थान या व्यापार का हस्तान्तरण करे इस बात की लिखित सूचना ऐसे परिवर्तन या हस्तान्तरण करने के ६० दिन के भीतर देनी होगी।

२३४—कर की वापिसी—कोई व्यक्ति जिसने कोई कर या नुमांत शुल्क पूरे आधे वर्ष के लिये दिया हो और जिस पर ऐसे

अवधि के भीतर कर या लाइसेन्स शुल्क देने का दायित्व न रहे, [illegible] नियमों का पालन करते हुए, कर या शुल्क की आनुपातिक मांग के वापस पाने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जो [illegible] वापस की जायंगी वे केवल पूरे-पूरे महीनों के सम्बन्ध में होंगी और महीने से कम समय की अवधि की उपेक्षा की जायगी।

दंड

उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो इस विधान की धारा १८ द्वारा दिये गये हैं, शासन यह आदेश करती है कि नियम २३१ और २३२ के आदेशों का उल्लंघन होने पर दोषी को पंचायत [illegible] जुर्माने का दंड दिया जायगा जो १० रुपये तक हो सकता है।

अध्याय १२

विविध

विद्यालय, पुस्तकालय और औषधालयों की स्थापना

२३५—प्रारम्भिक शिक्षालय—प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना, संरक्षण और प्रबन्ध उन नियमों के अनुसार उनके आवश्यक परिवर्तन के साथ किया जायगा जो सरकार ने इस सम्बन्ध में जिला बोर्डों के लिये बनाये हैं सिवाय उनके भवनों के निर्धारित नियमों के।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा स्थापित अथवा सहायता प्राप्त वर्तमान प्राइमरी स्कूलों का पूरा व्यय का भार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर आज के समान ही रहेगा।

२३६—वाचनालय, पुस्तकालय व औषधालय—(क) पंचायत अपने कोष के अनुसार, अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय, वाचनालय या औषधालय स्थापित कर सकती है और चला सकती है और तदर्थ जनता से दान लेकर धन एकत्र कर सकती है और अपने कोष से भी धन दे सकती है।

(ख) पुस्तकालय और वाचनालय प्रारम्भिक विद्यालय से संलग्न रहेंगे और विद्यालय के प्रधान अध्यापक के अधिकार में रक्खे जायंगे जिसको उस सम्बन्ध में विद्यालय के समय के अतिरिक्त काम करने के उपलक्ष में उपयुक्त मासिक भत्ता दिया जायगा।

२३७—प्रारम्भिक विद्यालयों के साथ औषधालय संलग्न करना—प्राप्त पूंजी के अनुसार छोटे छोटे औषधालय प्रारम्भिक विद्यालयों से संलग्न रहेंगे और उसमें औषधियाँ ऐसे प्रतिबन्धों के साथ रक्खी जायगी जो निर्धारित अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफ़िसर आफ़हेल्थ) द्वारा नियत की जाय।

२३८—निरीक्षण और नियंत्रण—पंचायत के सदस्य और उसके अधिकारी विद्यालयों, औषधालयों, पुस्तकालयों तथा अन्य ऐसी संस्थाओं का जो किसी पंचायत द्वारा स्थापित की गई या चलाई जाती हो निरीक्षण और नियन्त्रण करेंगे और उनका कर्त्तव्य होगा कि वे जनता की इन संस्थाओं में सहायता देने के लिये प्रोत्साहित करें।

२३९—गांव सभाओं द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालयों इत्यादि का स्थापित करना और उनको चलाना—यदि आसपास की सभाओं का एक समूह मिलकर एक विद्यालय, औषधालय या चिकित्सालय स्थापित करें और चलायें तो एक संयुक्त समिति जिसमें प्रत्येक पंचायत के तीन-तीन निर्वाचित सदस्य उन्हीं के सदस्यों में से रहेंगे, उक्त संस्थाओं का प्रबन्ध और नियन्त्रण करेगी और तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यय, स्थायी

व भरपायी अनुपात से बराबर-बराबर भागों में प्रत्येक पंचायत द्वारा पूरा किया जायगा ।

स्वयंसेवक दल

२४०—ग्रामीण स्वयंसेवक दल (१)—पंचायत निर्धारित अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करके और गांव-सभा से परामर्श करने के बाद एक ग्राम स्वयंसेवक दल ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जो निर्धारित अधिकारी (जिला पंचायत, अफसर और प्रान्तीय रक्षा दल के जिला आफ़सर) द्वारा निश्चित किया जाय, रक्खेगी ।

(२) इस दल का व्यय, अदालतों के जुर्मानों से पंचायत के या जिला बोर्ड की आर्थिक सहायता और जनता के दान से पूरा किया जायगा ।

(३) सब प्रौढ़ पुरुष जिनकी अवस्था ४५ वर्ष से अधिक न हो, स्वयंसेवकों के रूप में भर्ती होने के योग्य समझे जायंगे ।

२४१—स्वयंसेवक-दल का कार्य—स्वयंसेवक दल के निम्न लिखित काम होंगे—

(१) गांव में चौकी-पहरे का काम करना ।

(२) पंचायत तथा न्यायालय के नोटिसों और सम्मनों को पहुंचाना और अन्य आदेशों को कार्यान्वित करना जो उन्हें उनको सौंपे जायं ।

(३) अन्य कामों में पंचायतों की सहायता करना, जैसे जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठा करने में, जैसे पशुओं की गणना और मनुष्य की गणना करना ।

(४) विभिन्न सम्प्रदायों में सद्भाव और सामाजिक एकता व मित्रता बढ़ाने के काम में पंचायत की सहायता करना ।

(५) दुर्भिक्ष या अन्य आपत्तियों के दुःख निवारण करने में पंचायत की सहायता करना ।

(६) मेलों, पठ्यस्थानों (पैठों) और हाटों का संगठन और उनकी व्यवस्था करने में पंचायत की सहायता करना।

(७) किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना या कोई अन्य काम सम्पादन करना जिसके करने की आज्ञा निर्धारित अधिकारी (ज़िला पंचायत अफ़सर और प्रांतीय रक्षा दल के ज़िला अफ़सर) या सरकार द्वारा पंचायत को दी जाय या जो उसके लिये नियत किया जाय।

२४२—विशेष अधिकारी के कर्त्तव्य—पंचायत स्वयंसेवक दल का प्रधान नियुक्त करेगी जो स्वयंसेवक दल का सन्निहित उत्तरदायी होगा और अन्य ऐसे अधिकारी जिनको कि प्रान्तीय सरकार निर्धारित करे और अनिवार्य आवश्यकता पर उपयुक्त अधिकारी निर्धारित अधिकारी (ज़िला पंचायत अफ़सर और प्रांतीय रक्षा दल के ज़िला अफ़सर) द्वारा ऐसे प्रतिबन्ध के साथ अधिकार दिया जा सकता है जिसको वह चाहे।

(अ) दल के किसी सदस्य को हटा दे या ऐसे व्यक्ति को हटाने की आज्ञा दे जिसकी उपस्थिति से दल के यथोचित कार्य में बाधा पड़ती हो।

(ब) स्वयं या दल की सहायता से किसी भवन में यथासम्भव कम हानि पहुँचाते हुए घुस जा सकते हैं या तोड़कर घुस सकते हैं या गिरा सकते हैं।

(स) निकटवर्ती ग्राम स्वयंसेवक दल की ऐसी सहायता के लिये बुलावे जो आवश्यक हो।

(द) साधारणतया ऐसे उपाय कार्य में लावे जो जन और धन दोनों की रक्षा के लिये आवश्यक हो।

उपनियम बनाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

२४३—उपनियमों की पांडुलिपि का प्रकाशन—उपनियम बनाने से पहले पंचायत उपनियमों की एक पांडुलिपि सभा के क्षेत्र में

किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करा के सभा के क्षेत्र में विशेष विशेष स्थानों में लगवाकर और पंचायत के कार्यालय के बाहर लगवाकर, प्रकाशित करायेगी और निश्चित समय के भीतर उसके विरुद्ध आपत्तियों को आमंत्रित करेगी।

२४४—उपनियमों का लागू करना—आपत्तियों पर विचार करने और उनके सम्बन्ध में निर्णय कर लेने के बाद, पंचायत उनको निर्धारित अधिकारी (जिला बोर्ड की कार्य कारिणी समिति) के पास भेज देगी जो या तो उसमें संशोधन करेगा या उनकी स्वीकृति देगा या उनके सम्बन्ध में कोई अन्य उपयुक्त आदेश देगा।

जब उपनियम निर्धारित अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वे उसी ढंग से प्रकाशित किये जाने के बाद जिस ढंग से उनकी पांडुलिपि प्रकाशित की गई थी, प्रचलित होंगे।

२४५—निर्धारित अधिकारी द्वारा प्रकाशन—(१) निर्धारित अधिकारी (जिला बोर्ड की कार्य कारिणी समिति) उपनियमों को बनाने के समय उनकी पांडुलिपि प्रकाशित करेगा जैसी कि इसकी व्यवस्था पिछले नियम में की गई है और निर्धारित समय के भीतर आपत्तियों को आमंत्रि करेगा।

पत्र-व्यवहार का माध्यम

२४६—पत्र व्यवहार का माध्यम—पंचायत या न्याय पंचायत का सब पत्र-व्यवहार जो शासन के साथ या किसी विभाग के अध्यक्ष या किसी विभाग के कमिश्नरी के प्रतिनिधि के साथ या किसी ऐसे अफसर के साथ जो या तो मजिस्ट्रेट के नीचे काम करता हो या साधारणतः उसके नियन्त्रण में हो और उसके आदेशों का पालन करता हो, किया जायगा, निर्धारित अधिकारी (जिला पंचायत अफसर, तथा इन्स्पेक्टर) के पास से होकर जायगा।

ऋण लेने का अधिकार।

२४७—ऋण लेने का अधिकार—सभा को उन दशाओं के अधीन सरकार से ऋण लेने का अधिकार होगा जो (लोकल अथारिटीज रूल्स, १६१५) स्थानीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेने के नियमों, सन् १६१५ ई० में जो भारतीय सरकार के अर्थ-विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६२० अ, तारीख १० नवम्बर, सन् १६१४ ई० के साथ प्रकाशित किये गये थे, दी गई है।

धारा ६ के अन्तर्गत जांच

२४८—सभापति के लिये अयोग्यता रखने पर जांच—धारा ६ के अधीन जो जांच की जायगी उसमें प्रधान मौखिक या लिखित साक्षी द्वारा अपने सन्तोष के लिये इस बात की परीक्षा करेगा कि आया अयोग्यता उपयुक्त वैधानिक अधिकारी द्वारा हटा दी गई है या यह कि सम्बन्धित व्यक्ति सभा के क्षेत्र में अपने स्थायी निवास स्थान में फिर से बस गया है और उसके बाद तदनुसार आदेश देगा।

धारा १०४ के अन्तर्गत नियम

२४९—ऐक्ट नियम या उपनियमों के अन्तर्गत अपराधों का कुछ रकम देने पर क्षमा कर देना—इस ऐक्ट के या इसके अधीन बनाये हुए किसी नियम या उपनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसे प्रार्थनापत्र पर जो सम्बन्धित पक्ष के व्यक्ति द्वारा दी गई हो और ऐसी रकम देने पर जो प्रधान द्वारा नियत की जाय और जो १० रुपये से अधिक न हो, पंचायत के प्रधान द्वारा समझौता कराया जा सकता है और वह रकम गांव-कोष में जमा की जायगी।

अध्याय ५

पंचायती अदालत

उसका निर्माण और कार्य विधि

नियम ८३—अधिकार क्षेत्र—जिलाधीश जिले की प्रत्येक तहसील को मंडलों (सर्किलों) में इस प्रकार [illegible] अदालत स्थापित करने के लिए एक मंडल में [illegible] से लेकर पाँच गाँव सभाओं के क्षेत्र सम्मिलित हों [illegible]।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार [illegible] वाली अदालत का क्षेत्र जिलाधीश की [illegible] बड़ा प्रतीत हो तो उसे अधिकार है कि वह [illegible] पहले से स्वीकृति लेकर ऐसा मंडल बनाये जिसमें [illegible] या कम गाँव-सभाएँ हों।

नियम ८४—(बाद में प्रकाशित किया जायगा)।

नियम ८५ पंचायती अदालतों के पंचों [illegible]:—कोई व्यक्ति जो किसी गाँव पंचायत का पञ्च [illegible] जाने की योग्यता रखता हो और जो [illegible] हो वह इस विधान (ऐक्ट) की धारा ४९ के [illegible] पंचायती अदालत का पञ्च निर्वाचित किये जाने के योग्य होगा।

नोट—धारा ४९ में प्रत्येक गाँव सभा [illegible] के पहले वालों में से ५ प्रौढ़ [illegible] पञ्चायती अदालत के लिये पञ्च चुनेगी। जिले को क्षेत्रों में बाँटा जायगा। प्रत्येक क्षेत्र में एक पञ्चायती अदालत होगी। इस क्षेत्र में जितनी गाँव सभायें होंगी। वे हर एक ५-५ पञ्च चुन कर पञ्चायती अदालत के लिये भेजेंगी और इन पञ्चों का पञ्चमंडल बन जायेगा।

फार्म क-सदस्यों का रजिस्टर

भाग १

कुटुम्ब का रजिस्टर

गाँव-सभा का नाम ....

गाँव का नाम .... तहसील .... ज़िला ....

क्रम-संख्या	मकान नम्बर	कुटुम्ब के कर्त्ता का नाम	नाम	पिता का नाम	धर्म और परिगणित जातियों की दशा में जाति	आयु और जन्म की सम्भावित तारीख़, यदि ज्ञात हो	पेशा	पढ़ा या अनपढ़	क्या पंचायत राज ऐक्ट की धारा ५ के अधीन प्रौढ़ और योग्य है ? यदि अयोग्य हो तो अयोग्यता का कारण	नाम जो जोड़े गये या काटे गये ब्योरे सहित	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

भाग २

योग्य प्रौढ़ों का रजिस्टर

गाँव-सभा का नाम..................................

गाँव का नाम.............. ....तहसील.................... जिला......................

क्रम-संख्या	खण्ड सामान्य मुस्लिम या परिगणित जाति	नाम	पिता का नाम	पेशा	भाग १ की पृष्ठ संख्या जिस पर नाम दर्ज किया गया हो	नम्बर मकान	नाम जो जोड़े गये या काटे गये, कारणों के सहित	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८

जय स्वतन्त्र भारत की

वी० पी० खर्च छोटी पुस्तकों का वहुत लगता है इसलिये यह सुविधा कर दी है जो पुस्तकों का मूल्य आडर के साथ भेज देंगे उनके लिये डाक खर्च माफ़ कर दिया है इससे लाभ उठाइये और आठ आना तक के आडर वी० पी० से बहुत कम भेजते हैं क्योंकि सात आना वी० पी० खर्च लगता है तो वो पुस्तक ॥) की ॥।≡) में पड़ती है तो लोग वी० पी० वापस कर देते हैं। जो सिर्फ़ नियम पंचायत राज के आडर भेज चुके हैं उनसे निवेदन है मनीआडर भेजे और उसी फ़ार्म में आडर और पता साफ पूरा लिखें :—

१—पंचायत राज एक्ट नं० २६ सन् ४७ नवीन नोट सहित तृतीय संस्करण १)

२—संयुक्त प्रान्तीय कास्तकारी (तरमीम) एक्ट नं० १० सन् १९४७ मय नोट ॥)

३ दुकान कानून मय शंसोधन ।=)

४—भारत का नया विधान (Constitution) नोट समेत ६)

५—बिक्री कर मय संशोधन एक्ट ४८ व आखिरी विज्ञप्तियां नोट सहित ।=)

६—ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) एक्ट ४८, ।)

७—ग्राम आबादी एक्ट ४८, =)

८—नया कानून सीरीज नं० १, =)॥, नं० २, =)॥

९—U. P. (Temprorary) Control of Rent and Eviction Act NO 3 with new amendment Act. NO 44 of 48 with notes Price -8-as

हर शहर म विक्रताओं की सख्त जरूरत है उनके लिये विशेप रियायतें दी जाती हैं जैसा वड़ा विक्रेता हो पत्र व्यवहार करें।—कानून महल १ सी वाई० चिन्तामणि रोड

श्री सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद।

मुद्रक—महावीर प्रसाद, प्रेम प्रेस, कटरा प्रयाग।

और दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध हूँ और यह रकम, मुझे उक्त पंचायत को देनी होगी और इस भुगतान के लिए मैं अपने आप को और अपने उत्तराधिकारियों, मृतलेख प्रवर्तकों तथा सम्पत्ति के प्रबन्धकों को दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध करता हूँ और इस रक़म की भुगतान को और अधिक निश्चित करने के लिए मैं इसके द्वारा उक्त पंचायत के पास जैसा कि इसके साथ नत्थी किये हुए परिशिष्ट में विवरण दिया हुआ है (रेहन करता हूँ या रेहन के तौर पर हस्तान्तरित करता हूँ)।

ख—सर्वसाधारण को विदित हो कि हम (क, ख, ग, और ङ च) उक्त पंचायत के........................रुपये की रकम के लिए उत्तरदायी और दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध हैं और यह रक़म हमें उक्त पंचायत को देनी होगी और इस भुगतान के लिए हम अपने आपको सम्मिलित रूप में और पृथक्-पृथक् और अपने उत्तराधिकारियों मृतलेख प्रवर्त्तकों को तथा सम्पत्ति के प्रबन्धकों को दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध करते हैं और इस भुगतान को और अधिक निश्चित करने के लिए हम इसके द्वारा उक्त पंचायात के पास जैसा कि इसके साथ नत्थी किये हुए परिशिष्ट में दिया हुआ है (रेहन करते हैं या रेहन के रूप में हस्तांतरित करते हैं)।

ग—सर्वसाधारण को विदित हो कि हम (ग, घ और ङ, च) उक्त पंचायत के...................... रुपये की रक़म के लिये दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध हैं और यह रक़म हमें उक्त पंचायत को देनी होगी और इस भुगतान के लिये हम अपने आपको सम्मिलित रूप में और पृथक्-पृथक् और अपने उत्तराधिकारियों, मृतलेख प्रवर्त्तकों तथा संपत्ति के प्रबंधकों को वचनबद्ध करते हैं और इस भुगतान को और अधिक निश्चित करने के लिए हम इसके द्वारा उक्त पंचायत के पास जैसा कि इसके साथ नत्थी किये हुए परिशिष्ट में विवरण दिया हुआ है (रेहन करते हैं या रेहन के रूप में हस्तान्तरित करते हैं)।

उपरोक्त बांड का प्रतिबंध ऐसा है कि यदि (मैं)

(क ख)

(क ख)

कर्मनिष्ठा और परिश्रम के साथ (अपना)

(अपने)

(अपने) कर्तव्य को पालन

.... के पद पर करता हूँ और [illegible]

पर और उन सब समयों पर जब मुझसे ऐसा करने को कहा जाय [illegible] समस्त धन, सिक्योरिटियों और सम्पत्तियों का जिसके लिए [illegible] सम्बन्ध में मैं क ख/क ख उत्तरदायी या जिम्मेदार [illegible] या जिसे मैं क ख/क ख वसूल करूं/करें या मुझे/हमें सौंपी जाय [illegible] पंचायत को पूरा हिसाब देंगे, सौंप देंगे और दे देंगे और [illegible] हैं कि हम ऊपर दी हुई किसी ऐसी दशा में सिक्योरिटीज को और सम्पत्तियों में गबन न करेंगे, लौटाने से इन्कार न करेंगे, नष्ट न करेंगे या किसी और तरह से उसे हानि न पहुँचावेंगे। ऐसी दशा में उपरोक्त लिखित बांड निष्प्रभाव होगा, अन्यथा वह पूर्णरूप से लागू रहेगा।

यह वाक्य-खण्ड उस दशा में प्रयोग में नहीं लाया जायगा जब कोई अमानतदार न हो

और इस बन्ध [illegible] की ओर से क ख के पक्ष में [illegible] यह कर्तव्य न पालन करें या किसी और [illegible] इस बन्ध के प्रतिबन्धों को पूरा न करें तो कोई हर्जा या [illegible] .... हो [illegible] दोनों में से किसी एक को या इनके उत्तराधिकारियों को, [illegible]

के प्रवर्त्तकों को या सम्पति के
प्रबन्धकों को या इसके द्वारा
रेहन की हुई सम्पत्ति को किसी
प्रकार भी ऊपरोक्त बांड के
अन्तर्गत उत्पन्न होनेवाली
दायित्वों से मुक्त न करेगी।

परिशिष्ट

उपरोक्त व्यक्ति.......................ने दो गवाहों.................(के सामने)...............................हस्ताक्षर किये।

नोट—(१) जब अचल सम्पत्ति रेहन की गई हो तो यह आवश्यक है कि बांड रजिस्टर्ड हो।

२) जब बॉड में कर्मचारी द्वारा हस्तगत पद का नाम दिया गय हो, तो बॉड केवल उस पद के लिये चालू रहेगा जब तक उक्त कर्मचारी उस पद पर रहें। यदि यह सम्भव हो कि कर्मचारी एक से अधिक पद पर या तो उन्नति करके या किसी और प्रकार काम करे, तो नाम में परिवर्तन करना आवश्यक होगा।

रूपपत्र 'ग'

आय-व्ययक (बजट) का नकशा

१९ —१९

गाँव सभा का नाम..

तहसील ....

जिला..

हेड और मद	आय					
	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने की वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनुमानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
१— सरकारी ग्रांट—						
(१) शिक्षा—						
(२) [illegible]						

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने की वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनुमानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०

(ख) अस्थायी

(२) चिकित्सा (मेडिकल)—

(क) स्थायी

(ख) अस्थायी

(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)—

(क) स्थायी

(ख) अस्थायी

(४) सड़क—

(क) स्थायी

(ख) अस्थायी

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने की वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनुमानित आय	आय व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(३) अन्य साधनों के चंदे						
(४) अन्य आय						
हेड ४ का जोड़						
५—चिकित्सा (मेडिकल)—						
(१) रोगियों से आय						
(२) दवाओं की बिक्री						
(३) धर्मार्थ दान से आय						
(४) स्थानीय बोर्डों से चंदे						
(५) दूसरे साधनों से चंदे						
(६) दूसरी आय						

६—सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)—

(१) सफ़ाई की फ़ीस और जुर्माने
(२) ग़ैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चंदे
(३) स्थानीय बोर्डों से चन्दे
(४) दूसरी आय

७—पंचायत अदालत से आय—

(क) दीवानी नालिश
(ख) फ़ौजदारी मुक़दमा
(ग) माल की कार्यवाही

८—मेले प्रदर्शिनी, बाजार—

९—सम्पत्ति से आय—

(१) इमारतों और भूमि (नजूल भूमि को छोड़कर) का किराया
(२) जायदाद आदि (नजूल जायदाद को छोड़कर) की बिक्री

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने का वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनुमानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०

(३) नजूल इमारतों और भूमि का किराया

(४) नजूल इमारतों और भूमि की बिक्री का रुपया और अधिशुल्क (नजराना)

१०—विविध—

(१) पुराने सामान और चीजों की बिक्री
(२) स्थानीय बोर्डों से चंदे
(३) गैरसरकारी व्यक्तियों द्वारा चंदे
(४) मेले और प्रदर्शिनी से आय
(५) फुटकर आय

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने का वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनुमानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(२) आकस्मिक व्यय						
(३) पुस्तकालय तथा वाचनालय						
(४) विविध						
(३)—चिकित्सा (मेडिकल)—						
(१) कर्मचारी						
(२) आकस्मिक व्यय						
(३) विविध						
१—सार्वजनिक निर्माण (पब्लिक वर्क्स)—						
(१) निर्माण						
(२) मरम्मत						

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने का वर्तमान वर्ष की वास्तविक आय	दुहराई हुई अनुमानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०

(४) निर्वाचन-व्यय

९—असाधारण औप ऋण—

(१) ऋण का भुगतान
(२) जमा की हुई रकमें
(३) दूसरी पेशगी दी जानेवाली रकम

१०—रोकड़ बाकी खाते नाम (ब्योरा)—

इस ऐक्ट की धारा में	निर्धारित अधिकारी ये हैं
५ और ६	हाकिम परगना।
१२ की उपधारा ३ और ४	हाकिम परगना।
१७ (ङ) व २० और २२	ज़िला पंचायत अफ़सर।
२७ की उपधारा १	ज़िला पंचायत अफ़सर।
२७ की उपधारा २	संचालक (डायरेक्टर) पंचायत राज।
३० की उपधारा २	ज़िला पंचायत अफ़सर।
३६	प्रधान (प्रेसीडेन्ट) ज़िला बोर्ड।
४१ की उपधारा ३	इन्सपेक्टर।
४२	ज़िला पंचायत अफ़सर।
४४	ज़िला पंचायत अफ़सर या कोई निर्दिष्ट न्यायाधिकारी।
४७	इन्सपेक्टर।
६६	ज़िला पंचायत अफ़सर।
६८	ज़िला बोर्ड की कार्यकारिणी समिति
१०६ (दो या अधिक गांव पंचायतों के बीच झगड़ों में)	संचालक पंचायत राज।
१०६ गांव-(पंचायत और या उन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड या ज़िला बोर्ड के बीच झगड़ों में)	प्रान्तीय शासन।
१११ व ११२ की उपधारा २	ज़िला बोर्ड की कार्यकारिणी समिति।
नियम संख्या	
३	ज़िला पंचायत अफ़सर।
३६	इन्सपेक्टर।
४७ क ४८ और ६०	इन्सपेक्टर।
५४-५८ ज़िला पंचायत अफ़सर	बाकी नियमों में दे दिये हैं।

मुद्रक—देशसेवा प्रेस, ५४ हेविटरोड प्रयाग